चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 12 सितंबर– 18 सितंबर 2016 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश विधानसभा में चल रहा अवैध नियुक्तियों का सिलसिला

विधानसभा भी काली

वि.स. अध्यक्ष ने अपने 'ख़ास' को बनाया सूचनाधिकारी, उड़ा दीं नियमों की धज्जियां

करोड़ों रुपये ख़र्च कर परीक्षा कराने, फिर रद्द करने का चल रहा है विचित्र गोरखधंधा

विधानसभा में समीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति में धांधलीबाजी का अजीबोग़रीब खेल

दोबारा-तिबारा-चौबारा परीक्षा कराने के अहमकी फैसले में डूब गई करोड़ों की धनराशि

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हो रही अवैध नियुक्तियों से इस संवैधानिक पीठ की मर्यादा क्षत-विक्षत हो रही है. विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय के दो दामादों और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर के दामाद की गलत नियुक्तियों से विधानसभा का मजाक पहले ही उड़ चुका है. विधानसभा का आखिरी सत्र सम्पन्न हो चुका है. चुनाव के बाद नई विधानसभा का गठन होगा. जाते-जाते विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने 'अपने आदमी' को गलत तरीके से विधानसभा का सूचनाधिकारी नियुक्त कर दिया. अब करीब डेढ़ सौ समीक्षा अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए वे अगड़म-बगड़म और अनुचित तौर-तरीका अपना रहे हैं. इससे इस आखिरी दौर में उनकी अपनी और उनकी समाजवादी पार्टी की जनता के बीच भीषण फजीहत हो रही है.

विधायिका की पीठ में हो रही नियुक्तियों में विधि-विधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई तमाम नियुक्तियां हाईकोर्ट से रद्द हो रही हैं, लेकिन प्रदेश की विधानसभा में कानून को ताक पर रख कर धड़ल्ले से नियुक्तियां हो रही हैं. विधानसभा में हो रही अवैध नियुक्तियों के बारे में न राज्यपाल कोई कारगर संज्ञान ले रहे हैं और न अदालत का ध्यान इस तरफ है. उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय अभी कुछ ही दिन पहले अपने दो दामादों को विधानसभा में गलत तरीके से नियुक्त करने के कारण सुर्खियों में रहे. अब उन्होंने बड़े ही गोपनीय तरीके से विधानसभा में सूचनाधिकारी की नियुक्ति कर दी. विधानसभा में नियुक्त हुए सूचनाधिकारी की योग्यता यह है कि वह विधानसभा अध्यक्ष का इतना करीबी है कि उन्होंने विधानसभा की नियमावली की उन धाराओं को भी संशोधित कर दिया, जिसे संशोधित करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है ही नहीं. फिर भी नियमावली संशोधित की गई और सूचनाधिकारी की नियुक्ति कर उसकी गोपनीयता बनाए रखने का सख्त निर्देश जारी कर दिया गया. नियमत: किसी भी नियुक्ति के बारे में विधानसभा सचिवालय की तरफ से गजट (अधिसूचना) प्रकाशित होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि 'योग्य' व्यक्ति की नियुक्ति का भांडा फूटने का खतरा था. भांडा तो फूटा लेकिन सूचनाधिकारी की नियुक्ति और उसकी ज्वाइनिंग के बाद. अब विधानसभा में तकरीबन डेढ़ सौ समीक्षा अधिकारियों की नियुक्तियां की जा रही हैं. समीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के नाम पर तो जैसे नियम-कानून और खजाने से बिल्कुल कबड्डी ही खेली जा रही है. उस बड़े खेल को देखने के पहले सूचना अधिकारी की नियुक्ति का छोटा किंतु गंभीर कृत्य देखते चलें...

उत्तर प्रदेश विधानसभा में सूचना अधिकारी की नियुक्ति के लिए पिछले साल 28 मई को ही विज्ञापन प्रकाशित किया गया था. सूचना अधिकारी पद के लिए न्यूनतम निर्धारित योग्यता हिंदी में स्नातक के साथ-साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा या पांच वर्ष का पत्रकारीय अनुभव अनिवार्य है. सात महीने बाद 28 दिसम्बर 2015 को चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार (इंटरव्यू) के लिए विधानसभा सचिवालय बुलाया गया. अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने के लिए विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की अध्यक्षता में अधिकारियों का बाकायदा एक पैनल गठित किया गया था. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हुए और उन्हें 'सूचित किया जाएगा' का शाश्वत डायलॉग सुनाकर भेज दिया गया. इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने चुप्पी साध ली. अभ्यर्थियों को कोई सूचना भी नहीं दी गई. यहां तक कि इस बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने वाले शरद्मणि त्रिपाठी से 10 रुपये का निर्धारित शुल्क वसूलने के बजाय उनसे पांच सौ रुपये वसूल लिए गए, पर उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई. अभ्यर्थियों को अब जाकर अचानक पता चला कि 14 जुलाई 2016 को कमेंश प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सिंह नामक व्यक्ति की सूचनाधिकारी के पद पर नियुक्ति भी हो गई और उसने अपना पदभार ग्रहण भी कर लिया. न कोई रिजल्ट जारी हुआ और न इस बारे में कोई औपचारिक अधिसूचना ही जारी हुई.

जब इस बारे में छानबीन की गई तब विधानसभा सचिवालय ने अत्यंत गोपनीयता बरतते हुए विधानसभा की वेबसाइट पर अधिकारियों की लिस्ट में सूचनाधिकारी के बतौर कमेंश प्रताप सिंह का नाम शामिल कर दिया. यह पता चला कि विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने विधानसभा नियमावली को ताक पर रख कर अपने खास 'गुर्गे' को सूचना अधिकारी नियुक्त कर दिया. इस नियुक्ति के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सूचनाधिकारी पद के लिए निर्धारित योग्यता के नियम को शिथिल कर दिया और कमेंश प्रताप सिंह की नियुक्ति का फरमान जारी कर दिया. विधानसभा अध्यक्ष को नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता (अर्हता) को शिथिल करने या संशोधित करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है. उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियमावली का अनुच्छेद-49 (पृष्ठ-23) भी यह कहता है कि विधानसभा अध्यक्ष नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता को छोड़ कर किसी अन्य अर्हता को ही शिथिल कर सकते हैं. इसके बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने कानून की कोई परवाह नहीं की और नियमों को शिथिल करते हुए अपने खास आदमी को विधानसभा का सूचनाधिकारी नियुक्त कर डाला.

माता प्रसाद पांडेय का लंबित-लक्ष्य समीक्षा अधिकारियों की भर्ती करके मानेंगे

विधानसभा में तकरीबन डेढ़ सौ समीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं हो रही हैं, फिर उसे रद्द किया जा रहा है, फिर परीक्षाएं हो रही हैं और उसे फिर रद्द कर फिर परीक्षा कराई जा रही है. आप इस वाक्य में ही उलझ गए होंगे. तब आप कल्पना करें कि करोड़ों रुपये की फीस भर कर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले हजारों हजार अभ्यर्थी खुद को कितना फंसा हुआ महसूस कर रहे होंगे. उन अभ्यर्थियों का तो कोई संरक्षक है ही नहीं.

समीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 12 जून 2015 को विभिन्न अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे. इसमें करीब 75 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा था. विधानसभा ने उनसे फीस के बतौर कुल तीन करोड़ रुपये वसूले थे. नियुक्ति के लिए परीक्षा कराने का जिम्मा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस (टीसीएस) को दिया गया था. इसके लिए टीसीएस को एक करोड़ 52 लाख 33 हजार 700 रुपये फीस के बतौर दिए गए. टीसीएस ने 29/30 दिसम्बर 2015 को 11 जिलों में बनाए गए केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा ली. इस परीक्षा के रिजल्ट की लोगों को प्रतीक्षा थी. लेकिन सात महीने के इंतजार के बाद अभ्यर्थियों को पता चला कि वह परीक्षा तो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निरस्त (रद्द) की जा चुकी है. इस सूचना पर बिल्कुल अफरा-तफरी मच गई. 27 जुलाई 2016 को विधानसभा के नोटिफिकेशन के जरिए विशेष सचिव प्रमोद कुमार जोशी ने टीसीएस की ऑनलाइन परीक्षा रद्द किए जाने और दोबारा परीक्षा में शामिल होने के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों से फिर आवेदन दाखिल करने का फरमान जारी कर दिया. परीक्षा रद्द करने का कोई कारण भी नहीं बताया गया. इस अधिसूचना में यह बात भी गोल कर दी गई कि अब कौन सी कंपनी परीक्षा कराएगी. देश-प्रदेश से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. हजारों अभ्यर्थियों को तो दोबारा परीक्षा की जानकारी ही नहीं मिल पाई. उनकी फीस का पैसा डूब गया. परीक्षा रद्द होने और उसे दोबारा आयोजित करने के बारे में नियमतः विज्ञापन प्रकाशित कराया जाना चाहिए था, लेकिन विधानसभा ने ऐसा नहीं किया. कहीं कोई पारदर्शिता नहीं. दोबारा परीक्षा देने के लिए 60 हजार अभ्यर्थी ही आवेदन दाखिल कर पाए. अभ्यर्थी और उनके अभिभावक परेशान और बेचैन थे, लेकिन विधानसभा के अंदर षड्यंत्र का खेल बड़ी तसल्ली से खेला जा रहा था. इस बार परीक्षा कराने का ठेका गुपचुप तरीके से 'ऐपटेक' को दे दिया गया. बीते 14 अगस्त को महज छह जिलों में बनाए गए केंद्रों पर ऑफलाइन परीक्षा कराई गई. इसमें ओएमआर शीट पर जवाब के खानों में पेंसिलें घिसवाई गईं, ताकि आसानी से हेराफेरी की जा सके.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

ख़ुद को विधानसभा अध्यक्ष का पीआरओ बताता था : एसपी की रिपोर्ट

विधानसभा सचिवालय में सूचना अधिकारी के पद पर कमेंश प्रताप सिंह को नियुक्त किए जाने संबंधी इस खबर में कमेंश को विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय का 'गुर्गा' लिखा गया, इसका 'चौथी दुनिया' के पास कानूनी आधार है. बस्ती के पुलिस अधीक्षक (तत्कालीन) आनंद कुलकर्णी ने 27 मई 2013 को विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय को आधिकारिक तौर पर यह सूचित किया था कि विधानसभा अध्यक्ष का पीआरओ बताने वाले शख्स कमेंश प्रताप सिंह पुत्र महेश प्रताप सिंह, ग्राम बभनगवां, थाना गौर, जिला बस्ती

(शेष पृष्ठ 2 पर)

उत्तर प्रदेश विधानसभा में चल रहा अवैध नियुक्तियों का सिलसिला

विधानसभा भी काली

पृष्ठ 1 का शेष

के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है. अभियुक्त का पिता अपने बेटे कर्मेश को विधानसभा का समीक्षा अधिकारी और कर्मेश खुद को विधानसभा अध्यक्ष का पीआरओ बताता है. यानी, विधानसभा अध्यक्ष जिस व्यक्ति को विधानसभा का सूचना अधिकारी नियुक्त करने जा रहे थे, उसके बारे में पहले से जानते थे कि उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है और उस पर असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप हैं. लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में भी कर्मेश पर सुधीर कुमार यादव नामक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने और मारपीट कर जख्मी करने का मामला (अपराध संख्या-40/2016) दर्ज है. लखनऊ के कृष्णानगर इलाके के रहने वाले सुधीर कुमार यादव का आरोप है कि कर्मेश की असामाजिक गतिविधियों की विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत करने की कोशिश करने पर कर्मेश और उसके लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष के आवास के नजदीक ही उसे लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा और शिकायत करने की दोबारा कोशिश करने पर जान से मारने की धमकियां दीं. हैरत यह है कि ऐसे व्यक्ति को सूचना अधिकारी नियुक्त करते वक्त उसकी ऐसी पृष्ठभूमि को नजरअंदाज कर दिया गया. ■

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय

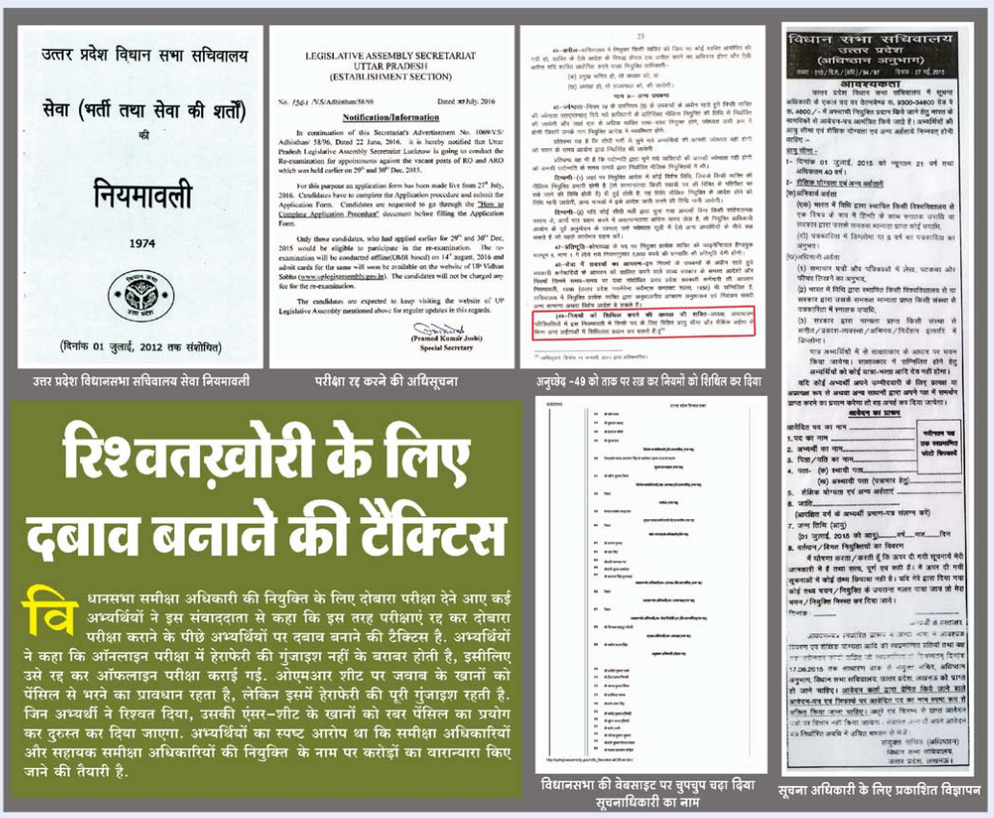

सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों)

की

नियमावली

1974

(दिनांक 01 जुलाई, 2012 तक संशोधित)

उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय सेवा नियमावली

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
UTTAR PRADESH
(ESTABLISHMENT SECTION)

No. 1561 /V.S/Adhisthan/58/96 Dated 27 July, 2016

Notification/Information

In continuation of this Secretariat's Advertisement No. 1069/V.S/Adhisthan/ 58/96, Dated 22 June, 2016. it is hereby notified that Uttar Pradesh Legislative Assembly Secretariat Lucknow is going to conduct the Re-examination for appointments against the vacant posts of RO and ARO which was held earlier on 29th and 30th Dec. 2015.

For this purpose an application form has been made live from 27th July, 2016. Candidates have to complete the Application procedure and submit the Application Form. Candidates are requested to go through the "How to Complete Application Procedure" document before filling the Application Form.

Only those candidates, who had applied earlier for 29th and 30th Dec, 2015 would be eligible to participate in the re-examination. The re-examination will be conducted offline(OMR based) on 14th august, 2016 and admit cards for the same will soon be available on the website of UP Vidhan Sobha (www.uplegisassembly.gov.in). The candidates will not be charged any fee for the re-examination.

The candidates are expected to keep visiting the website of UP Legislative Assembly mentioned above for regular updates in this regards.

(Pramod Kumar Joshi)
Special Secretary

परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना

अनुच्छेद -49 को ताक पर रख कर नियमों को शिथिल कर दिया

विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(अधिष्ठान अनुभाग)

आवश्यकता

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय में सूचना अधिकारी के एकल पद पर वेतनबैण्ड रु. 9300-34800 ग्रेड पे रु. 4600/- में अस्थायी नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु भारत के नागरिकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। अभ्यर्थियों की आयु सीमा एवं शैक्षिक योग्यता एवं अन्य अर्हतायें निम्नवत् होनी चाहिए :-

आयु सीमा -

1- दिनांक 01 जुलाई 2015 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष।

2- शैक्षिक योग्यता एवं अन्य अर्हतायें

(क) अनिवार्य अर्हता

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि,

(दो) पत्रकारिता में डिप्लोमा या 5 वर्ष का पत्रकारिता का अनुभव।

(ख) अधिमानी अर्हता

(1) समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लेख, पटकथा और फीचर लिखने का अनुभव,

(2) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पत्रकारिता में स्नातक उपाधि,

(3) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से संगीत/प्रकाश-व्यवस्था/अभिनय/निर्देशन इत्यादि में डिप्लोमा।

पात्र अभ्यर्थियों में से साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जायेगा। साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों को कोई यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

यदि कोई अभ्यर्थी अपने उम्मीदवारी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अथवा अन्य साधनों द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा तो वह अनर्ह कर दिया जायेगा।

आवेदन का प्रारूप

आवेदित पद का नाम
1. पद का नाम
2. अभ्यर्थी का नाम
3. पिता/पति का नाम
4. पता- (क) स्थायी पता
(ख) अस्थायी पता (पत्राचार हेतु)
5. शैक्षिक योग्यता एवं अन्य अर्हतायें
6. जाति
(आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

नवीनतम पद एक स्वप्रमाणित फोटो चिपकायें

सूचना अधिकारी के लिए प्रकाशित विज्ञापन

विधानसभा की वेबसाइट पर चुपचुप चढ़ा दिया सूचनाधिकारी का नाम

रिश्वतख़ोरी के लिए दबाव बनाने की टैक्टिस

विधानसभा समीक्षा अधिकारी की नियुक्ति के लिए दोबारा परीक्षा देने आए कई अभ्यर्थियों ने इस संवाददाता से कहा कि इस तरह परीक्षाएं रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने के पीछे अभ्यर्थियों पर दबाव बनाने की टैक्टिस है. अभ्यर्थियों ने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा में हेराफेरी की गुंजाइश नहीं के बराबर होती है, इसीलिए उसे रद्द कर ऑफलाइन परीक्षा कराई गई. ओएमआर शीट पर जवाब के खानों को पेंसिल से भरने का प्रावधान रहता है, लेकिन इसमें हेराफेरी की पूरी गुंजाइश रहती है. जिन अभ्यर्थी ने रिश्वत दिया, उसकी एंसर-शीट के खानों को रबर पेंसिल का प्रयोग कर दुरुस्त कर दिया जाएगा. अभ्यर्थियों का स्पष्ट आरोप था कि समीक्षा अधिकारियों और सहायक समीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के नाम पर करोड़ों का वारान्यारा किए जाने की तैयारी है.

धांधली के ख़िलाफ़ अब कर्मचारी संघ एकजुट, राज्यपाल को पत्र

उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय कर्मचारी संघ ने राज्यपाल राम नाईक को पत्र लिख कर यह आगाह किया है कि विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने समीक्षा अधिकारियों की दोबारा ऑफलाइन परीक्षा इसलिए कराई, ताकि उसमें हेराफेरी की जा सके. संघ ने 104 ऐसे लोगों की लिस्ट भी भेजी है, जिन्हें फाइनल रिजल्ट में शामिल करने की साजिश चल रही है. विधानसभा सचिवालय में तकरीबन तीन दर्जन ऐसे कर्मचारी हैं, जिन्हें सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के पद पर नियमित होना है, लेकिन भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के जोर के सामने उन कर्मचारियों की सुनी नहीं जा रही. टाटा कंसल्टेंसी सर्विस (टीसीएस) की परीक्षा रद्द कर 'ऐपटेक' से परीक्षा कराने के बहाने कई चहेते लोगों को शामिल करा लिया गया, जबकि अन्य कर्मचारी मुंह ताकते रह गए. राज्यपाल को उनके नाम भी बताए गए हैं. राज्यपाल को भेजी गई चिट्ठी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी भेजी गई है. ■

माता प्रसाद पांडेय का लंबित-लक्ष्य समीक्षा अधिकारियों की भर्ती करके मानेंगे

पृष्ठ 1 का शेष

अभ्यर्थी अधर में हैं. उन्हें यह पता नहीं कि विधानसभा में समीक्षा अधिकारियों और सहायक समीक्षा अधिकारियों को नियुक्त करने का माता प्रसाद पांडेय का लक्ष्य वर्ष 2006 से ही लंबित है. उस समय भी मुलायम के शासनकाल में माता प्रसाद पांडेय ही विधानसभा अध्यक्ष थे और उन्होंने 50 समीक्षा अधिकारियों और 90 सहायक समीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 12 मार्च 2006 को परीक्षा कराई थी. नियुक्ति यों में विलंब हुआ और 2007 में सत्ता बदल गई. बसपा सरकार ने आते ही सारी परीक्षाएं रद्द कर दीं. बसपा काल में विधानसभा अध्यक्ष रहे सुखदेव राजभर ने समीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 14 अप्रैल 2011 में फिर से परीक्षा कराई. बसपाई विधानसभा अध्यक्ष ने वह परीक्षा उत्तर प्रदेश टेक्निकल युनिवर्सिटी (यूपीटीयू) से कराई. इसमें 48 लाख 50 हजार रुपये खर्च हुए. उस खर्च का हिसाब आज तक वित्त विभाग के पास जमा नहीं किया गया है. खैर, 2012 में फिर सत्ता बदली, माता प्रसाद पांडेय फिर विधानसभा अध्यक्ष बन गए. पांडेय ने फिर बसपा काल की परीक्षा रद्द कर दी. उसे टीसीएस से कराया. फिर रद्द कर दिया. फिर 'ऐपटेक' से कराया. अब लोगों को 'फिर' के बजाय आखिरी परिणाम की प्रतीक्षा है, चाहे उसमें कितनी ही धांधलीबाजी क्यों न हो...■

विधानसभा के प्रमुख सचिव की नियुक्ति पर भी उठे थे सवाल

उत्तर प्रदेश विधानसभा में समीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए चल रहे गोरखधंधे, सूचनाधिकारी की नियुक्ति में नियमों के साथ ही बदसलूकी, दामादों की अवैध नियुक्ति की विधानसभाध्यक्षीय परम्परा के बीच ही हम विधानसभा के प्रमुख सचिव की नियुक्ति का विवादास्पद-प्रसंग भी झांकते चलें. विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की नियुक्ति पर भी यह सवाल उठा था कि नियुक्ति के समय वे निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके थे. उनकी नियुक्ति आयोग से न होकर सीधी भर्ती के जरिए की गई थी, जो सचिवालय सेवा नियमावली का उल्लंघन है. उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) की नियमावली के मुताबिक विधानसभा में सचिव के पद पर नियुक्ति आयोग से ही की जा सकती है, लेकिन प्रदीप कुमार दुबे की नियुक्ति में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती वाली प्रक्रिया अपनाई गई थी. सीधी भर्ती के लिए 25 जनवरी 2012 को विज्ञापन प्रकाशित हुए थे. उसके अनुसार अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा 52 वर्ष होनी चाहिए थी, जबकि दुबे की आयु 52 वर्ष से अधिक थी, फिर भी बसपा सरकार में उन्हें प्रमुख सचिव विधानसभा के पद पर नियुक्ति दे दी गई थी.

प्रदीप कुमार दुबे को 13 जनवरी 2009 को संसदीय कार्य विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर नियुक्ति दी गई थी. छह दिन बाद ही 19 जनवरी को ही एक नए आदेश के जरिए उन्हें विधानसभा के प्रमुख सचिव का दायित्व भीनिर्वहन करने को कहा गया. बसपा सरकार ने दुबे को प्रमुख सचिव के पद पर स्थानांतरित दिखाते हुए आखिरकार जनवरी 2012 को प्रकाशित विज्ञापन के जरिए विधानसभा के प्रमुख सचिव के पद पर प्रदीप कुमार दुबे की नियुक्ति नियमित कर दी. ■

राजभर ने भी दामाद के लिए नियमों की चढ़ाई थी बली

दामादों के लिए ससुरों की बेचैनी अब उत्तर प्रदेश में विधायी परंपरा जैसी बन गई है. बसपा काल के विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर ने भी अपने दामाद राजेश कुमार को विधानसभा में शोध और संदर्भ अधिकारी के पद पर बिना न्यूनतम योग्यता (अर्हता) और बिना प्रक्रिया का पालन किए हुए नियुक्त कर दिया था. दामादों की अवैध नियुवित यों के बारे में राजभवन से बाकायदा शिकायत की गई, लेकिन राजभवन ने इन मामलों में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया. राजभवन का तर्क यह है कि विधानसभा में की गई नियुक्तियों के संबंध में जांच कराने या कार्रवाई कराने की उनकी कोई संवैधानिक या विधिक भूमिका निर्धारित नहीं है. बेरोजगारी की मार सह रहे करोड़ों युवकों और उनके अभिभावकों को ऐसे 'टाइप्ड' तर्कों से गुस्सा ही आता है. ■

पांडेय ने दामादों को ताल ठोक कर दे दी थी नौकरी

विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने अपने दो दामादों प्रदीप कुमार पांडेय और नरेंद्र शंकर पांडेय को ताल ठोक कर विधानसभा में नौकरी दे दी थी. इस नियुक्ति में सारे कानून इधर-उधर कर दिए गए थे. दामादों का मसला था तो राज्यपाल राम नाईक ने भी कुछ नहीं कहा और सरकार तो आंख मूंदे हुए है ही. विधानसभा अध्यक्ष ने अपने बड़े दामाद प्रदीप कुमार पांडेय को 22 मार्च 2013 को विधानसभा में संपादक के पद पर और छोटे दामाद नरेंद्र शंकर पांडेय को 12 मई 2015 को ओएसडी के पद कर नियुक्त कर दिया था.■

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 08 अंक 28
12 सितंबर- 18 सितंबर 2016

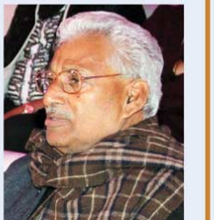

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय	0120-6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022-42296060
	+91-8451050786
	+91-9266627379
फैक्स न.	0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

एनजीटी के फैसले से साबित

उत्तराखंड आपदा की विभीषिका मानवनिर्मित थी

शशि शेखर

जून 2013 में उत्तराखंड आपदा के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने जीवीके कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है. उत्तराखंड में जीवीके कंपनी द्वारा अलकनंदा नदी पर बने श्रीगर बांध के कारण तबाह हुई संपत्ति के मुआवजे के लिए श्रीनगर बांध आपदा संघर्ष समिति और माटू जनसंगठन ने अगस्त 2013 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में एक याचिका दायर की थी. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने 18 सुनवाई के बाद 19 अगस्त 2016 को उत्तराखंड आपदा के संबंध में ऐतिहासिक फैसला दिया. माननीय न्यायाधीश यूडी साल्वी व माननीय विशेषज्ञ सदस्य एआर यूसुफ ने इस फैसले में जीवीके कंपनी को जून 2013 आपदा में श्रीनगर में तबाही के लिए जिम्मेदार ठहराया है. साथ ही प्रभावितों को 92642795 करोड़ रुपये का मुआवजा व प्रत्येक वादी को एक लाख रुपये देने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि जीवीके कंपनी के बांध के कारण श्रीनगर शहर के शक्तिविहार, लोअर भक्तियाना, चौहान मोहल्ला, गैस गोदाम, खाद्यान्न गोदाम, एसएसबी, आईटीआई, रेशम फार्म, रोडवेज बस अड्डा, नर्सरी रोड, अलकेश्वर मंदिर, ग्राम सभा उफल्डा के फतेहपुर रेती, श्रीयंत्र टापू रिसोर्ट आदि स्थानों की सरकारी/अर्द्धसरकारी/व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक सम्पत्ति बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी.

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के इस आदेश ने सिद्ध किया है कि जून 2013 की त्रासदी में बांधों की बड़ी भूमिका थी. जून 2013 की आपदा में बांधों की भूमिका का मुद्दा भी उठा था, लेकिन इस पर कोई सार्थक बहस नहीं हुई. अब इस आदेश के बाद सरकारें जागेंगी और नदी व लोगों के अधिकारों का हनन करने वाली बांध कंपनियों पर लगाम लगायेंगी, ऐसी उम्मीद तो करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा, इसकी गुंजाइश नहीं दिखती है. यह आदेश न केवल उत्तराखंड वरन देशभर में बांधों के संदर्भ में अपनी तरह का पहला आदेश है. देशभर के बांध प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों के लिए इस आदेश ने एक नया रास्ता दिखाया है. कहीं भी बांधों के कारण होने वाले नुकसान के संदर्भ में यह आदेश एक नजीर साबित होगा.

प्राधिकरण ने आदेश दिया है कि अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड इस आदेश की तिथि के 30 दिन की अवधि के अंदर सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 7(ए) के तहत स्थापित पर्यावरण राहत कोष प्राधिकरण के माध्यम से श्रीनगर शहर में जून 2013 के बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर 92642795 करोड़ रुपये की राशि जमा करेगी. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (अभ्यास और प्रक्रिया) नियम, 2011 के नियम 12 के तहत, जमा किए जाने वाले मुआवजे की राशि से 1 प्रतिशत राशि कटौती कर कोर्ट फीस के तौर पर रजिस्ट्रार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंप दिया जाएगा. लागत की रकम के रूप में आवेदकों और प्रतिवादी संख्या 4 सहित प्रत्येक को एक-एक लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा.

प्राधिकरण ने अपने 42 पन्नों के आदेश में विस्तृत रूप से लिखा है कि जीवीके कंपनी ने लगातार पर्यावरणीय शर्तों का उल्लंघन किया, जिसके कारण बाढ़ के दौरान बांध की मक तबाही का कारण बनी. विभिन्न रिपोर्टों से पता चलता है कि जहां मक डाली जाती है, वहां सुरक्षा दीवार व मक पर पेड़ व जाली लगाया जाना चाहिए. मगर बरसों से नदी किनारे मक रखी गई, लेकिन उस पर पेड़ नहीं लगाए गए. प्राधिकरण ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बनी रवि चोपड़ा समिति की रिपोर्ट को भी देखा, जिसने मौके का मुआयना किया था. प्राधिकरण ने बांध कंपनी की इन दलीलों को मानने से इंकार कर दिया कि यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है, साथ ही ईश्वरीय कारणों से यह सब हुआ. उत्तराखंड सरकार के वकील ने अपना पक्ष रखते हुये पहले तो यह सिद्ध करने की कोशिश की कि यह मुकदमा सुनने लायक ही नही है. यह ईश्वरीय कारणों से हुआ है और इसमें जीवीके कंपनी का कोई दोष नहीं है. किन्तु प्राधिकरण ने अपने आदेश के पैरा 19 में कहा है कि राज्य सरकार वादियों द्वारा जीवीके कंपनी को दोषी ठहराने के किसी भी तर्क का खंडन नही कर पाई है.

> अक्षय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अनुसार उत्तराखंड में मार्च, 2013 तक 98 छोटी जलविद्युत परियोजनाएं लगाई जा चुकी थीं, जिनकी कुल क्षमता 170.82 मेगावाट थी. उत्तराखंड सरकार की कुल 27191.89 मेगावाट क्षमता की 337 जलविद्युत परियोजनाएं बनाने की योजना है. जाहिर है, इन जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में जल, जंगल और जमीन का दोहन भी होना है. और, इस मानव निर्मित तबाही के साथ अगर प्राकृतिक आपदा का मेल हो तो फिर विभीषिका का अन्दाजा भी लगाना मुश्किल हो जाएगा.

इस फैसले से यह साबित हो गया है कि उत्तराखंड में तबाही के वास्तविक कारण क्या थे. जाहिर है, जन-धन की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण जल विद्युत परियोजनाएं हैं. अक्षय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अनुसार उत्तराखंड में मार्च, 2013 तक 98 छोटी जलविद्युत परियोजनाएं लगाई जा चुकी थीं, जिनकी कुल क्षमता 170.82 मेगावाट थी. उत्तराखंड सरकार की कुल 27191.89 मेगावाट क्षमता की 337 जलविद्युत परियोजनाएं बनाने की योजना है. जाहिर है, इन जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में जल, जंगल और जमीन का दोहन भी होना है. और, इस मानव निर्मित तबाही के साथ अगर प्राकृतिक आपदा का मेल हो तो फिर विभीषिका का अन्दाजा भी लगाना मुश्किल हो जाएगा. उत्तराखंड में 2013 की तबाही में कई सारी जलविद्युत परियोजनाएं बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुईं और साथ ही इससे तबाही का पैमाना भी काफी बढ़ गया. जैसे, निर्माणाधीन तपोवन विष्णुगाड़ जलविद्युत परियोजना 16 जून, 2013 को हुई वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई. बांध बह गया और आस-पास की सड़कों का काफी नुकसान हुआ. जेपी एसोसिएट्स की 400 मेगावाट विष्णु प्रयाग जलविद्युत परियोजना ने इस आपदा से फैली तबाही को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. माटू जनसंगठन के अनुसार इस परियोजना के कारण लंबागाड़ गांव को नुकसान हुआ. यानी, उत्तराखंड की 2013 की आपदा को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा माना जा सकता है. अब, इस मान्यता पर एनजीटी के फैसले से भी मुहर लग गई है. सवाल है कि क्या हम अब भी चेतेंगे या फिर इसी तरह प्रकृति का विनाश करते रहेंगे और बदले में प्रकृति के कोप का भाजन बनते रहेंगे? ■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार

महाबोधि मंदिर के प्रबंधन पर रार

सुनील सौरभ

बौद्ध धर्मावलंबियों के पवित्र महाबोधि मंदिर को बौद्धों के हाथों में सौंपने की मांग को लेकर एक बार फिर से विवाद गहराने लगा है. बोधगया के अंतरराष्ट्रीय मेडिटेशन सेंटर में 20-21 अगस्त 2016 को आयोजित दो दिवसीय पांचवें राष्ट्रीय बौद्ध धम्म संसद में देश भर से आए प्रतिनिधियों ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल महाबोधि मंदिर का प्रबंधन पूर्ण रूपेण बौद्धों के हाथों में देने की मांग की. धम्म संसद में वक्ताओं ने कहा कि जब अन्य धर्मों के धर्म स्थल उन्हीं धर्मों की देख-रेख में होते हैं, तो महाबोधि मंदिर का प्रबंधन बौद्धों के हाथों में क्यों नहीं दिया जा रहा है? इससे महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को लेकर फिर विवाद बढ़ने की आशंका है. महाबोधि मंदिर की प्रबंधन कमिटी से हिन्दू सदस्यों को हटाने की मांग को लेकर पहले भी कई बार आंदोलन हुए हैं. 1994-95 में महाबोधि मंदिर को हिन्दुओं से मुक्त कराने की मांग को लेकर जापान के भंते सुरई ससई के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें भंते आनन्द, मविवि के प्रो. पीसी राय की भूमिका महत्वपूर्ण थी. तब नागपुर से हजारों अंबेडकरवादी बौद्धों ने बोधगया आकर उग्र आन्दोलन किया था. हालात बिगड़ते देख बिहार सरकार ने आंदोलन में शामिल भंते सुरई ससई, भंते आनन्द तथा उनके खास शिष्य प्रज्ञाशील को बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति का बौद्ध सदस्य मनोनीत कर नई कमिटी बनाई और प्रज्ञाशील को सदस्य सचिव मनोनीत किया गया. इसके बाद महाबोधि मंदिर को बौद्धों को हाथों में सौंपे जाने की मांग कमजोर पड़ गई. इसके बाद यदा-कदा किसी बौद्ध संगठन ने महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को बौद्धों के हाथों में देने की मांग की, लेकिन ये मांग जोर नहीं पकड़ सकी. इस बार बोधगया में आयोजित पांचवें राष्ट्रीय बौद्ध धम्म संसद में महाबोधि मंदिर के प्रबंधन के सवाल को फिर से उठाया गया. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 1949 में महाबोधि मंदिर प्रबंधन पर बराबर विवाद होते देख बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति एक्ट बनाकर संसद से पास करा दिया. इस एक्ट के अनुसार कमिटी में तीन हिन्दू और तीन बौद्ध सदस्य होंगे. इन्हीं 6 सदस्यों में से किसी को सदस्य सचिव बनाया जाता है. गया के जिला पदाधिकारी इस कमिटी के पदेन अध्यक्ष होते हैं. महाबोधि मंदिर की देख-रेख में हिन्दू सदस्यों के रहने के पीछे तर्क यह था कि जब भारत के मंदिरों पर मुस्लिम शासकों ने आक्रमण किया था, तब बोधगया के शंकराचार्य मठ के तत्कालीन महंथ ने महाबोधि मंदिर को बचाया था. तब से महाबोधि मंदिर की देखरेख बोधगया मठ के जिम्मे ही थी, लेकिन आजादी के तुरंत बाद इसके प्रबंधन को लेकर बौद्धों और हिन्दुओं में विवाद गहराने लगा. तब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने इस विवाद को हल करने के लिए बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति एक्ट 1949 को संसद से पास करा दिया. बौद्धों द्वारा इस एक्ट में बदलाव की मांग भी समय-समय पर उठती रही है. इस मामले में उच्चतम न्यायालय में रिट पीटिशन सिविल 380/12 भंते आर्य नागार्जुन बनाम भारत सरकार, रिट पीटिशन 41/12 सेरिंग बनाम भारत सरकार विचाराधीन है. लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध धम्म संसद ने महाबोधि मंदिर की मुक्ति का मुद्दा उठाकर फिर इस विवाद को जन्म दिया है.

> राष्ट्रीय बौद्ध धम्म संसद में महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाये गए. देश के 15 राज्यों से आए करीब सौ प्रतिनिधियों ने एक स्वर में महाबोधि मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय बल के हवाले किए जाने की मांग की. इस मामले में उन्होंने सरकार से मिलने का भी निर्णय लिया. अभी महाबोधि मंदिर की सुरक्षा बीएमपी और जिला पुलिस के जिम्मे है. महाबोधि मंदिर में जाने को लेकर आए दिन बौद्ध भिक्षु और सुरक्षाकर्मियों में विवाद होता रहता है.

पांचवें राष्ट्रीय बौद्ध संसद के समापन अवसर पर बोधगया घोषणा पत्र जारी किया गया. इस घोषणा पत्र में महाबोधि मंदिर पर बौद्धों का अधिकार व प्रबंधन, स्मार्ट सिटी के रूप में बोधगया का विकास, मोनोरेल का परिचालन, महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था आदि मांगें शामिल थीं. वक्ताओं ने कहा कि महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में काफी कमी है व सुरक्षाकर्मियों द्वारा बौद्धों की आस्था व भावनाओं को अक्सर आहत किया जाता है. बौद्धों ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक से जोड़कर इस कुव्यवस्था को दूर किया जा सकता है. साथ ही, महाबोधि मंदिर में सुरक्षाकर्मियों द्वारा बौद्ध भिक्षुओं व विदेशी पर्यटकों के साथ अभद्रता किए जाने के मामले में पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया. बौद्ध संगठनों के राष्ट्रीय समन्वय समिति के प्रवक्ता व सह संयोजक और बोधगया स्थित चकमा मोनेस्ट्री के संचालक भिक्षु प्रियपाल ने बताया कि बौद्धों का चीवर पवित्र होता है, उसे हाथ लगाना सही नहीं माना जाता है. 3 मार्च 2014 को महाबोधि मंदिर की सुरक्षा में तैनात एक महिला सुरक्षाकर्मी ने एक नेपाली बौद्ध भिक्षुणी के चीवर को पकड़कर उनके साथ मारपीट की थी. इस मामले को प्रशासन ने रफा-दफा करने की कोशिश की, लेकिन भंते प्रियपाल की पहल पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लिया.

बौद्ध धम्म संसद में संविधान के अनुच्छेद 25 को भेदभावपूर्ण बताया गया है. डॉ. भिक्षु सत्यपाल महाथेरा ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है. किसी नियम द्वारा व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन के अधिकार को बाधित नहीं किया जा सकता है. बौद्धों का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के उपखंड बी के खंड दो में बौद्धों को हिन्दुओं के साथ जोड़ दिया गया है, जबकि संविधान पुनर्निरीक्षण आयोग की रिपोर्ट में बौद्धों को इससे अलग करने की सिफारिश की गई है. बौद्धों ने अलग बौद्ध विवाह मान्यता बिल के लागू नहीं होने पर भी चिंता प्रकट की. जनवरी 1985 में इसे बहस के लिए संसद में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसपर आजतक कोई निर्णय नहीं लिया गया.

धम्म संसद के मुख्य अतिथि भंते ज्ञानेश्वर महाथेरा ने प्राचीन पाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की और कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार इस भाषा को स्कूल के पाठ्यक्रमों में शामिल करे. राष्ट्रीय बौद्ध धम्म संसद में महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाये गए. देश के 15 राज्यों से आए करीब सौ प्रतिनिधियों ने एक स्वर में महाबोधि मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय बल के हवाले किए जाने की मांग की. इस मामले में उन्होंने सरकार से मिलने का भी निर्णय लिया. अभी महाबोधि मंदिर की सुरक्षा बीएमपी और जिला पुलिस के जिम्मे है. महाबोधि मंदिर में जाने को लेकर आए दिन बौद्ध भिक्षु और सुरक्षाकर्मियों में विवाद होता रहता है. कुल मिलाकर कहा जाए तो बोधगया में राष्ट्रीय बौद्ध धम्म संसद ने बोधगया घोषणा पत्र में जहां बोधगया के विकास की बात कही है, वहीं महाबोधि मंदिर के प्रबंधन पर सवाल उठाकर एक नये विवाद को जन्म दिया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

एमसीआई बिल 2016

नीति आयोग

डॉक्टरी की पढ़ाई और इलाज से दूर हो जाएगा आम आदमी

शफीक आलम

हाल ही में एक तस्वीर मीडिया की सुर्खियां बनी. ये तस्वीर एक व्यक्ति की थी जो अपनी मृत पत्नी की लाश अपने कंधों पर ढोता हुआ सड़क से जा रहा था. उसका नाम था दाना मांझी, जो ओड़ीशा के कालाहांडी का रहनेवाला है. दाना मांझी अपनी पत्नी का इलाज कराने कालाहांडी के सरकारी अस्पताल गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी पत्नी की मौत हो गई थी. दाना मांझी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह एंबुलेंस किराए पर लेता और पत्नी की लाश 60 किलोमीटर दूर अपने गांव ले जाता. ज़ाहिर है, अस्पताल प्रशासन ने भी उसकी मदद नहीं की. नतीजतन यह वीभत्स तस्वीर हमारे सामने आई. इस घटना का ज़िक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में हमें दानी मांझी जैसी कई तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं.

पिछले महीने नीति आयोग ने राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (एनएमसी) विधेयक के मसौदे को सार्वजनिक कर इसपर आम जनता से सुझाव मांगे थे. इस मसौदे को नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया की अध्यक्षता में बनी चार सदस्यीय समिति ने तैयार किया है. इसके मुताबिक मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया एक्ट 1956 को संशोधित कर नेशनल मेडिकल कमीशन गठित करने की बात की गई है. इसके साथ-साथ देश में मेडिकल शिक्षा और उच्च गुणवत्ता वाले डॉक्टर मुहैया कराने, अत्याधुनिक शोध को अपने कार्य में सम्मिलित करने, मेडिकल संस्थाओं का समय-समय पर निरीक्षण करने आदि से संबंधित कई प्रस्ताव रखे गए हैं. यदि ये विधेयक अपने मौजूदा स्वरूप में पारित हो गया तो इसका देश में स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा. बहरहाल नीति आयोग के इस प्रस्तावित मसौदे पर बात करने से पहले पिछले कुछ महीनों के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाली कुछ स्वास्थ्य संबंधी ख़बरों पर एक नज़र डालना यहां अप्रासंगिक नहीं होगा. ये ख़बरें अपने पीछे कुछ परेशान करने वाले सवाल छोड़ जाती हैं, जिसका जवाब राष्ट्रीय मेडिकल आयोग विधेयक के मसौदे में तलाश करना ज़रूरी है.

हाल में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के पांच निजी अस्पतालों (मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टिट्यूट, शांति मुकुंद हॉस्पिटल, धर्मशीला कैंसर हॉस्पिटल और पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टिट्यूट) पर 600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था. इन अस्पतालों पर आरोप था कि उन्होंने आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के मरीजों का इलाज करने से इंकार कर दिया था. इसी से मिलती-जुलती ख़बर दिल्ली से ही संबंधित है, जहां एक झगड़े में गंभीर रूप से ज़ख्मी 15 वर्षीय छात्र की एक निजी अस्पताल द्वारा इलाज से इंकार कर दिए जाने के बाद मृत्यु हो गई थी. पटना के एक निजी अस्पताल, पारस हॉस्पिटल पर यह आरोप लगा कि मौत के बाद भी केवल पैसा ऐंठने के लिए 48 घंटे तक एक महिला मरीज़ का अस्पताल के आईसीयू में इलाज चलता रहा. इस तरह की ख़बरें आये दिन अख़बारों में पढ़ने और टीवी समाचारों में देखने को मिलती रहती हैं. अस्पतालों के गैर-जिम्मेदाराना और अमानवीय व्यवहार की सबसे नंगी और हृदयविदारक तस्वीर ओड़ीशा से देखने को मिली, जहां एक गरीब आदिवासी को प्रशासन द्वारा एंबुलेंस सुविधा मुहैया नहीं कराये जाने के कारण मृत पत्नी का शरीर 10 किलोमीटर तक अपने कंधे पर ढोना पड़ा. ज़ाहिर है ये भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की कुछ भयावह तस्वीरें हैं, जो अक्सर खुद को दोहराती रहती हैं. मौजूदा कानून यह कहता है कि भारत में निजी मेडिकल कॉलेज लाभ कमाने वाली संस्थाएं नहीं हो सकती हैं (आम तौर पर वे ट्रस्ट द्वारा संचालित होती हैं), लेकिन ज़मीनी स्तर पर कहानी कुछ और है. हर एडमिशन सत्र में ऐसी ख़बरें से अख़बार भरे रहते हैं जिनमें कॉलेजों द्वारा फीस के नाम पर एक करोड़ रुपए तक की उगाही की जाती है. हाल में प्रकाशित एक ख़बर में यह बताया गया है कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने कैपिटेशन फीस के रूप में 80 लाख रुपए की मांग की है.

तो अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रस्तावित बिल के मसौदे में ऐसे प्रावधान हैं, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं करने वाले अस्पतालों पर जुर्माना लगाने या उनके लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान रखा गया हो? पैसे के अभाव में किसी मरीज को बिना किसी वजह के वापस कर देने, अस्पताल द्वारा ओड़ीशा जैसी अमानवीय घटना को रोकने के लिए कुछ सख्त कानून बनाने का प्रावधान हो? अगर मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को लाभ कमाने की छूट दी गई तो क्या यह कमज़ोर और वंचित वर्ग के छात्रों की पहुंच में होगी?

सबसे पहले मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने की बात करते हैं. जैसा ऊपर ज़िक्र किया गया है इस प्रस्तावित बिल के मसौदे में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डॉक्टर मुहैया कराने और अत्याधुनिक शोध को अपने कार्य में सम्मिलित करने के लिए फॉर-प्रॉफिट (लाभ कमाने वाले) मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखा गया है. इस बिल में यह कहा गया है कि नेशनल मेडिकल कमीशन, निजी कॉलेजों के फीस को नियंत्रित नहीं करेगा. इसका मतलब यह होगा कि कॉलेज अपनी मर्जी से जितना फीस रखना चाहे रख सकते हैं. इसके लिए कमिटी ने यह दलील दी है कि यदि एनएमसी ने फीस नियंत्रित किया तो निजी निवेशक कॉलेज खोलने में अपना पैसा लगाने से घबराएंगे और देश में मेडिकल शिक्षा के विस्तार का उद्देश्य नाकाम हो जाएगा.

अब सवाल यह उठता है कि फ़िलहाल जब देश में फॉर-प्रॉफिट मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान नहीं है, तब यहां कॉलेजों द्वारा फीस के नाम पर करोड़ों रुपये ऐंठे जा रहे हैं, लेकिन जब इन कॉलेजों को मनमानी फीस वसूल करने की इजाज़त दे दी जायेगी तो फिर इसकी क्या स्थिति होगी, यह समझना मुश्किल नहीं है. व्यापम जैसे एडमिशन के दलालों का जो बाज़ार गर्म होगा, सो अलग. ज़ाहिर है जब मेडिकल शिक्षा का खर्च बढ़ेगा तो इसका लाज़िमी नतीजा यह होगा कि स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक महंगी और गरीबों की पहुंच से दूर हो जाएंगी. सबसे महत्वपूर्ण यह कि जब कॉलेज की फीस करोड़ों रुपए होगी तो देश की 80 फीसद से अधिक आबादी, जो निम्न आय वर्ग की श्रेणी में आती है, के लिए शिक्षा का यह विस्तार बेमानी हो जाएगा. साथ में पिछड़ी, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं वे भी इस फीस का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. इस मसौदे का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि 55 पृष्ठों के इस मसौदे में आरक्षण शब्द केवल एक बार आया है और उसे भी योग्यता का लबादा ओढ़ाकर पेश किया गया है. इसमें कहा गया है कि एक बार योग्यता पर आधारित पारदर्शी प्रवेश प्रणाली (राज्य सरकारों द्वारा वंचित वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण के साथ) स्थापित कर ली गई, तो फिर निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा मांगी जा रही फीस को नियंत्रित करने की कोई जरूरत नहीं होगी.

अब रही बात गुणवत्ता कि तो इस सिलसिले में यह कहा जा सकता है कि जब प्राइवेट कॉलेज खोलने की बात चल रही थी तो उस समय भी यही दलील दी जा रही थी कि ऐसा करने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा. एक अध्ययन के मुताबिक प्राइवेट कॉलेजों से पास होने वाले 80 फीसद इंजीनियर किसी काम के नहीं हैं. तो यह कहना कि निजीकरण से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, दूर की कौड़ी लगती है. मेडिकल सेवा में नैतिकता को प्रोत्साहित करने वाली संस्था अलायन्स ऑफ़ डॉक्टर्स फॉर एथिकल हेल्थकेयर (एडीईएच) का मानना है कि इस बिल के प्रावधानों से शिक्षा में व्यावसायीकरण का द्वार खुल जाएगा. एडीईएच का कहना है कि स्वास्थ्य की संसदीय समिति की सिफारिशों के बावजूद इस विधेयक के मसौदे में मेडिकल एथिक्स को लागू करने और उसकी निगरानी करने के लिए एक समर्पित बोर्ड गठित करने का प्रावधान नहीं रखा गया है. लिहाज़ा मेडिकल एथिक्स (नैतिकता) के मामले में जो समस्या पहले थी, वह अब भी कायम रहेगी. एडीईएच ने इस बिल की एक और खामी की तरफ इशारा किया है. एनएमसी का गठन पूरी तरह से नामांकन (नॉमिनेशन) के आधार पर होगा, जिसका नतीजा यह होगा कि इस पर पूरी तरह से नौकरशाही का नियंत्रण रहेगा.

कुल मिला कर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि यदि इस बिल को उसके मौजूदा स्वरूप में पारित कर दिया गया तो जहां स्तरीय मेडिकल कॉलेजों की बाढ़ आ जाएगी वहीं शिक्षा के व्यावसायीकरण के द्वार भी खुल जाएंगे. नतीजतन मेडिकल जैसी उच्च शिक्षा गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों की पहुंच से दूर हो जाएगी, वहीं मेडिकल में नैतिकता का जो सवाल है वह अनुत्तरित रहेगा और दिल्ली, पटना और ओड़ीशा जैसी घटनाएं होती रहेंगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

कहां गई दलितों की ज़मीन

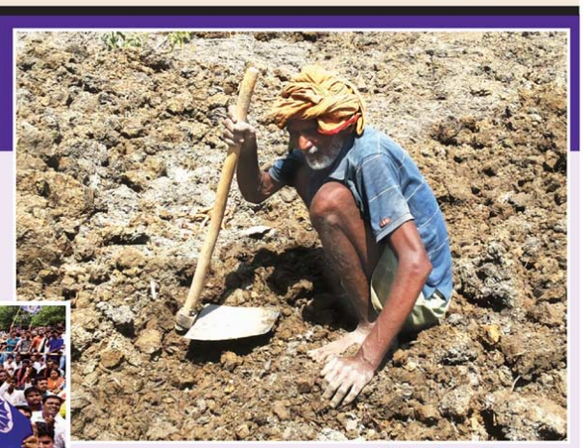

भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की कोई भी योजना दलितों की हिस्सेदारी के बगैर पूरी नहीं हो सकती है. देश में भूमि सुधारों का फायदा आज तक वास्तव में जमीन जोतने वालों यानी दलितों व आदिवासियों को नहीं मिला. जमीन पर बराबर की हिस्सेदारी को लेकर दलित समुदाय संसद के आगामी सत्र के दौरान रामलीला मैदान में एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है.

चंदन राय

भूदानी आचार्य विनोबा भावे 18 अप्रैल 1951 को आंध्रप्रदेश के पोचमपल्ली गांव की यात्रा पर थे. वहां वे 40 दलित परिवारों से मिले और उनके हिंसात्मक प्रतिरोध का कारण जानना चाहा. दलित समुदाय ने विनोबा से अपना दर्द बताया और कहा कि अगर सरकार उन्हें जीवन-बसर करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा देती है, तो वे भी स्वाभिमान से जी सकेंगे. सरकार दलितों को जमीन देने का वादा कर मुकर गई थी. उन्होंने पूछा, कितनी जमीन चाहिए. गांव के लोगों ने कहा, 80 एकड़ जमीन यानी हर दलित परिवार को घर और खेती के लिए दो एकड़. भीड़ में शामिल एक जमींदार ने तुरंत दलितों को 100 एकड़ जमीन देने का वादा किया. यहीं से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी. तब से आज तक दलित जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सरकार केवल वादा कर उनसे छल करती रही है. उस घटना के 65 साल बीत गए, लेकिन वही सवाल अब भी मुंह बाए खड़ा है. भूदान में मिले उस जमीन का क्या हुआ?

आइए, अब हकीकत पर एक नजर डालते हैं. 38 वर्षीय सुनरी झारखंड में हजारीबाग जिले की रहने वाली हैं. हाल में 'दलित अस्मिता रैली' में भाग लेने उना आई थीं. बताती हैं कि भूदान आंदोलन में उनके परिवार को 95 डेसिमल (एक एकड़ से कम) जमीन मिली थी. जमीन के कागजात हाथों में लिए सुनरी कहती हैं, वे केवल जमीन का रेवन्यू जमा कराती हैं और उन्हें रसीद थमा दिया जाता है. सरकारी अधिकारी कहते हैं कि अगर जमीन की पर्ची तुम्हारे पास है, तो जमीन भी गांव में कहीं होगी. अधिकारियों से केवल मदद का भरोसा मिलता रहा, लेकिन जमीन आज तक नहीं मिली. दलित समुदाय के युवा नेता जिग्नेश बताते हैं कि दलित समुदाय के साथ यह छल वर्षों से होता रहा है. समाज के दबंग जमींदारों ने भूदान में मिले जमीन को दलितों से हड़प लिया और सरकार मौन साधकर दलितों पर हो रहे अत्याचार को शह देती रही.

नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, (एनएसएसओ 2013) के अनुसार देश में 7 प्रतिशत लोगों का देश में 47 प्रतिशत जमीन पर मालिकाना हक है, जबकि बाकी बचे 93 प्रतिशत लोग 53 प्रतिशत जमीन पर रहने को मजबूर हैं. इन 93 प्रतिशत लोगों में अधिकतर दलित व आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो दूसरों के खेत में मजदूरी करने को मजबूर हैं. वहीं, सोशियो, इकोनॉमिक एंड कास्ट सर्वे के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में रहने वाली 56 प्रतिशत से अधिक आबादी के पास खेती लायक जमीन नहीं है. इनमें 70 प्रतिशत से अधिक दलित व 50 प्रतिशत आदिवासी शामिल हैं.

राज्यों में दलितों की हिस्सेदारी

पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रोनकी राम कहते हैं, पंजाब में दलित 32 प्रतिशत हैं, लेकिन कृषि योग्य भूमि पर उनका मालिकाना हक पांच प्रतिशत से भी कम है. आश्चर्य की बात है कि इतनी अधिक भूमि असमानता व बहुसंख्यक आबादी होने के बाद भी यहां का दलित समुदाय कई टुकड़ों में बंटा होने के कारण विभिन्न दलों के नेताओं को अपने सियासी ताकत का अहसास नहीं करा सका है. पंजाब, हरियाणा और केरल में ग्रामीण इलाकों में रह रहे 80 प्रतिशत दलितों के पास जमीन नहीं है. इसके बाद तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल आदि कई ऐसे राज्य हैं जहां ग्रामीण इलाकों में सबसे अधिक भूमिहीन दलित हैं. किसी गांव में आज भी जमीन के सामाजिक वितरण से ही किसी समुदाय की पहचान, आर्थिक स्थिति, ताकत और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच शक्ति संतुलन का अंदाजा लगाया जाता है.

ये आंकड़े देश में जमीन के असमान वितरण की ओर स्पष्ट इशारा करते हैं. देश में कुछ मुट्ठी भर आर्थिक संपन्न लोगों का देश की आधी जमीन पर कब्जा है, जबकि बहुसंख्यक दलित व आदिवासी समुदाय के पास जमीन का बाकी बचा हिस्सा है, जिसपर भी सरकार व उद्योगपतियों की नजरें टिकी हैं.

फर्स्ट लैंड, देन वोट

दलित अस्मिता रैली में लगे नारे 'गाय नी पुछड़ु तनी राखो, अमे अमारी जमीन आपो' का संदेश स्पष्ट था. अब दलित समुदाय यह समझ चुका है कि जमीन पर जिसका मालिकाना हक होगा, वही समाज में वर्चस्वशाली तबका होगा. अब वे पुश्तैनी काम छोड़कर समाज में बराबरी का हक हासिल करने के लिए सरकार से सीधी बात करने की तैयारी में हैं. एकता परिषद के नेता पीवी राजगोपाल लंबे समय से दलितों को जमीन दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं. कई बार जन सत्याग्रह के दौरान देशभर से हजारों दलितों ने दिल्ली कूच किया, पर सरकार उनकी मांगों को लेकर बहरी बनी रही. अब उनका नारा है, फर्स्ट लैंड, देन वोट, नो लैंड, नो वोट. वे कहते हैं, दलितों को अहसास हो गया है कि जन सत्याग्रह के जरिए राजपथ पर केवल पदयात्रा करने से जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलेगा, अब सरकार को दलित समुदाय की सियासी ताकत का अहसास कराना होगा. इसलिए उत्तरप्रदेश व पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले दलित समुदाय रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की तैयारी में जुटे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

दलितों की जमीन पर दबंगों की नज़र

वहीं, यूपी जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अंतर्गत उत्तरप्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब दलितों की जमीन कोई भी खरीद सकता है. वर्तमान में यह नियम था कि यदि किसी दलित या एससी के पास 1.26 हेक्टेयर से कम जमीन है तो जिलाधिकारी उसे जमीन बेचने की अनुमति नहीं देते हैं. आर्टिकल 157 (ए) के अनुसार अब तक दलित किसी दलित को ही अपनी जमीन बेच सकते थे. हालांकि इसके पीछे सरकार की दलील है कि इसके कारण दलित आसानी से अपनी जमीन किसी को बेच सकेंगे और उन्हें जमीन की अधिक कीमत मिल सकेगी. लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन विभाजन के कारण अब दलितों के पास काफी कम जमीन रह गई है, वहीं अधिक पैसा मिलने पर बाकी बची जमीन भी दलित बेच दें, तो फिर उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था भी सरकार को करनी होगी.

फिर बारूद के मुहाने पर झारखंड

आदिवासियों को जमीन दखल-दिहानी करने जा रहे अधिकारियों ने भी सरकार को यह साफ तौर पर कहा है कि उनकी जान पर खतरा है और वे लोग किसी भी समय जनता के आक्रोश का शिकार हो सकते हैं. गैर आदिवासी जहां एकजुट हो गये हैं, वही आदिवासी भी हथियार-हरवे के साथ सड़कों पर उतरने को तैयार हैं. आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच दूरियां लगातार बढ़ रही हैं और एक-दूसरे को लेकर घृणा एवं आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

प्रशांत शरण

झारखंड में डोमिसाइल एक की पुनरावृत्ति हो रही है और एक बार फिर यह प्रदेश अशांत होने की कगार पर खड़ा है. आदिवासियों की जमीन को दखल दिहानी को लेकर आदिवासी और गैर आदिवासी आमने-सामने हैं. राज्य सरकार के एक फरमान के बाद आदिवासी जमीन पर वर्षों से रह रहे गैर आदिवासियों को उजाड़ने का काम शुरू हो गया है, वैसे राज्य सरकार इस मामले में कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ ले रही है. इस मामले को लेकर गैर आदिवासी सड़कों पर उतर आये हैं, जबकि आदिवासी संगठन भी आदिवासियों को जमीन दिलाने के नाम पर खुलकर सामने आ गये हैं, जिससे झारखंड की स्थिति भयावह होने की आशंका दिख रही है. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है, वहीं राज्य के भू-राजस्व मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि छोटे आदिवासी प्लॉटों पर रह रहे गैर आदिवासियों को उजाड़ने नहीं दिया जाएगा, जबकि बड़े आदिवासी भूखंडों पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए आदिवासियों को जमीन वापस दिलाने का काम किया जाएगा. आदिवासी जमीन पर बने मकानों को लेकर एक मामला झारखंड उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. इसके बाद भी एसएआर कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने आदिवासियों को जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है.

राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ गैर आदिवासी गोलबंद हो गये हैं. राजधानी में 70 प्रतिशत गैर आदिवासियों ने आदिवासियों की जमीन पर अपना मकान बना लिया है. आदिवासियों को इस जमीन का मुआवजा भी दे दिया गया है. गैर आदिवासियों का मानना है कि उसने तिनका-तिनका जमा कर अपना मकान बनाया. जमीन की कीमत भी आदिवासियों को दे दी गयी और आदिवासी परिवार ने उस जमीन का रजिस्ट्री भी उनके नाम कर दिया है. जमीन का दखल कब्जा (म्यूटेशन) भी हो गया और अब सरकार उनलोगों से जमीन मांग रही है, आखिर वे लोग अब जाएं तो कहां जाएं. इनलोगों ने साफ तौर पर कहा कि वे लोग अपनी जान दे देंगे, पर जमीन नहीं देंगे. इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है, हजारों की संख्या में पुरुषों एवं महिलाओं ने सड़कों पर उतर कर उग्र प्रदर्शन किया, अंततः पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी. इधर आदिवासियों को जमीन दखल-दिहानी करने जा रहे अधिकारियों ने भी सरकार को यह साफ तौर पर कहा है कि उनकी जान पर खतरा है और वे लोग किसी भी समय जनता के आक्रोश का शिकार हो सकते हैं. गैर आदिवासी जहां एकजुट हो गये हैं, वही आदिवासी भी हथियार-हरवे के साथ सड़कों पर उतरने को तैयार हैं. आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच दूरियां लगातार बढ़ रही हैं और एक-दूसरे को लेकर घृणा एवं आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

दरअसल, आदिवासी उस समय से ही गोलबंद होने लगे थे, जब भाजपा की रघुवर सरकार ने सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया था. इस संशोधन संबंधी अध्यादेश लाने के बाद आदिवासी संगठन एवं झारखंड की पार्टियां एकजुट हो गईं और इस अध्यादेश को आदिवासी एवं मूलवासी विरोधी बताते हुए इसका विरोध करना शुरू कर दिया. विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस अध्यादेश से उद्योगपतियों को फायदा होगा और आदिवासी एवं मूलवासी अपने जमीन से बेदखल हो जाएंगे. विभिन्न संगठनों ने इसे वापस लेने की मांग करते हुए राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया. विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाया और आग में घी डालने का काम किया, इस कारण आदिवासियों और मूलवासियों में बाहरी को लेकर आक्रोश बढ़ता गया. परिणाम यह हुआ कि जब दखल दिहानी के नाम पर प्रशासन गैर आदिवासियों से जमीन वापस लेने गये तो गैर आदिवासी उग्र हो गये और पुलिस एवं प्रशासन पर पथराव करना शुरू कर दिया. इधर आदिवासी भी अपनी जमीन को वापस कराने के नाम पर अड़े हुए हैं, जो कभी भी भयानक रूप ले सकता है. इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि झारखंड एक बार फिर बारूद की ढेर पर खड़ा हो गया है.

दख़ल दिहानी नहीं रुकी तो बिगड़ेंगे हालात: ख़ुफ़िया विभाग

राजधानी सहित राज्य के अन्य हिस्सों में प्रशासन के नोटिस पर आदिवासी जमीन की दखल-दिहानी को लेकर खुफिया विभाग ने राज्य सरकार को सतर्क किया है. अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि अगर दखल-दिहानी नहीं रुकी तो हालात बिगड़ जाएंगे और राज्य में एक बार फिर आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसात्मक घटनाएं घट सकती हैं. ऐसे में प्रशासनिक कदम उठाने के पूर्व तमाम बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए फूंक-फूंक कर कदम उठाना होगा. रांची के किशोरगंज और हरमू में इसकी बानगी देखने को मिल चुकी है. जब दखल दिहानी के ख़िलाफ लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखा. रांची जिला प्रशासन ने राजधानी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों को नोटिस भेजकर दखल दिहानी की चेतावनी दी है, ऐसे में विधि-व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है. खासकर अराजक तत्व ऐसे मौके का फायदा उठा सकते हैं और इसका राजनीतिक कुप्रभाव भी पड़ सकता है. राजनीतिक लाभ लेने के लिए दोनों पक्ष इसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं. खुफिया तंत्र ने सुझाव दिया है कि ऐसे में दखल-दिहानी प्रक्रिया को रोका जाए. प्रशासन को लोगों को विश्वास में लेना चाहिए और अफवाह फैलानेवाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए.■

रैयतों की मर्ज़ी के बगैर सरकार ज़मीन नहीं लेगी: मंत्री

दशकों से गैर मजरुआ व आदिवासी जमीन पर बसे लोगों की अवैध जमाबंदी रद्द करने के फरमान के बाद आदिवासी भूमि पर दखल दिहानी की प्रशासनिक कवायद से उत्पन्न स्थिति से राज्य के भू-सुधार व राजस्व मंत्री अमर बाउरी खासे चिंतित हैं. वैसे वे सीएनटी व एसपीटी एक्ट संशोधन अध्यादेश को लोक-कल्याणकारी मानते हैं. उनका मानना है कि एसएआर कोर्ट को आदिवासियों ने जमीन हथियाने का हथियार बना लिया है. विपक्षी दलों पर हमला करते हुए मंत्री ने कहा कि सीएनटी व एसपीटी एक्ट में संशोधन को विपक्ष बेवजह तूल दे रहा है.

आदिवासी भूमि पर दखल-दिहानी के खिलाफ लोग गोलबंद हो रहे हैं. विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गयी है. इस पर सरकार क्या सोच रही है, के सवाल पर चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि दखल-दिहानी कानूनी कार्रवाई का एक हिस्सा है, ऐसा कोर्ट के आदेश पर हो रहा है. कुछ लोगों ने एसआर कोर्ट का इस्तेमाल जमीन हथियाने के लिए एक हथियार के रूप में किया. संबंधित जमीन का उपयोग व्यावसायिक रूप में हो रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार जल्द इस मामले में स्थिति स्पष्ट करेगी. जनहित में सारे कानून सम्मत कदम उठाए जाएंगे. किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा. अवैध जमाबंदी के सवाल पर उन्होंने कहा कि छोटे प्लॉट पर निवास कर रहे गरीबों को नियमित कर देना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने बड़े-बड़े प्लॉट हथिया लिए हैं, उनको किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा. सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन अध्यादेश को लेकर हो रहे विरोध के बारे में बाउरी ने कहा कि विपक्ष बेवजह मामले को तूल दे रहा है. झारखंड की जनता विकास चाहती है, तो विकास हवा में तो नही, जमीन पर ही होगा. ऐसे में हर हाल में जमीन चाहिए. उन्होंने कहा कि रैयतों की मर्जी के बगैर सरकार एक इंच भी जमीन नहीं लेगी. सीएनटी-एसपीटी एक्ट की मूल भावना में बगैर छेड़छाड़ किए सरकार जनहित और आदिवासियों के हित में संशोधन चाह रही है. संशोधन यूं ही नही हो जाएगा और इस पर बहस की गुंजाइश है. झारखंड और झारखंड के निवासी अगर विकास चाहते हैं, तो उसे बदलाव स्वीकार करना होगा, अन्यथा वह कह दे कि वह इसी अवस्था में रहना चाहता है. पहले यही विपक्ष के नेता संशोधन के हिमायती थे, पर अब वे इसका विरोध कर रहे हैं. विरोध की राजनीति का प्रतिरोध करने पर ही विकास के रास्ते खुलते हैं. इसलिए सरकार की मंशा पर बिना संदेह किये लोगों को सहयोग करना चाहिए.■

क्या कहता है सीएनटी एक्ट

आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए ब्रिटिश शासनकाल में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट एवं संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बनाया गया था. सीएनटी एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी गैर आदिवासी ने अगर 1969 से पहले आदिवासी जमीन पर मकान बना लिया है और लगातार रहता आ रहा है, मकान की कीमत उस वक्त 10 हजार रुपए से अधिक होनी चाहिए, इसके साथ ही उनके पास 1969 से पहले का कोई दस्तावेज हो, जैसे बिजली का बिल या पानी का कनेक्शन या होल्डिंग नंबर तो ऐसे मामले में कंपनसेशन पर विचार किया जा सकता है. परंतु 1969 के बाद के किसी भी मामले में कंपनशेसन का कोई प्रावधान ही नहीं है. ऐसे ही मामलों में अब एसआर कोर्ट से रेस्टोरेशन आदेश दिया जा रहा है. यह एक्ट 1908 से प्रभावी है, पर राजधानी रांची सहित अन्य जगहों पर एसआर कोर्ट का गठन 1969 में हुआ. इसके पहले जिला के कलेक्टर को यह विशेष अधिकार दिया गया था. उन्हें आदिवासी जमीन का कस्टोडियन बनाया गया था. 1990 तक तो थोड़ी बहुत स्थिति ठीक थी, परंतु उसके बाद इस न्यायालय में जो भी मामले आये तो कोर्ट ने रेस्टोरेशन के बजाय कंपनशेसन दे दिया. नतीजा यह हुआ कि इस न्यायालय से ही 40 हजार मामलों में रेस्टोरेशन के बजाय कंपनशेसन दे दिया गया. इससे राज्य के कई बड़े अधिकारी और राजनेता भी लाभान्वित हुए. इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि कोई गैर आदिवासी अगर आदिवासी की जमीन खरीदता है तो पहले उसे उस जमीन का मुआवजा उक्त प्रभावित आदिवासी जमीन मालिक को देना होगा. पर इसका अवैध फायदा लोगों ने उठाना शुरू कर दिया और इस एक्ट में कुछ संशोधन कर आदिवासियों की बड़ी जमीन खरीद ली.■

सरकार चेते, नहीं तो सब्र का बांध टूटेगा: हेमंत

विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा सरकार स्थानीय एवं आदिवासी लोगों का अस्तित्व समाप्त करने की साजिश में लगी हुई है. सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन कर आदिवासी एवं मूलवासी की जमीन हड़पकर उद्योगपतियों को देना चाह रही है. इस कारण कृषि वाली भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार भी सरकार चाह रही है और नये संशोधन में इस बात का प्रावधान किया गया है. इससे आदिवासी और मूलवासी जमीन से बेदखल हो जाएंगे. उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच विवाद उत्पन्न कराकर अपना हित साधने की कोशिश कर रही है. सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार इस अधिनियम में संशोधन नहीं करे, नहीं तो लोगों के सब्र का बांध टूट जायेगा और इसका गंभीर खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि राजधानी में जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा जमा लिया है, उसे फिर से आदिवासियों को वापस दिलाने की पहल सरकार को करनी चाहिए. आदिवासी पहले ही राज्य में भूमिहीन हो रहे हैं. इससे आदिवासियों एवं मूलवासियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. सरकार आदिवासियों की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करे. उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस अधिनियम में संशोधन के खिलाफ पूरे झारखंड में आंदोलन छेड़ेगा.

राजधानी से सटे गोला प्रखंड में रैयतों पर हुई गोलाबारी की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण का ही परिणाम है कि उद्योगपतियों ने जमीन मालिकों पर गोलियां बरसाईं. उन्होंने इस कांड की निंदा करते हुए कहा कि राज्य की स्थिति भयावह होती जा रही है. किसान, मजदूर और रैयतों पर सरकार गोली चलवा रही है. पूरा राज्य अस्त-व्यस्त हो गया है और लोगों से जबरन जमीन ली जा रही है. लोगों के हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है. सोरेन ने सरकार में शामिल आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की आलोचना करते हुए कहा कि एक तरफ सुदेश सरकार के समर्थन में है, तो दूसरी ओर जनता के हित की बात कहकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं. उन्हें जब जनता की इतनी फिक्र है, तो सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेते? ■

सरकार आदिवासियों को ज़मीन वापस दिलाए: बंधु तिर्की

राज्य के पूर्व मंत्री व झारखंड जनाधिकार मंच के नेता बंधु तिर्की ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आदिवासियों को झांसा देना बंद करे, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहे. उन्होंने कहा कि सरकार विकास के नाम पर आदिवासियों को उजाड़ने का काम कर रही है. जल, जंगल और जमीन छिन जाने से आदिवासियों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है. उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासियों की हड़पी गयी जमीन पर फिर से दखल दिहानी दिलाए, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहे. उन्होंने कहा कि दखल दिहानी सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट में हो रहे संशोधन के विरोध में 22 अक्टूबर को रांची में एक रैली का आयोजन किया गया है. साथ ही राजभवन का घेराव किया जाएगा. इस महाजुटान में 5 लाख से अधिक आदिवासी भाग लेंगे. साथ ही चालीस से अधिक आदिवासी व स्थानीय संगठनों ने इस रैली को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है. बंधु तिर्की ने चेतावनी दी है कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट को सरकार खारिज करे अन्यथा आंदोलन और उग्र किया जाएगा. यह संशोधन आदिवासी व मूलवासी के हित में नहीं है. सरकार राजधानी में आदिवासियों की जमीन पर बसे लोगों को जल्द हटाकर आदिवासियों को दखल कब्जा दिलाये. ■

आंदोलन शुरू कर दिया. विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाया और आग में घी डालने का काम किया, इस कारण आदिवासियों और मूलवासियों में बाहरी को लेकर आक्रोश बढ़ता गया. परिणाम यह हुआ कि जब दखल दिहानी के नाम पर प्रशासन गैर आदिवासियों से जमीन वापस लेने गये तो गैर आदिवासी उग्र हो गये और पुलिस एवं प्रशासन पर पथराव करना शुरू कर दिया. इधर आदिवासी भी अपनी जमीन को वापस कराने के नाम पर अड़े हुए हैं, जो कभी भी भयानक रूप ले सकता है. इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि झारखंड एक बार फिर बारूद की ढेर पर खड़ा हो गया है.

सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर आदिवासियों में कितना आक्रोश है, इसका एक उदाहरण देखते हैं. रांची से सटे रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड में इनलैंड पावर फैक्ट्री के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था. इसके लिए जमीन मालिकों को मुआवजा भी दिया गया था, पर कुछ जमीन मालिक इसका विरोध कर रहे थे. जमीन मालिकों ने फैक्ट्री का घेराव किया और विस्थापित हुए लोगों को नौकरी और मुआवजा की मांग करने लगे. बातचीत के क्रम में विस्थापित इतने उग्र हो गये कि उन्होंने अधिकारियों को पीट दिया और अंचलाधिकारी की गाड़ी में आग लगा दी, पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए गोली चलानी पड़ी, जिसमें तीन विस्थापितों की मौत हो गयी, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गये. इससे भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड किस ओर बढ़ रहा है. वैसे आदिवासियों की जमीन खरीदने के लिए इसमें हमेशा संशोधन होते रहे हैं. इसमें यह प्रावधान है कि 1969 से जो लोग आदिवासी की जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं एवं इस जमीन की कीमत प्रभावित को दे दिया है, उसे बेदखल नहीं किया जा सकता है, वह जमीन उसकी मानी जाएगी. नेताओं एवं अधिकारियों ने अपने फायदे के लिए हमेशा इस अधिनियम में संशोधन कराए. अविभाजित बिहार में तो आईएएस अधिकारियों ने अपने फायदे के लिए अधिनियम में संशोधन कराकर लगभग दो सौ एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर आईएएस कॉलोनी बना ली. आज रांची का यह सबसे पॉश इलाका अशोक नगर के नाम से जाना जाता है. आदिवासी नेताओं ने भी संशोधन कर आदिवासियों की जमीन अपने नाम से खरीद ली. झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन एवं हेमंत सोरेन ने भी कई एकड़ जमीन खरीदी.

विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करे, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहे. उन्हीं मुख्यमंत्री रघुवर दास का मानना है कि अगर झारखंड के लोग विकास चाहते हैं तो कुछ चीजों पर समझौता करना ही होगा. पर अब देखना है कि राज्य के भोले-भाले आदिवासी अब क्या कदम उठाते हैं, विपक्षी की बातों में आकर राज्य को अशांत करना चाहते हैं या फिर राज्य को समृद्ध. पर अभी जो हालात बने हैं, इससे यह स्पष्ट है कि सरकार अगर इस मामले को कड़ाई से नहीं लेती है तो फिर स्थिति को नियंत्रण में करना मुश्किल हो सकता है और यहां की भी स्थिति पूर्वोत्तर के राज्यों की तरह होने में देर नहीं लगेगी.■

feedback@chauthiduniya.com

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' लागू करे सरकार

ताकि वंचित बच्चों तक पहुंच सके शिक्षा

स्कूल वाउचर के माध्यम से सभी दुर्बल वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को एक निश्चित धनराशि का वाउचर उनकी फीस की प्रतिपूर्ति के लिए दिया जाता है. इस वाउचर को बच्चे अपने फीस के रूप में अपने स्कूल में प्रतिमाह जमा करा देते हैं. स्कूल इन सभी वाउचरों को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसे सरकार ने भुगतान हेतु अधिकृत किया होगा, में प्रस्तुत कर वाउचर के बराबर की धनराशि प्राप्त कर सकते हैं. स्कूल वाउचर मिलने से प्रत्येक दुर्बल वर्ग एवं अलाभित समूह के बच्चों के अभिभावकों के ऊपर यह नैतिक दबाव होगा कि वे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल जरूर भेजें.

अजय श्रीवास्तव

देश के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा दिलाने के लिए केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति बनाने के साथ ही उसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी में है. नई शिक्षा नीति में भारत सरकार को भी अमेरिका, हांगकांग, न्यूज़ीलैंड, कोलंबिया, यूके, नीदरलैंड, चिली, आयरलैंड तथा स्वीडन जैसे देशों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के अंतर्गत चल रहे 'स्कूल वाउचर' की सुविधा लागू करनी चाहिए, ताकि शिक्षा में पारदर्शिता बनी रहे और गरीब अभिभावकों को भी अपने बच्चों को मनपसंद स्कूल में पढ़ाने का अधिकार मिल सके. इस 'स्कूल वाउचर व्यवस्था' के माध्यम से देश के सभी दुर्बल वर्ग एवं वंचित समूह के प्रत्येक बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन को आसानी से पहुंचाया जा सकता है.

स्कूल वाउचर के माध्यम से सभी दुर्बल वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को एक निश्चित धनराशि का वाउचर उनकी फीस की प्रतिपूर्ति के लिए दिया जाता है. इस वाउचर को बच्चे अपने फीस के रूप में अपने स्कूल में प्रतिमाह जमा करा देते हैं. स्कूल इन सभी वाउचरों को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसे सरकार ने भुगतान हेतु अधिकृत किया होगा, में प्रस्तुत कर वाउचर के बराबर की धनराशि प्राप्त कर सकते हैं. स्कूल वाउचर मिलने से प्रत्येक दुर्बल वर्ग एवं अलाभित समूह के बच्चों के अभिभावकों के ऊपर यह नैतिक दबाव होगा कि वे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल जरूर भेजें. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में चलने वाले निजी स्कूल अपने यहां पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से प्रतिमाह 100 से 200 रुपये फीस ले रहे हैं, जबकि दुर्बल वर्ग एवं अलाभित समूह के बच्चों की फीस के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिमाह 450 रुपये दे रही है. स्कूल वाउचर व्यवस्था शुरू होने पर जिस क्षेत्र में निजी स्कूल नहीं हैं, वहां भी निजी स्कूलों का खुलना शुरू हो जाएगा.

संविधान ने 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी है. लेकिन सरकारी स्कूलों की शैक्षिक गुणवत्ता बेहतर नहीं होने के कारण अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल (जहां निःशुल्क शिक्षा के साथ ही सरकार उन्हें दोपहर का खाना, किताबें, कॉपियां और बैग तक मुफ्त दे रही है) में भेजना नहीं चाहते. इसके हल के रूप में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत सरकार ने निजी असहायतित स्कूलों में दुर्बल वर्ग एवं अलाभित समूह के बच्चों के लिए केवल 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर अपना दायित्व पूरा कर लिया. इस व्यवस्था के तहत भी सरकार देशभर के 24 प्रतिशत दुर्बल वर्ग एवं अलाभित समूह के बच्चों में से केवल 4 प्रतिशत बच्चों को ही निजी असहायतित स्कूलों में पढ़ाने की व्यवस्था कर सकी. शेष 20 प्रतिशत बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा?

राष्ट्रीय अपव्यय से संबंधित आंकड़ा (2014-2015) बताता है देश के 50 या 50 से कम संख्या वाले 3,72,163 सरकारी स्कूलों के 8,38,385 शिक्षकों के वेतन पर सरकार ने 41,630 करोड़ रुपये खर्च किए. एक ओर इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे पर प्रति वर्ष 24,979 रुपए खर्च किया जा रहा है तो दूसरी तरफ सरकार निजी स्कूलों को भी दुर्बल वर्ग एवं अलाभित समूह के 25 प्रतिशत छात्रों की पढ़ाई की प्रतिपूर्ति के लिए भारी धनराशि दे रही है. इस तरह बच्चों की शिक्षा पर राज्य सरकारें इस देश के आयकरदाताओं की एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च कर अपने राजकोष का दुरुपयोग कर रही है.

वर्तमान में भारत सरकार के साथ ही प्रदेश सरकारें भी अपने छात्र-छात्राओं को पहले से ही फीस की प्रतिपूर्ति तथा स्कॉलरशिप की धनराशि 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (डीबीटी) के जरिए उनके खाते में भेज रही हैं. इसके साथ ही गैस सब्सिडी, खाद सब्सिडी, केरोसिन पर सब्सिडी आदि योजनाओं को भी सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ही संचालित कर रही है, ताकि पारदर्शी तरीके से सीधे नागरिकों तक योजना का लाभ पहुंच सके. इसी तरह शिक्षा के लिए भी डीबीटी व्यवस्था के जरिए स्कूल वाउचर की व्यवस्था 'नई शिक्षा नीति' में शामिल होनी चाहिए.■

feedback@chauthiduniya.com

'स्कूल वाउचर' व्यवस्था के लाभ

1. 'स्कूल वाउचर' गरीब छात्रों को सशक्त करता है कि वे अपनी पसंद के स्कूल में जाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें. अगर बच्चों एवं उनके अभिभावकों की उम्मीद पर वह स्कूल खरा नहीं उतरता है तो अभिभावक अपने बच्चे को उस स्कूल से निकालकर किसी अन्य स्कूल में प्रवेश दिला सकते हैं.

2. 'स्कूल वाउचर' व्यवस्था प्रत्येक दुर्बल वर्ग एवं अलाभित समूह के बच्चों को समानता का अवसर प्रदान करता है.

3. बच्चों के अभिभावकों को सीधे 'स्कूल वाउचर' मिलने से उनके अंदर आत्मसम्मान की वृद्धि होगी कि उनके बच्चे स्कूल को फीस देकर पढ़ाई कर रहे हैं न कि किसी की दया के पात्र बनकर. इससे बच्चों के अंदर भी हीन भावना नहीं आएगी.

4. 'स्कूल वाउचर' द्वारा मिलने वाली एक निश्चित धनराशि की आय को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों के बीच अधिक से अधिक बच्चों का प्रवेश अपने यहां लेने के लिए प्रतिस्पर्धा होगी जिसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से फायदा बच्चों को ही मिलेगा.

5. स्कूल प्रबंधक 'स्कूल वाउचर' से मिलने वाली धनराशि को प्राप्त करने के लिए अपने स्कूल द्वारा बच्चों को दी जाने वाली गुणवत्ता को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे.

6. एक निश्चित आय की गारंटी मिलने की दशा में देश के पिछड़े इलाके में निजी स्कूलों को खोलने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे एक ओर जहां युवाओं को नए रोजगार का अवसर मिलेगा तो वहीं उस क्षेत्र के दुर्बल वर्ग एवं अलाभित समूह के सभी बच्चों को इन नए निजी असहायतित स्कूलों के माध्यम से गुणात्मक शिक्षा भी मिल सकेगी.

7. 'स्कूल वाउचर' मिलने से बच्चों के अभिभावक भी निजी स्कूलों की गुणवत्ता पर अपनी नजर रखेंगे जिसके परिणामस्वरूप उस स्कूल के शिक्षक भी अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. इससे स्कूलों एवं शिक्षकों की जवाबदेही भी बढ़ेगी क्योंकि अच्छी गुणात्मक शिक्षा न मिलने पर अभिभावक अपने बच्चों को उस स्कूल से निकाल लेंगे.

8. सरकारी स्कूलों से निकलकर निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश लेने से सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर यह नैतिक जिम्मेदारी बनेगी कि वे इसके लिए विचार करें कि आखिर सरकारी स्कूलों के बच्चे निजी स्कूलों में क्यों जा रहे हैं? इससे वे सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी प्रयास करेंगे.

वर्तमान में भारत सरकार के साथ ही प्रदेश सरकारें भी अपने छात्र-छात्राओं को पहले से ही फीस की प्रतिपूर्ति तथा स्कॉलरशिप की धनराशि 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (डीबीटी) के जरिए उनके खाते में भेज रही हैं. इसके साथ ही गैस सब्सिडी, खाद सब्सिडी, केरोसिन पर सब्सिडी आदि योजनाओं को भी सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ही संचालित कर रही है, ताकि पारदर्शी तरीके से सीधे नागरिकों तक योजना का लाभ पहुंच सके.

शिक्षा के लिए तरसती जमात की आंखें अदालत पर टिकीं

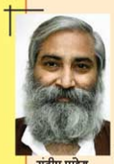

संदीप पांडेय

वर्ष 1968 में कोठारी आयोग ने भारत में समान शिक्षा प्रणाली और पड़ोस के विद्यालय की अवधारणा लागू करने की सिफारिश की थी. आज 48 वर्षों बाद देश में दो किस्म की व्यवस्था है. पैसे वाले अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजते हैं जहां से पढ़कर बच्चा अपनी रोजी रोटी कमाने लायक हो जाता है. लेकिन देश की आम गरीब जनता अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में नहीं पढ़ा सकती, उसके बच्चे सरकारी विद्यालय में अपना जीवन नष्ट करने के लिए अभिशप्त हैं.

1991 में जब से नई आर्थिक नीति लागू हुई तब से शिक्षा में निजीकरण की प्रक्रिया काफी तेज हो गई. शिक्षा सिर्फ ज्ञान अर्जन का कार्यक्रम नहीं रह गया बल्कि पूरी तरह से व्यवसाय बन गया. अन्य क्षेत्रों की तरह विद्यालय भी कॉरपोरेट शैली में काम करने लगे. हाल में गाजियाबाद में डीएस पब्लिक स्कूल की छात्रा प्रियांशी सिंह ने जिस तरह तीन माह का शुल्क न दिए जाने के कारण स्कूल द्वारा उसके पिता को अपमानित किए जाने पर आत्महत्या कर ली थी, उससे ऐसा लगता है कि बच्चे की पढ़ाई की फीस नहीं दे पाने वाला अभिभावक अपराधी है और उससे जबरदस्ती वसूली कराया जाना उचित है.

शिक्षा का अधिकार अधिनियम को तहत 25 प्रतिशत गरीब परिवारों के बच्चों को निजी विद्यालयों में दाखिले की मंजूरी मिली. जबकि देश में गरीबी का प्रतिशत 75 है. निजी विद्यालयों का प्रतिशत 25 से बहुत कम है, लिहाजा गरीबों की बड़ी तादाद इस प्रावधान के बावजूद प्रस्तावित लाभ से वंचित रह गई. बहरहाल, इस व्यवस्था को कई प्रतिष्ठित या महंगे विद्यालय नहीं मानते. वे नहीं चाहते कि उनके यहां गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ें. कानूनी अधिकार बन जाने से अब विद्यालयों के लिए मुश्किल हो गया है कि वे दाखिले के आदेश के बाद प्रवेश से मना कर दें. लखनऊ के प्रतिष्ठित विद्यालय सिटी मांटेसरी ने पिछले वर्ष 31 बच्चे, जिनमें 23 वाल्मीकि परिवारों के थे तथा शेष 6 अन्य पिछड़ा वर्ग सहित 8 मुस्लिम परिवारों के, तो विद्यालय दाखिले से इंकार करते हुए न्यायालय चला गया. अंत में उच्च न्यायालय ने उन 13 वाल्मीकि परिवारों के बच्चों के दाखिले का आदेश दिया जो विद्यालय से एक किलोमीटर की दूरी के अंदर रह रहे थे, क्योंकि इस प्रावधान में विद्यालय के पड़ोस में रहने वाले बच्चे ही इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इस वर्ष फिर जब यह विद्यालय सर्वोच्च न्यायालय जाकर यह कहने लगा कि इन बच्चों को उनके घर के पास अन्य विद्यालयों में दाखिला दिला दिया जाए और अन्य विद्यालयों से इस बात का शपथ पत्र भी दाखिल करा दिया कि वे इन 13 बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं तो न्यायालय ने विद्यालय को फटकार लगाते हुए कहा कि बच्चे कोई फुटबॉल नहीं हैं कि उन्हें इधर से उधर किया जाए. इस वर्ष भी यह विद्यालय 58 बच्चों जिनके दाखिले का आदेश बेसिक शिक्षा अधिकारी ने किया है, को नामांकन देने को तैयार नहीं. विद्यालय के सामने अभिभावक प्रदर्शन कर चुके हैं, थाने में शिकायत कर चुके हैं एवं जिलाधिकारी ने विद्यालय को उसकी मान्यता रद्द करने की चेतावनी दे दी है.

विडंबना यह है कि 18 अगस्त, 2015 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने यह फैसला दिया था कि सरकारी वेतन पाने वालों के बच्चे अनिवार्य रूप से अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाएं. लेकिन अदालत के इस फैसले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. अदालत की सोच यह थी कि जब अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों व न्यायाधीशों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ेंगे तो उनकी गुणवत्ता सुधरेगी और तभी भारत के आम इंसान के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम का लाभ मिल पाएगा. किंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के फैसले को लागू नहीं किया. जब रायबरेली के एक अभिभावक ने सरकार के खिलाफ अवमानना का मुकदमा किया तो 8 अगस्त, 2016 को उच्च न्यायालय ने फैसले के वक्त मुख्य सचिव रहे आलोक रंजन को नोटिस भेजी है एवं वर्तमान मुख्य सचिव दीपक सिंघल को दो माह का समय दिया है ताकि वे फैसले को लागू करा सकें.■

feedback@chauthiduniya.com

छिटमहल में राहत और पुनर्वास

भारत से कहीं बेहतर बांग्लादेश

अभिषेक रंजन सिंह

पड़ोसी मुल्क़ बांग्लादेश न सिर्फ़ एक छोटा देश है, बल्कि कई मामलों में भारत से पीछे है. पिछले साल हुए भूमि सीमा समझौता (एलबीए) की दुनिया भर में तारीफ़ हुई. कई दशकों तक स्टेटलेस रहे लोगों को न सिर्फ़ अपना वतन हासिल हुआ, बल्कि एक सम्मानजनक ज़िंदगी भी. कूचबिहार में मौजूद 51 बांग्लादेशी छिटमहल (इन्कलेव) जो अब भारतीय भूभाग है, वहां रहने वाले लोगों को अभी तक कोई ख़ास सुविधा नहीं मिल पाई है. यहां न तो सड़कें बनी हैं और न ही लोगों के घरों तक बिजली पहुंची है. वहीं बांग्लादेश में मौजूद 111 भारतीय इन्कलेव, जो अब बांग्लादेशी भूभाग है, वहां शेख हसीना सरकार ने समझौते के तत्काल बाद ही राहत और पुनर्वास कार्यक्रम शुरू कर दिया. वहां गांवों में पक्की सड़कें बन गई हैं, लोगों को बिजली के नए कनेक्शन मिले हैं और गांवों में स्कूल और अस्पताल भी खुल गए हैं. बांग्लादेश सरकार अपने नए नागरिकों को रोज़गार भी मुहैया करा रही है. वहीं पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले में काफ़ी पीछे है. समझौते बाद छिटमहल भारतीय नक्शा में शामिल तो हो गया, लेकिन वहां रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में कोई विशेष बदलाव नहीं आया. मध्य मसालडांगा के सबसे बुज़ुर्ग वाशिंदा असगर अली को इस बात खुशी है कि अपने जीते जी उन्हें वतन नसीब हुआ. लेकिन छिटमहल में विकास कार्य नहीं होने से वह काफ़ी दुखी हैं.

उल्लेखनीय है कि भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के बाद केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को राहत और पुनर्वास के लिए क़रीब 400 करोड़ रुपये की धनराशि मुहैया कराई है. लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार इन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है. कुछ ऐसा ही हाल बांग्लादेश से आए लोगों का है. बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन स्थित कुडीग्राम, लालमुनीरहाट और पंचगढ़ ज़िलों में 111 भारतीय छिटमहल थे, जो समझौते के बाद बांग्लादेशी भू-भाग बन गया. वहां रहने वाले करीब 39,000 हज़ार लोगों में से 922 ने भारत आने का फ़ैसला किया, इनमें अधिकांश हिंदू थे. भारत आए 922 लोगों को कूचबिहार के दिनहाटा, मेखिलीगंज और हल्दीबाड़ी स्थित अस्थायी राहत शिविरों में रखा गया है. ज़िला प्रशासन की ओर से प्रत्येक परिवार को मुफ्त में राशन मुहैया कराया जा रहा है. दो वर्षों के भीतर इन लोगों को स्थायी घर बनाकर दिए जाएंगे. सरकार और ज़िला प्रशासन भले ही तमाम सुविधाएं देने का दावा कर रही है, लेकिन यहां रहने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बांग्लादेश के कुडीग्राम ज़िले से आए उस्मान गनी कूचबिहार ज़िले के दिनहाटा राहत कैंप में रहते हैं. उस्मान के मुताबिक़, प्रशासन एक परिवार को महीने में 30 किलो चावल, पांच किलो दाल, पांच लीटर केरोसिन, दो लीटर सरसों तेल, एक किलो दूध पाउडर और डेढ़ किलो नमक देती है. यह एक छोटे परिवार के लिए मुफीद है, लेकिन जिन परिवारों में सदस्यों की संख्या अधिक हैं, वहां इतने कम राशन से काम नहीं चलेगा. दिनहाटा राहत शिविर में रहने वाले अजीजुल इस्लाम, नरेश वर्मन, सुनीता वर्मन, राशिदा बेगम और सुमित्रा वर्मन की भी यहीं शिकायतें है.

बांग्लादेश के लालमुनीरहाट से आए मोहम्मद उमर फ़ारुख यहां आने से पहले काफ़ी खुश थे, लेकिन यहां की व्यवस्थाओं से वह बेहद निराश हैं. उनके मुताबिक़, एक टिन के घर में रहना और किसी तरह पेट भरना ही ज़िंदगी नहीं है. यहां लोगों को स्थायी घर और रोज़गार चाहिए, ताकि बांग्लादेश से आए भारतीय नागरिक भी एक अच्छा जीवन व्यतीत करें. दरअसल, इन राहत शिविरों में रहने वाले ज्यादातर लोग मज़दूर हैं. दिनहाटा उनके लिए एक नई जगह है. मजदूरी की तलाश में अगर वे लोग बाहर निकलते हैं, तो उन्हें स्थानीय मज़दूरों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है. स्थानीय मज़दूरों का आरोप है कि बाहर से आए लोगों की वजह से उनकी रोज़ी-रोटी प्रभावित होगी. राजेश्वर अधिकारी बताते हैं, यहां के लोकल मज़दूर काम करने नहीं देते हैं, वे कहते हैं कि तुम सरकार से काम मांगों, जिसने तुम्हें यहां लाया है.

कक्षा नौ में पढ़ने वाली पंद्रह वर्षीय ज्योत्सना वर्मन कैंप से थोड़ी दूर एक स्कूल में पढ़ने जाती है. लेकिन स्कूली बच्चे उसे बांग्लादेशी कह कर तंज कसते हैं. इस वजह से यहां के कई बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है. दिनहाटा राहत शिविर के सामने एक सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहां न तो दवाईयां है और न ही डॉक्टर. यहां काम करने वाले कर्मचारी सजल बोस बताते हैं, गांगुली साहब इस अस्पताल के डॉक्टर है, लेकिन वह हफ्ते में एक दिन आते हैं.

पोआतुरकुटी छिटमल निवासी मंसूर अली मियां जमीन के दस्तावेज दिखाते हुए

बांग्लादेशी नागरिक होने का प्रमाण दिखाते सैयद अली मंडल

पहली बार किया मतदान

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कूचबिहार जिले की दिनहाटा, सिताई, मेखिलीगंज और शीतलकुची निर्वाचन क्षेत्र में पहली बार हजारों लोगों को अपना देश नसीब हुआ है. पिछले साल भारत और बांग्लादेश के बीच हुए भूमि सीमा समझौते के बाद इन विधानसभा सीटों में 9776 नए मतदाता शामिल हुए, जिन्होंने पहली बार मतदान किया. हल्दीबाड़ी और मेखिलीगंज में भी दो राहत शिविर बनाए गए हैं. इन शिविरों में लालमुनीरहाट और पंचगढ़ (बांग्लादेश) से आए दर्जनों परिवारों को रखा गया है. अपनी ज़िंदगी में पहली बार यहां के 567 लोगों ने इसी साल पांच मई को विधानसभा चुनाव में मतदान किया. दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 5486 नए मतदाता छिटमहलवासी के रूप में जुड़े हैं. वहीं शीतलकुची में 1898, सिताई में 1241 और मेखिलीगंज में 567 नए मतदाता जुड़े हैं. कूचबिहार ज़िला मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूर मध्य मसालडांगा छिटमहल (इन्कलेव) है. 1 अगस्त, 2015 से पहले यह बांग्लादेशी भू-भाग था. पांच मई को यहां रहने वाले 9209 लोगों ने पहली बार मतदान किया.

मोहम्मद असगर अली मध्य मसालडांगा के सबसे बुज़ुर्ग नागरिक हैं, उनकी उम्र 105 साल है. भारत और बांग्लादेश के बीच हुए छिटमहल के समझौते से वे काफी खुश हैं. वर्ष 1930 में असगर अली जब 10 साल के थे तो, अपने पिता मोहम्मद सौतू शेख़ के साथ जिला मैमन सिंह (अब बांग्लादेश) से रोजी-रोजगार की तलाश में कूचबिहार आए थे. असगर अली को इस बात की खुशी है कि ज़िंदगी के आखिरी समय में उन्हें भारत की नागरिकता हासिल हुई. मध्य मसालडांगा से पंद्रह किलोमीटर की दूर है पोआतुरकुटी (पूर्व में बांग्लादेशी छिटमहल) पचहत्तर वर्षीय मंसूर अली मियां के दादा 1925 में कुडीग्राम जिले से कूचबिहार आए थे. ■

वर्ष 1947 में बंटवारे के बाद कूचबिहार के राजा ने अपनी रियासत का विलय भारत में करने की घोषणा की. वहीं रंगपुर के नवाब पूर्वी पाकिस्तान में जाने का फ़ैसला किया. इस तरह शतरंज के खेल में दांव पर लगे गांवों की सीमाएं भी रातों-रात बदल गई. बंटवारे की तैयारी के दौरान ब्रिटिश सरकार के निर्देश पर जॉन रेडक्लिफ जब भारत और पाकिस्तान की सरहदों का नक्शा बनाने बैठे तो, भारत में शामिल हुए कूचबिहार और पूर्वी पाकिस्तान में शामिल रंगपुर की सरहद तय नहीं कर पाए.

कैसे बना छिटमहल

कूचबिहार के महाराजा और रंगपुर के नवाब की मित्रता उन दिनों काफ़ी मशहूर थी. दोनों मन बहलाने के लिए अक्सर शतरंज खेला करते थे. शतरंज के इस खेल में दोनों राजा अपनी रियासत के अधीन गांवों को दांव पर लगाते थे. नतीज़तन कूचबिहार के राजा की प्रजा कभी रंगपुर के नवाब की अवाम बन जाती थी तो, कभी रंगपुर के नवाब की अवाम कूचबिहार के राजा की प्रजा हो जाया करती थी. शतरंज के इस खेल में हर दांव के साथ अवाम की हैसियत बदल जाया करती थी. राजा और नवाब तो अपना मन बहलाने के लिए यह जुआ खेलते थे, लेकिन उसकी कीमत दोनों राजाओं के अधीन जनता को चुकानी पड़ती थी. ख़ैर, दोनों राजाओं का यह सामंती खेल इसी तरह चलता रहा और दोनों तरफ़ की जनता इससे परेशान होते रहे. वर्ष 1947 में बंटवारे के बाद कूचबिहार के राजा ने अपनी रियासत का विलय भारत में करने की घोषणा की. वहीं रंगपुर के नवाब पूर्वी पाकिस्तान में जाने का फ़ैसला किया. इस तरह शतरंज के खेल में दांव पर लगे गांवों की सीमाएं भी रातों-रात बदल गई. बंटवारे की तैयारी के दौरान ब्रिटिश सरकार के निर्देश पर जॉन रेडक्लिफ जब भारत और पाकिस्तान की सरहदों का नक्शा बनाने बैठे तो, भारत में शामिल हुए कूचबिहार और पूर्वी पाकिस्तान में शामिल रंगपुर की सरहद तय नहीं कर पाए. इस तरह उन्होंने बंटवारे का आधा-अधूरा नक्शा ब्रिटिश हुकूमत को सौंप दिया. भारत और पाकिस्तान की सीमाओं की औपचारिक घोषणा तो हो गई, लेकिन नक्शे पर भारत और पूर्वी पाकिस्तान तो दिखा, लेकिन रंगपुर और कूचबिहार के वे लोग जिन्हें शतरंज के दांव पर लगाया गया था, वे देशविहीन होकर रह गए. अब न तो कूचबिहार के राजा ज़िंदा हैं, न रंगपुर के नवाब और न ही जॉन रेडक्लिफ, लेकिन उनकी ग़लतियों का ख़ामियाजा भारत और बांग्लादेश में मौजूद छिटमहलों में बसे लोग पिछले 68 वर्षों से भुगत रहे थे.

छिटमहल विवाद सुलझाने की पहल

वर्ष 1958 में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज़ ख़ान नून ने सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश की थी. उस वक्त सर्वे मानचित्र को बदलने को लेकर समस्या पेश आई थी. इसके समाधान के लिए संविधान में संशोधन ज़रूरी था. लिहाज़ा वर्ष 1960 में संशोधित संविधान पेश तो हुआ, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच कई मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन पाई. इस दौरान वर्ष 1971 में मुक्ति युद्ध के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच 16 मई, 1974 को भूमि सीमा समझौता हुआ था, लेकिन 15 अगस्त 1975 को सैन्य तख्तापलट के दौरान उनकी हत्या कर दी गई. शेख मुजीब की हत्या के बाद बांग्लादेश-भारत भूमि सीमा समझौता ठप पड़ गया. वर्ष 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बांग्लादेश सरकार के साथ एक करार किया था, जो स्थल सीमा समझौता के नाम से प्रचलित है. 18 दिसंबर 2013 को संविधान के 119 वें संशोधन संबंधी एक विधेयक राज्यसभा में लाया गया. संसद की स्थायी समिति ने नवंबर 2014 में इसकी मंज़ूरी दी. 6 मई, 2015 को राज्यसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ. राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने 28 मई, 2015 को इस विधेयक पर अपने दस्तख़त किए. केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर गए. 6 जून, 2015 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि सीमा समझौते पर दस्तख़त किए. इस अहम समझौते के बाद भारत और बांग्लादेश की 75 सदस्यीय संयुक्त दल ने 6 जुलाई 2015 से 16 जुलाई 2015 के बीच दोनों देशों के छिटमहलों का सर्वेक्षण किया. 13 जुलाई, 2015 को संयुक्त दल की ओर से पश्चिम बंगाल के कूचबिहार ज़िले में मौजूद बांग्लादेश के सभी 51 छिटमहलों में एक आम सभा आयोजित किया गया. बांग्लादेशी छिटमहलों में रहने वाले इन सभी लोगों ने भारत के नागरिक बनकर यहीं रहने की बात कही. उसी तरह बांग्लादेश में मौजूद 111 भारतीय छिटमहलों में रहने वाले करीब 39,000 लोगों में से 922 लोगों छोड़कर सबों ने बांग्लादेश में रहने और वहां नागरिकता प्राप्त करने की इच्छा जताई. ■

feedback@chauthiduniya.com

नज़ीर पेश करेगा यह समझौता

भारत-बांग्लादेश छिटमहल विनिमय समन्वय समिति के सहायक सचिव दिप्तिमान सेन गुप्ता भूमि सीमा समझौते को ऐतिहासिक मानते हैं. **अभिषेक रंजन सिंह** ने उनसे विस्तारपूर्वक बातचीत की. प्रस्तुत हैं मुख्य अंश...

भारत और बांग्लादेश के बीच हुए इस समझौते से दोनों देशों को कितना फायदा होगा?

इस समझौते से लोग सोचते हैं कि भारत और बांग्लादेश के छिटमहल में रहने वाले महज 51000 लोगों का फायदा हुआ है, जबकि मेरा मानना है कि इससे करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है. दुनिया में यह पहली घटना है कि जब दो लोकतांत्रिक देश ने स्वेच्छा से अपनी भौगोलिक सीमाएं बदली हैं. यह विश्व के अन्य देशों के लिए एक मिसाल है. इससे सीख ले तो दुनिया के सभी विवादित सरहदों की समस्या सुलझाई जा सकती है. पूरी दुनिया में प्रतिदिन करीब 600 सुरक्षाकर्मी और नागरिक सरहद विवाद के चलते अपनी जान गंवाते हैं.

आपकी वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है. अब आपके संगठन की क्या भूमिका होगी?

भारत और बांग्लादेश के बीच हुए इस समझौते के बाद अब हमारे संगठन का संघर्ष खत्म हो गया. हालांकि, जनता की भलाई के लिए अब सिटीजन राइट्स कॉर्डिनेशन कमेटी (सीआरसीसी) का गठन किया जाएगा. इसके तीन अंग होगें- इंडियन पार्ट, बांग्लादेशी पार्ट और माइग्रेटेड पार्ट. यह नवगठित संगठन दोनों देशों के छिटमहल वासियों के साथ संपर्क में रहेगा. ■

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

भारतीय मीडिया का संकट

मुझे याद है कि जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तो समाचार पत्र के संपादक और मालिक के बीच टकराहट होती रहती थी. हिंदुस्तान टाइम्स के मालिक बिड़ला थे और संपादक एस मुलगांवकर थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक डालमिया एवं जैन थे और संपादक फ्रैंक मोरेस थे या फिर इंडियन एक्सप्रेस के मालिक राम नाथ गोयनका थे, जो अलग तरह के थे. उस समय बात कुछ और थी, लेकिन आज संपादक समाचार पत्र के मालिक के एजेंट हो गए हैं. अधिकांश संपादक अपनी सुविधा का ख्याल पहले रखते हैं. अधिकांश संपादक किसी विषय पर लिखने से पहले समाचार पत्र के मालिक से पूछते हैं कि कहीं इसे छापने से मालिक वर्ग के लोगों को नुक़सान तो नहीं होगा. मालिक भी संपादकों से पूछते हैं कि कौन सी कार आप लोग लेंगे, कितना वेतन आप लोग लेंगे या फिर किस तरह की सुविधा आप लेंगे. इस तरह से सारे के सारे संपादकीय वर्ग के लोग मालिक वर्ग में शामिल हो गए हैं.

दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी पत्रकारिता साल दर साल परिवर्तित हुई है. अगर हम 1947 में देश को मिली आज़ादी के बाद पिछले 70 सालों की बात करें तो पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हुए हैं. 1995 के मध्य में सेटेलाइट टीवी हमारे देश में आया. उसके बाद से 24 घंटे चलाए जाने वाले समाचार चैनलों ने अपना एक ब्रांड बनाया है, जिसमें एक ही समाचार बार-बार दिखाया जाता है. यही नहीं, हंसी तो इस बात पर आती है कि अलग-अलग समाचार चैनल अलग-अलग समाचार दोहराते रहते हैं. टीवी चैनलों के आ जाने से समाचार पत्रों पर उनका प्रभाव पड़ा है. समाचार पत्र बहुत ज़्यादा समाचार नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही हम टेलीविजन पर समाचार देख लेते हैं, लेकिन समाचार पत्रों की महत्ता इस बात के लिए है कि हम उनमें न केवल रोज़मर्रा के समाचार पाते हैं, बल्कि उसके साथ किसी मुद्दे पर विभिन्न लोगों के विचार भी हमें पढ़ने को मिलते हैं. समाचार पत्रों में जो रोज़ के समाचार दिए जाते हैं, उन्हें ग़लत तरीक़े से पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे समाचार लोग टीवी पर पहले ही देख लेते हैं. पत्रकारिता की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि पिछले दस सालों से कुछ समाचार पत्रों को छोड़कर अधिकांश समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के मालिक व्यवसायिक घराने हो गए हैं. इसका परिणाम यह हुआ कि आज जो समाचार हमें मिलते हैं, वे पूंजीपतियों के लिए होते हैं, न कि आम आदमी या फिर समाज के निचले तबक़े के लोगों के लिए. उदाहरण के तौर पर वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह के समय लाए गए आर्थिक सुधार को ले सकते हैं. मुझे विश्वास है कि किसी भी अन्य नीति की तरह इसके भी दो पक्ष हैं. यही वजह है कि कुछ लोग किसी नीति का समर्थन करेंगे और कुछ लोग विरोध. लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 1991 के बाद सभी समाचार पत्र और टीवी चैनल इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि आर्थिक सुधार ही भारत की सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है. यही कारण है कि 25 वर्षों के बाद लोग यह कहते नज़र आ रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, लेकिन तथ्य कुछ और है. यह विकास 1991 के पहले शुरू हुआ. अगर आप प्रत्येक पांच साल का औसत निकालेंगे तो पाएंगे कि परिणाम मिश्रित रहा है. कभी विकास की गति तेज़ रही तो कभी काफ़ी धीमी. पिछले तीन-चार सालों की बात करें तो विकास दर नीचे गिर रही है. इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि विकास दर का संबंध केवल आर्थिक नीति से है. इसके कई अन्य कारण भी हैं. उदाहरण के तौर पर इस समय अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, इसलिए विकास दर धीमी रही है. इसके लिए किसी विशेष आर्थिक नीति को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. मतलब यह है कि मीडिया को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए. आजकल मीडिया की निर्भरता कॉरपोरेट क्षेत्र पर अत्यधिक बढ़ गई है. किसी भी स्थिति में मीडिया विज्ञापनों के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र पर निर्भर रहता है, लेकिन पहले और आजकल की स्थिति में परिवर्तन आ गया है. पहले समाचार पत्रों के प्रसार और लोगों तक उनकी पहुंच के आधार पर विज्ञापन दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है. आजकल बड़े-बड़े औद्योगिक घराने शीर्ष के समाचार पत्रों को विज्ञापन नहीं देते, क्योंकि वे उनके ख़िलाफ़ लिखते हैं. मेरी जानकारी के अनुसार, किसी अन्य देश में ऐसा नहीं होता है. भारत में 1970 के दशक में इंदिरा गांधी डिफ्यूजन ऑफ प्रेस ऑनरशिप एक्ट नाम से एक विधेयक लाई थीं. यह विधेयक संसद में पेश तो हुआ, लेकिन पारित नहीं हुआ और कानून नहीं बन पाया. इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो व्यक्ति समाचार पत्र का मालिक है, वह किसी दूसरे उद्योग का मालिक नहीं हो सकता और जो किसी दूसरे उद्योग का मालिक है, वह समाचार पत्र नहीं निकाल सकता है. औद्योगिक घरानों ने इसका विरोध किया और कहा कि यह प्रेस की स्वतंत्रता पर आक्रमण है, जबकि वास्तविकता यह नहीं थी. आज प्रेस के ऊपर हमला किसी तानाशाह द्वारा नहीं, बल्कि धन कुबेरों द्वारा किया जा रहा है.

भारत में 1970 के दशक में इंदिरा गांधी डिफ्यूजन ऑफ प्रेस ऑनरशिप एक्ट नाम से एक विधेयक लाई थीं. यह विधेयक संसद में पेश तो हुआ, लेकिन पारित नहीं हुआ और कानून नहीं बन पाया. इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो व्यक्ति समाचार पत्र का मालिक है, वह किसी दूसरे उद्योग का मालिक नहीं हो सकता और जो किसी दूसरे उद्योग का मालिक है, वह समाचार पत्र नहीं निकाल सकता है. औद्योगिक घरानों ने इसका विरोध किया और कहा कि यह प्रेस की स्वतंत्रता पर आक्रमण है.

प्रेस को समाप्त करने के दो तरीक़े होते हैं. पहला यह है कि समाचार पत्र को प्रकाशित ही न होने दिया जाए. यह तरीक़ा तानाशाही वाले देशों में अपनाया जाता है. दूसरा तरीक़ा यह है कि प्रेस को पैसे से खरीद लो, ताकि वह सही विचार ही प्रस्तुत न कर सके. भारत में यही दूसरा तरीक़ा अपनाया जाता है. आजकल अगर कोई ग़रीबों, अल्पसंख्यकों, बेरोज़गारों एवं अनुसूचित जाति के लिए आवाज़ उठाता है, तो उसे मीडिया समाचार नहीं बनाता है. आजकल किसी समाचार पत्र का विचार उसके संपादक का विचार नहीं होता, बल्कि उस समाचार पत्र के मालिक का विचार होता है. ऐसा क्यों होता है. मुझे याद है कि जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तो समाचार पत्र के संपादक और मालिक के बीच टकराहट होती रहती थी. हिंदुस्तान टाइम्स के मालिक बिड़ला थे और संपादक एस मुलगांवकर थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक डालमिया एवं जैन थे और संपादक फ्रैंक मोरेस थे या फिर इंडियन एक्सप्रेस के मालिक राम नाथ गोयनका थे, जो अलग तरह के थे. उस समय बात कुछ और थी, लेकिन आज संपादक समाचार पत्र के मालिक के एजेंट हो गए हैं. अधिकांश संपादक अपनी सुविधा का ख्याल पहले रखते हैं. अधिकांश संपादक किसी विषय पर लिखने से पहले समाचार पत्र के मालिक से पूछते हैं कि कहीं इसे छापने से मालिक वर्ग के लोगों को नुक़सान तो नहीं होगा. मालिक भी संपादकों से पूछते हैं कि कौन सी कार आप लोग लेंगे, कितना वेतन आप लोग लेंगे या फिर किस तरह की सुविधा आप लेंगे. इस तरह से सारे के सारे संपादकीय वर्ग के लोग मालिक वर्ग में शामिल हो गए हैं. अब यह बहुत कठिन सवाल है कि इस विकासशील समाज में हम इसे कैसे रोक सकते हैं. मैं सोचता हूं कि एक ऐसा क़ानून होना चाहिए, जिसके द्वारा इसे रोका जा सके. डिफ्यूजन ऑफ प्रेस ऑनरशिप एक्ट इसे रोकने का एक रास्ता हो सकता है. इसके अलावा भी रास्ता हो सकता है. भारत में पत्रकार बनने के लिए किसी तरह की योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है. सबसे बड़ी बात तो यह है कि पत्रकार यह तर्क देते हैं कि निरक्षर लोग संसद में जा रहे हैं. संसद लोगों का प्रतिनिधित्व करती है. मान लें, आप कहते हैं कि सांसद बनने के लिए स्नातक की डिग्री ज़रूरी हो. इसका मतलब यह है कि आप 90 फीसदी लोगों को इससे अलग कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अधिकांश लोग ग्रे-जुएट नहीं हैं. इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि जो लोग हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे हमसे अलग वर्ग के हों. गांव के लोग गांव के लोगों में से ही किसी को अपना प्रतिनिधि चुनेंगे. मज़ाक़ की बात तो यह है कि पत्रकार सांसद के लिए योग्यता निर्धारित करने की मांग करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो हिंदी या अंग्रेज़ी तो जानते हैं, लेकिन और कुछ नहीं के बराबर जानते हैं. आजकल के युवा पत्रकार भारत के इतिहास के बारे में नहीं जानते, वे विश्व के इतिहास को भूल गए हैं. जो लोग संसद की रिपोर्टिंग करते हैं, वे यह ज़हमत नहीं उठाते कि पुस्तकालय में जाएं और इस बात की जानकारी लें कि जवाहर लाल नेहरू के समय में क्या हुआ था या फिर जब इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री सदन में थे तो क्या हुआ था. बहुत हुआ तो वे राजीव गांधी के समय तक की जानकारी रख पाते हैं. इसलिए भारत के पत्रकारों के स्तर में सुधार के लिए कुछ करने की आवश्यकता है. कैसे किया जाए, यह एक कठिन सवाल है. सबसे पहले समस्या का अनुभव करना ज़रूरी है, उसके बाद ही उसका समाधान हो सकता है. आज भारतीय मीडिया के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह संकट के दौर से गुज़र रहा है. अधिकांश समाचार पत्र कॉरपोरेट हाउसों के लिए काम कर रहे हैं. छोटे समाचार पत्रों को दबा दिया जाता है, क्योंकि वे विज्ञापन नहीं ले पाते हैं. इसलिए सरकार को इन छोटे समाचार पत्रों के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें. या फिर डिफ्यूजन ऑफ प्रेस ऑनरशिप एक्ट जैसा क़ानून लाना चाहिए. मैं इसे बहस का एक मुद्दा बनाना चाहूंगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

बढ़ता वतनपरस्ती का जज्बा

जब देश आजाद हुआ था, देशवासियों में जबर्दस्त जोश था. मुझे बचपन की याद है. 15 अगस्त के दिन हम बच्चे कागज के तिरंगे बनाकर, सेंठे की डण्डी में लगाकर गांव की गलियों में 'विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा' गाते हुए प्रभात फेरी निकालते थे. बीच के दौर में आजादी का यह महापर्व सिर्फ रवायत यानी रस्म अदायगी बन कर रह गया था. किंतु 14 अगस्त 2016 को मोदी जी की अपील पर जब पूरे देश के छात्र-छात्राओं, जवान, बूढ़े आजादी का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर तिरंगा लेकर निकले तो यह दृश्य देखने लायक था. जिस मुल्क के वाशिंदों के दिलों में इतना जोश हो, इंशाअल्ला अब उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता.

–राजकिशोर पाण्डेय 'प्रहरी',
लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश

पंजाब में किसकी आंधी

लीड स्टोरी कब राज करेगा खालसा में पंजाब को लेकर जो सूचनाएं दी गई हैं, वो वाकई हैरत में डालती हैं. पंजाब को आमतौर पर एक समृद्ध राज्य माना जाता है. लेकिन, यह स्टोरी बताती है कि कैसे वहां पर बादल परिवार समेत कुछ और लोग मिलकर पंजाब को बर्बादी के कगार तक ले आए हैं. नशा आज पंजाब की पहचान बन गया है. किसानों की दयनीय स्थिति पर भी इस स्टोरी में चर्चा की गई है. ऐसे में सवाल है कि पंजाब की हालत को सुधारने के लिए क्या कोई नया राजनीतिक गठबंधन सामने आएगा? इस स्टोरी में यूनाइटेड अकाली दल के नेता ने सुधरा हुआ अकाली और सुधरी हुई कांग्रेस की बात कर कुछ इशारे तो जरूर किए हैं, लेकिन क्या ऐसा हो पाना संभव है?

–नीरज कुमार, *बलिया.*

कश्मीर का दुख भयावह है

हारून रेशी ने अपनी स्टोरी कश्मीर हिंसा का मानसिक प्रभाव में बहुत ही शानदार तरीके से यह बताया है कि मौजूदा हिंसा का कश्मीरी आवाम पर कितना नकारात्मक असर पड़ता है. राष्ट्रवाद की आड़ में हम भारतीय कश्मीर के लोगों का दुख समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं. शांतिपूर्ण स्थिति वाले राज्यों में भी जब चुनाव आदि के समय सेना या अर्द्ध सैनिक बल के जवान आते हैं, तो शहर के निवासी सहम जाते हैं. फिर, एक ऐसे राज्य में जहां 70 सालों से लगातार सेना कैंप कर रही है, वहां के लोगों पर इसका क्या असर होता होगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है. इसके अलावा चंद असामाजिक तत्वों की वजह से जो हिंसा फैलती है उसका भी असर सामान्य कश्मीरी आवाम पर होता है. लेखक ने बहुत ही संवेदना के साथ वहां की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया है, इसके लिए लेखक को धन्यवाद और साथ में चौथी दुनिया को भी धन्यवाद जिसने इस तरह की स्टोरी को सामने लाने का काम किया.

–अनूप शर्मा, *पटना.*

दलित अब दमित नहीं रहेंगे

दिल्ली से उना वाया बस्तर स्टोरी में चंदन राय ने बिल्कुल सही लिखा है कि जब देश आजादी का जश्न मना रहा था तब देश के अलग-अलग कोने में दलित-आदिवासी आंदोलित थे. स्टोरी में बताया गया है कि हमारे यहां अब भी दलितों और आदिवासियों के साथ क्या सलूक हो रहा है. उना प्रकरण बताता है कि कथित तौर पर वाइब्रेंट गुजरात में दलितों की हालत क्या है? उना आंदोलन ने साबित कर दिया है कि अब दलित दमित बने रहने को तैयार नहीं हैं. उनमें भी अब जबरदस्त सामाजिक-राजनीतिक चेतना जाग रही है. देश के राजनेताओं को भी दलितों की सियासी ताकत का अहसास हो रहा है. गौरतलब है कि जब दलितों में राजनीतिक चेतना जागी, तो फिर उत्तरप्रदेश व बिहार में सियासी समीकरण बदलते देर नहीं लगे. अब वाइब्रेंट गुजरात में भी दलित चेतना ने सिर उठाया है. नेताओं को अहसास है कि अगर दलितों की मांगों को लंबे समय तक अनसुना किया गया, तो इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

–रतन प्रसाद, *बाराबंकी, उत्तर प्रदेश.*

पोषण आहार घोटाला दुखद है

अरबों रुपए की योजनाओं पर अमल के बाद भी मध्यप्रदेश कुपोषण की चपेट में है. यहां गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की नई पीढ़ी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इस खेल में प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया से लेकर सत्ता में बैठे लोग भी शामिल हैं. विभिन्न सरकारों ने लगातार इसे छिपाने का प्रयास किया, लेकिन अब जाकर यह मामला सामने आया है. इस तरह की खबरों को सामने आना ही चाहिए ताकि विकास की आड़ में चल रहे घोटालों का पर्दाफाश हो सके.

–महेश कुमार, *जबलपुर.*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

बारिश सालाना लूट का वसंत उत्सव है

»   »

ये किस्सा साल दर साल का है. शायद भ्रष्टाचार को सहने, भ्रष्टाचार में हिस्सा बटाने या भ्रष्टाचार को ही जीवनशैली मानने की शुरुआत का पहला कदम यही है. गांव में भेजा जाने वाला पैसा जेब में चला जाता है. सेना में हथियार खरीदने का पैसा जेबों में चला जाता है. विकास के नाम पर आवंटित, विदेशों से लिया हुआ कर्ज लोगों की जेबों में चला जाता है. हर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कहता है. जीरो टॉलरेंस की बात सुनकर अब हंसी भी नहीं आती है. क्योंकि अब तो इसके उपर हंसना भी स्वयं का अपमान लगता है.

बारिश क्या हुई सारे देश का एक जैसा हाल हो गया. सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी की हो या जनता दल यूनाइटेड की हो, एक सेकेंड में सबके चेहरे पर लगा हुआ रंग धुल गया और सब एक जैसे नजर आने लगे. लापरवाह, बेफिक्र, कमीशन खाने वालों के सरपरस्त, जो नाम देना चाहें, आप दे दें. दिल्ली की बात करे तो यहां केंद्र सरकार है. देश की राजधानी है. यहां एक राज्य सरकार भी है. लेकिन, बारिश के मौसम में जब भी यहां बारिश होती है, दिल्ली थम जाती है. यही हाल अन्य राज्य की राजधानियां का भी है. दो घंटे की बारिश सड़कों को डुबा देती है. दो घंटे की बारिश ट्रैफिक को रोक देती है और दो घंटे की बारिश जीवन को बुरी तरह उलझा देती है. इस दो या तीन महीने की बारिश का मुकाबला करने की तैयारी साल के नौ महीने होती है. सैकड़ों करोड़ इसके लिए आवंटित होते हैं. निकासी की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जाती है, नालियां साफ की जाती है, सड़कों की मरम्मत की जाती है और मुस्कुरा कर एक दूसरे को शाबाशी देते हुए मिठाईयां भी खा ली जाती है. लेकिन जैसे ही बरसात होती है, निकासी की व्यवस्था ध्वस्त दिखाई देती है, नालियां बंद दिखाई देती है, सड़कों के गड्ढों से मौत उछल-उछल कर बाहर आ जाती है. स्कूटर वाले, कार वाले उलझते हैं, डगमगाते हैं, गिरते हैं, हाथ-पैर तुड़वाते हैं और फिर मर जाते हैं. तब ये पैसा कहां जाता है? राजधानी वाले शहर, चाहे वो मुंबई हो, कलकत्ता हो, बंगलौर हो, लखनऊ हो, पटना हो, भोपाल हो या फिर प्रधानमंत्री की रिहाईश वाला शहर दिल्ली हो, सबकी कहानी एक है. आखिर ये पैसा कहां जाता है? इस पैसे को हर साल खर्च भी किया जाता है और काम भी कुछ नहीं होता. तीन महीने के बाद उस सारी तकलीफ को लोग जानबूझ कर भूल जाते हैं और उस पैसे को बहुत ही सुविधापूर्वक हजम कर लिया जाता है. दरअसल, ये सालाना लूट का वसंत उत्सव है. सरकार सोच समझकर इस इस पैसे का आवंटन करती है. अधिकारी और मंत्री, ठेकेदार के साथ मिलकर इस पैसे

यह बारिश का मौसम 10-15 दिनों में बीत जाएगा और इस सारी दर्द की कहानी भी हम भूल जाएंगे. फिर अगले साल बारिश का मौसम आएगा और उस समय फिर पैसे का सभ्यता पूर्वक सबमें बंटवारा हो जाएगा. और वो, जिनके लिए पूरी सरकार है, नगर निगम है, जिला परिषद है, अपना सिर पीटते हुए यही दर्द भरी दास्तान याद करेंगे कि पिछले साल हमें इतनी तकलीफ हुई थी, इस साल इतनी तकलीफ हो रही है. लोकतंत्र के महान सिपाहियों को हमारा सलाम.

को हड़प जाते हैं. चूंकि इस सब की जांच का जिम्मा भी सरकार बहादुर के पास है, इसलिए वो जांच कभी होती ही नहीं. ये हमारे लोकतंत्र की त्रासदी है. क्या कभी लोकतंत्र में जिम्मेदारी का एहसास आ पाएगा? क्या कभी नौकरशाह और राजनेता इस सच्चाई को कबूल करेंगे कि उनकी इस लापरवाही और लूट के वसंत उत्सव में शामिल होने का क्या असर होता है? क्या उन्हें मालूम नहीं कि इससे उनके प्रति जनता के मन में नफरत का भाव पैदा होता है. सामान्य लोग, जो वोट देते हैं, जो इन सड़कों पर चलते हैं, वो इस पूरी व्यवस्था को नकारा मान कितनी गालियां देते हैं. क्या इन बद्दुआओं का कोई डर इन राजनेताओं को नहीं होता. तो फिर मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, प्रधानमंत्री, उनके मंत्री जहां रहते हैं, वहां की स्थिति को देखकर गुस्सा क्यों नहीं होते?

ये किस्सा साल दर साल का है. शायद भ्रष्टाचार को सहने, भ्रष्टाचार में हिस्सा बटाने या भ्रष्टाचार को ही जीवनशैली मानने की शुरुआत का पहला कदम यही है. गांव में भेजा जाने वाला पैसा जेब में चला जाता है. सेना में हथियार खरीदने का पैसा जेबों में चला जाता है. विकास के नाम पर आवंटित, विदेशों से लिया हुआ कर्ज लोगों की जेबों में चला जाता है. हर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कहता है. जीरो टॉलरेंस की बात सुनकर अब हंसी भी नहीं आती है. क्योंकि अब तो इसके उपर हंसना भी स्वयं का अपमान लगता है. जिन नागरिक सुविधाओं की बहाली के लिए पैसा आवंटित होता है और वो अगले ही दिन पैसे को खाने के पुख्ता सबूत की गवाही देते हैं और उस पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों का ध्यान न देना यह बताता है कि हम कितने असंवेदनशील हो गए हैं.

क्या करें, किससे कहें? प्रतिवर्ष का यही किस्सा है. अफसोस होता है, शर्म आती है और मन ही मन अपने को कोसने की इच्छा होती है कि क्यों हम इतने ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं.

देखना बस ये है कि क्या कोई इस स्थिति को अस्वीकार करने के लिए आवाज उठाएगा. गांव की हालत के बारे में तो हम कह ही नहीं रहे हैं, जहां न सड़कें हैं, न नालियां हैं. बारिश होते ही सड़कें टूट जाती है, गड्ढे खुद जाते हैं. लोग उनमें गिरते हैं. मेनहोल में कौन बच्चा या बड़ा आदमी भी बहकर कहां चला जाता है, किसके घरवाले कितना आंसू बहाते हैं, पता नहीं चलता. यह बारिश का मौसम 10-15 दिनों में बीत जाएगा और इस सारी दर्द की कहानी भी हम भूल जाएंगे. फिर अगले साल बारिश का मौसम आएगा और उस समय फिर पैसे का सभ्यता पूर्वक सबमें बंटवारा हो जाएगा. और वो, जिनके लिए पूरी सरकार है, नगर निगम है, जिला परिषद है, अपना सिर पीटते हुए यही दर्द भरी दास्तान याद करेंगे कि पिछले साल हमें इतनी तकलीफ हुई थी, इस साल इतनी तकलीफ हो रही है. लोकतंत्र के महान सिपाहियों को हमारा सलाम. ■

editor@chauthiduniya.com

मत-मतांतर

अभी कश्मीर सुर्खियों में है. लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहत्तर कश्मीर को लेकर महत्वपूर्ण बातें कहीं. पाक अधिकृत कश्मीर पर अपना दावा और गिलगित बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचार के प्रति तीखा विरोध जता कर दुनिया के समक्ष भारतवर्ष की विदेश नीति के बदलाव का संकेत दिया. इस प्रसंग में हमने पिछले अंक में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उसी लाल किले की प्राचीर से अपने पहले भाषण में कश्मीर को लेकर क्या कहा था, उसे आपके समक्ष प्रस्तुत किया. इस बार हम प्रख्यात सामाजिक-राजनीतिक चिंतक, संविधानसभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष व तत्कालीन कानून मंत्री बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की कश्मीर के बारे में क्या राय थी उसे पेश कर रहे हैं. कश्मीर और उसे विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, पूरी तरह अन्योन्याश्रित है. आजाद देश के किसी भी राज्य के लिए 370 जैसी धारा की अतिरिक्त -अवांछित सुविधा देने के खिलाफ थे बाबा साहब. उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था. तब प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को बाबा साहब के पास भेजा था. बाबा साहब ने शेख अब्दुल्ला को इस बात के लिए धिक्कारा था कि एक राज्य को अन्य राज्यों से हट कर बेहतर सुविधाएं और अधिकार क्यों मिलें! भारत के सभी राज्यों को एक जैसा समान अधिकार प्राप्त हो. इस पर नेहरू ने धारा 370 प्रस्तुत करने का अधिकार बाबा साहब से लेकर गोपाल स्वामी अयंगार को दे दिया था. जबकि अयंगार उस समय संविधान निर्मात्री सभा के महज एक सदस्य थे. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाबा साहब के विचार को ताक पर रखते हुए इस अनुच्छेद को अपनी स्वीकृति दे दी थी. उस समय नेहरू विदेश दौरे पर थे और सब पूर्व नियोजित तरीके से हुआ. जिस दिन यह अनुच्छेद चर्चा के लिए संसद में पेश किया गया, डॉ. अंबेडकर ने इससे संबंधित (कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी) एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया. सारी दलीलें गोपाल स्वामी अयंगार की तरफ से पेश की गईं. आप भी पढ़ें धारा 370 और कश्मीर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार...

‘धारा 370 उचित नहीं, कश्मीर को तीन हिस्सों में बांट दो’

आप (शेख अब्दुल्ला) चाहते हैं कि भारत आपकी सीमाओं की रक्षा करे, वह आपके क्षेत्र में सड़कें बनाए, वह आपको खाद्य सामग्री दे, और कश्मीर का वही दर्ज़ा हो जो भारत का है. लेकिन भारत सरकार के पास केवल सीमित अधिकार हों और भारत के लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार नहीं हो. ऐसे प्रस्ताव को मंज़ूरी देना भारत के हितों से दग़ाबाज़ी करने जैसा होगा और मैं भारत का कानून मंत्री होते हुए ऐसा कभी नहीं करूंगा. भारत में रहने के लिए सौदेबाज़ी कतई उचित नहीं है. शेख अब्दुल्ला अपनी मांगों के ऊपर चाहते हैं कि भारत सरकार को कश्मीर में सीमित अधिकार ही मिलने चाहिए. कश्मीरियों को सम्पूर्ण भारत में बराबरी का अधिकार मिले और उसी भारत और भारतीयों को कश्मीर में बराबरी का कोई अधिकार नहीं मिले, यह दुर्भाग्यपूर्ण और असंभव है.

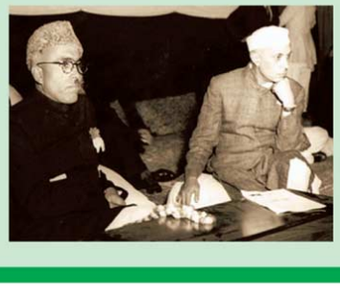

पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा हमारी विदेश नीति का हिस्सा है जिसको लेकर मैं गहरा असंतोष महसूस करता हूं. पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्तों में खटास दो कारणों से है- एक है कश्मीर और दूसरा है पूर्वी बंगाल में हमारे लोगों के हालात. मुझे लगता है कि हमें कश्मीर के बजाय पूर्वी बंगाल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. वहां जैसा कि हमें अखबारों से पता चल रहा है, हमारे लोग असहनीय स्थिति में जी रहे हैं. उस पर ध्यान देने के बजाय हम अपना पूरा ज़ोर कश्मीर मुद्दे पर लगा रहे हैं. उसमें भी मुझे लगता है कि हम एक

अवास्तविक पहलू पर लड़ रहे हैं हम अपना अधिकतम समय इस बात की चर्चा पर लगा रहे हैं कि कौन सही है और कौन ग़लत. मेरे विचार से असली मुद्दा यह नहीं है कि सही कौन है, बल्कि मुद्दा यह है कि सही क्या है. और इसे यदि मूल सवाल के तौर पर लें तो मेरा विचार हमेशा से यही रहा है कि कश्मीर का विभाजन ही सही समाधान है. हिंदू और बौद्ध हिस्से भारत को दे दिए जाएं और मुस्लिम हिस्सा पाकिस्तान को, जैसा कि हमने भारत के मामले में किया. कश्मीर के मुस्लिम भाग से हमारा कोई लेना-देना नहीं है. यह कश्मीर के मुसलमानों और पाकिस्तान का मामला है. वे जैसा चाहें, वैसा तय करें. या यदि आप चाहें तो इसे तीन भागों में बांट दें; युद्धविराम क्षेत्र, घाटी और जम्मू-लद्दाख का इलाका और जनमत-संग्रह केवल घाटी में कराएं. अभी जिस जनमत-संग्रह का प्रस्ताव है, उसको लेकर मेरी यही आशंका है कि यह चूंकि पूरे इलाके में होने की बात है, तो इससे कश्मीर के हिंदू और बौद्ध अपनी इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान में रहने को बाध्य हो जाएंगे और हमें वैसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जैसा कि हम आज पूर्वी बंगाल में देख पा रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

वास्तु विहार®
एक विश्वस्तरीय टाउनशिप
AN ISO : 9001 : 2008 : 14001 : 18001 : 2007 COMPANY

The Most Cost Effective Builder in India

4 से 50 लाख तक में घर

Customer Care : 080 10 222222

www.vastuvihar.org

बिहार पर बढ़ता आतंकी साया

‘बिहार में पीएफआई की बढ़ती गतिविधियां इस बात का प्रमाण है कि यहां भी आतंकी साया मंडराने लगा है. हालांकि आईबी ने कटिहार, मधुबनी, किशनगंज, दरभंगा तथा अररिया जिले के साथ-साथ कुछ अन्य इलाकों में बढ़ती आतंकी गतिविधियों को रेखांकित करते हुए उत्तर प्रदेश में भी आतंकी संगठन के विस्तार पर चिंता जाहिर की है.’

राजेश सिन्हा

पटना में पाकिस्तानी झंडा फहराने तथा पाकिस्तान समर्थित नारा लगाए जाने के मामले को बिहार पुलिस ने कितनी गंभीरता से लिया, यह तो शासक-प्रशासक ही जानें. लेकिन केन्द्रीय जांच एजेंसियों द्वारा की गई जांच में यह प्रमाणित हो गया है कि पाकिस्तानी झंडा लहराने वालों के ताल्लुकात न केवल पीएफआई (पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया) से हैं, बल्कि बिहार में इस संगठन की बढ़ती गतिविधियां इस बात का संकेत हैं कि बिहार भी आतंकी साए की जद में है. इंडियन मुजाहिद्दीन की तरह पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया का विभिन्न जिलों में फैलता स्लीपर सेल कहीं किसी आतंकी वारदात का कारण न बन जाय, इसे लेकर आईबी ने सरकार के साथ-साथ पुलिस को भी ताकीद कर दिया है. हालांकि पीएफआई ने फिलवक्त किसी वारदात को तो अंजाम नहीं दिया है, लेकिन आईबी की खुफिया रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्यों को रेखांकित किया गया है. हालांकि केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा पहले भी बिहार के कई इलाकों से आईएम के स्लीपर सेल व स्लीपर सेल तैयार करने वाले सरगनाओं को दबोचा जा चुका है. एनआईए और आईबी की संयुक्त टीम द्वारा पूर्व में दबोचे गए इंडियन मुजाहिद्दीन अर्थात आईएम के स्लीपर सेल के कई सरगनाओं ने भी कई सनसनीखेज खुलासा किया था. आईबी की खुफिया रिपोर्ट तथा गिरफ्तार किए गए सरगनाओं के बयान को आधार मानकर शासक-प्रशासक ने कितनी महत्वपूर्ण कार्रवाइयां कीं, शायद राजनीतिक अथवा सुरक्षा कारणों से इसे बहुत अधिक कुरेदा नहीं जा सके. हालांकि बिहार में पाकिस्तानी झंडा फहराने का मामला पहली बार सामने नहीं आया है.

बिहार में पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने व पाकिस्तानी झंडा बरामदगी के मामले को कुछ देर के लिए अगर नजरअंदाज कर भी दिया जाए तो भी बिहार के कटिहार, मधुबनी, किशनगंज, दरभंगा तथा अररिया जिले के साथ-साथ कुछ अन्य इलाकों में पीएफआई अर्थात पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया का फैलता जाल शासन-प्रशासन के लिए चिंता का विषय है. आईबी की खुफिया रिपोर्ट से हुए खुलासे के बाद यह प्रमाणित तो हो ही गया है कि आतंकी संगठन की बढ़ती गतिविधियां अब किसी ठोस योजना को अंजाम देने की तैयारी में हैं, साथ ही यह भी प्रमाणित होने लगा है कि समय रहते अगर आतंकियों के नापाक इरादों को कुचला नहीं गया तो बिहार व यूपी भी आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन जाएगा. आईबी द्वारा सरकार को दी गई खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार तथा यूपी में फैलते मॉडयूल द्वारा फिलवक्त किसी तरह की वारदात को तो अंजाम नहीं दिया गया है लेकिन अगर इस तरह की गतिविधियां होती रहीं तो बिहार तथा यूपी में किसी भी वक्त आतंकी घटनाएं हो सकती हैं. हैदराबाद तथा महाराष्ट्र के बाद अब बिहार व यूपी में आतंकी संगठनों के फैलते जाल की बारीकियों को रेखांकित करते हुए आईबी द्वारा कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी सरकार के साथ-साथ पुलिस को दी गई हैं. हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आईबी की खुफिया रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि राज्य में पीएफआई का स्लिपर सेल जैसा मॉडयूल भी तैयार किया जा सकता है. इतना ही नहीं पीएफआई की बढ़ती गतिविधियों की जांच पर बल देते हुए केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि गहन जांच के दौरान स्लिपर सेल के कई मॉडयूल सामने आना इस बात के प्रमाण हैं कि बिहार में आतंकी गतिविधियां खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई हैं. आठ-दस साल पूर्व बिहार से मुख्य मॉडयूल को गिरफ्तार कर इंडियन मुजाहिद्दीन के कई स्लीपर सेल को खंगालने के दौरान सामने आई जानकारी के आधार पर अगर स्थानीय स्तर पर ऑपरेशन चलाया गया होता तो शायद कई स्लीपर सेल को तैयार किए जाने की स्थिति पैदा नहीं होती. 2006, 2008 एवं 2009 में सीतामढ़ी, दरभंगा तथा मधुबनी से एनआईए व आईबी द्वारा तीन-तीन आतंकियों को तो दबोचा गया लेकिन गिरफ्तार आतंकियों द्वारा बनाए गए संभावित स्लीपर सेल पुलिस की नजरों में नहीं आए, जबकि आईएम के लिए सबसे अधिक स्लीपर सेल तैयार करने वाला मुख्य सरगना यासिन भटकल पुलिस की गिरफ्त में था.

> आठ-दस साल पूर्व बिहार से मुख्य मॉडयूल को गिरफ्तार कर इंडियन मुजाहिद्दीन के कई स्लीपर सेल को खंगालने के दौरान सामने आई जानकारी के आधार पर अगर स्थानीय स्तर पर ऑपरेशन चलाया गया होता तो शायद कई स्लीपर सेल को तैयार किए जाने की स्थिति पैदा नहीं होती. 2006, 2008 एवं 2009 में सीतामढ़ी, दरभंगा तथा मधुबनी से एनआईए व आईबी द्वारा तीन-तीन आतंकियों को तो दबोचा गया लेकिन गिरफ्तार आतंकियों द्वारा बनाए गए संभावित स्लीपर सेल पुलिस की नजरों में नहीं आए, जबकि आईएम के लिए सबसे अधिक स्लीपर सेल तैयार करने वाला मुख्य सरगना यासिन भटकल पुलिस की गिरफ्त में था.

दरभंगा से सलाउद्दीन, सीतामढ़ी से सोनू सहित मधुबनी से गिरफ्तार किए गए यासिन भटकल व अमीर रजा खान में सबसे अधिक खतरनाक मॉडयूल तैयार करने के मामले में यासिन भटकल को चिन्हित किया गया था. यासिन भटकल जहां आईएम के लिए स्लीपर सेल तैयार करने वाला सरगना साबित हुआ था वहीं अमीर रजा खान तथा सलाउद्दीन पीएफआई के लिए स्लीपर दस्ता बनाने का आरोपी निकला. वैसे पीएफआई के किसी भी दस्ते के सदस्य आपस में नए नहीं हैं. समझा जाता है कि पीएफआई के लगभग सभी सदस्य आपस में इसलिए घुले-मिले हुए हैं क्योंकि सिम्मी, इंडियन मुजाहिद्दीन जैसे अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद प्रतिबंधित संगठन के लीडरों द्वारा पहले तो धीरे-धीरे नए संगठन का ढांचा तैयार किया गया, फिर संयुक्त रूप से पीएफआई अर्थात पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया नामक संगठन का गठन कर प्रतिबंधित संगठनों के अहम सदस्यों को अहम जिम्मेवारी दे दी गई. केरल में 2006 में गठित इस संगठन का धीरे-धीरे विस्तार करते हुए हैदराबाद तथा महाराष्ट्र के बाद अब बिहार तथा उत्तर प्रदेश में भी गतिविधियां बढ़ रही हैं. केरल में छापेमारी के दौरान पीएफआई के ठिकानों से कई बार भारी मात्रा में गोला-बारूद, अत्याधुनिक हथियार सहित कई आपत्तिजनक सामानों की बरामदगी इस संगठन के खौफनाक इरादे को बेनकाब करने के लिए काफी है. अब देखना है कि बिहार में पसरते आतंकी साए पर किस हद व कब तक काबू पाया जा सकता है! ■

feedback@chauthiduniya.com

बेगूसराय

उल्टा ध्वज लेकर निकले भाजपा सांसद

सुरेश चौहान
feedback@chauthiduniya.com

भाजपा ने देश के हर कोने में तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया और सभी सांसदों को अपने क्षेत्रों में इसे अमलीजामा पहनाने का जिम्मा सौंपा. 16 से 22 अगस्त तक देश के सभी भाजपा सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों में राष्ट्रीय ध्वज के साथ तिरंगा यात्रा निकाली. लेकिन बेगूसराय के भाजपा सांसद डॉक्टर भोला सिंह जल्दबाजी और अतिउत्साह में कुछ ऐसा कर गए जिससे अब जिले में भाजपा की हवा निकलती नजर आ रही है.

बेगूसराय जिले में बेगूसराय, बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बखरी एवं चेरियाबरियारपुर सात विधान सभा और एक मात्र बेगूसराय संसदीय क्षेत्र है. सांसद भोला सिंह ने सातों विधान सभा क्षेत्र में 16 से 22 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकालने का कार्यक्रम बनाया. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में मोटर साइकिल द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गयी. भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय सिंह की मोटर साइकिल पर पीछे बैठे भोला सिंह हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लिए यात्रा का नेतृत्व करते नजर आए. किसी भी विधान सभा क्षेत्र के तिरंगा यात्रा में भाजपा के स्थानीय नामचीन नेता नजर नहीं आए. कई विधान सभा क्षेत्र में उस क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपाई का भी दर्शन नहीं हुआ. अधिकांश स्थापित नेताओं एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम की सूचना नहीं मिलने की बात बताई. पार्टी के पूर्व विधायक, जिला कमिटी के पूर्व एवं वर्तमान पदधारकों को भी यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण नहीं दिया गया. इससे भाजपाईयों में व्याप्त गुटबाजी सामने आयी और उसे बल मिला.

दूसरी ओर तिरंगा यात्रा में शामिल बाइक चला रहे अधिकांश भाजपा कार्यकर्ताओं के सिर पर हेलमेट नहीं था. यहां तक कि जिस बाइक पर भोला सिंह बैठ कर तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, उसके चालक पूर्व जिलाध्यक्ष संजय सिंह एवं वरिष्ठ नेता केशव शांडिल्य के सिर पर भी हेलमेट नहीं था.

इसी कड़ी में तेघड़ा विधान सभा क्षेत्र में भी तिरंगा यात्रा निकाली गयी. क्षेत्रीय नेता केशव शांडिल्य बाइक चला रहे थे. बाइक पर उनके पीछे बैठे सांसद भोला सिंह उल्टा राष्ट्रीय ध्वज संभाले यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे. राष्ट्रीय ध्वज का इस प्रकार अवमानना देखकर यात्रा में शामिल भाजपाई शर्मशार हो गए. इस ओर ध्यान आकृष्ट कराने के बाद राष्ट्रीय ध्वज को सीधा किया गया और यात्रा आगे बढ़ी. ■

ईम्पोर्टेड केमिकल से तैयार, लैब टेस्टेड

पेन्ट डिस्टेम्पर
कोई भी हो
वॉल पुट्टी केवल ईटालियन वॉल पुट्टी

Laboratory Tested
Please Compare Lab Report
Laboratory Tested

Made from Imported Chemicals
ईटालियन
व्हाईट
वॉल पुट्टी
Slight Costly but Superior

लैब रिपोर्ट अवश्य चेक करें ।
लैब रिपोर्ट हमारे सभी डीलर्स के यहां उपलब्ध है

प्रखण्ड स्तर या अपने क्षेत्र हेतू सप्लायर / डीलरशिप के लिए सम्पर्क करें ।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाऐ

सीमेन्ट
कोई भी हो परन्तु
वाटरप्रूफिंग केमिकल सिर्फ

मिस्टर केमिस्ट

सीमेन्ट कोई भी हो लेकिन वाटरप्रूफिंग केमिकल मिस्टर केमिस्ट ही हो, क्योंकि मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग केमिकल ईम्पोर्टेड केमिकल से बनाया गया है, प्रत्येक पैक पर नम्बर युक्त होलोग्राम से नकल से पूरी तरह सुरक्षित १, ५, १०, २० एवं २०० लीटर होलोग्रामिक पैक में अब आपके यहां भी उपलब्ध । मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाए ।

Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

सामने आएंगे नालंदा भग्नावशेष के कई सच

वर्तमान बिहार राज्य में पटना से करीब 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से करीब 11 किमी उत्तर में नालंदा के एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष, इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं. अनेक प्राचीन अभिलेखों और सातवीं सदी में भारत भ्रमण के लिए आये चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है.

सुनील सौरभ

प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का भग्नावशेष विश्व धरोहर में शामिल हो गया. गत दिनों टर्की की राजधानी इस्ताम्बूल में वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की बैठक में इसकी घोषणा की गई. राज्य में बोधगया के महाबोधि मंदिर के बाद प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय दूसरा तथा देश का 33 वां विश्व धरोहर बना. अब इसके विकास, सुरक्षा व संरक्षण की जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा बिहार सरकार की होगी. प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का भग्नावशेष 14 हेक्टेयर में फैला है. कहा जाता है कि अब भी इस भग्नावशेष का पूरा हिस्सा सामने नहीं आया है. यहां तक की मुख्य प्रवेश द्वार का भी अभी तक पता नहीं चला है. अब उम्मीद बंधी है कि यह दुनिया इस धरोहर के कई अनजाने पहलुओं से भी रूबरू हो सकेगी.

वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने से पूर्व यूनेस्को की संस्था आयकोमास के एक्सपर्ट मो. मशाया मशूरी के नेतृत्व में 26 अगस्त 2015 को एक जांच दल ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का निरीक्षण किया था. साथ ही इस खंडहर से जुड़े व्यक्तियों व समूहों से मिलकर इसके विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी हासिल की थी. 27 अगस्त 2015 को जांच दल ने इस खंडहर के आस-पास अन्य पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थलों का

निरीक्षण किया था. इसी दिन राजगीर के अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल में खंडहर के आस-पास के ग्रामीणों, रिक्शा व तांगा चालकों, दुकानदारों व जनप्रतिनिधियों के साथ भी मो. मशाया मशूरी एवं एएसआई की टीम की बैठक हुई थी. जांच दल इस बात से प्रभावित था कि जिले के सभी लोग अपनी गौरवशाली विरासत को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराने को लेकर उत्साहित थे. अंतत: यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ने अपने 40 वें सेशन के दौरान प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया.

नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था. बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में अन्य धर्मों व कई अन्य देशों के छात्र पढ़ते थे. वर्तमान बिहार राज्य में पटना से करीब 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से करीब 11 किमी उत्तर में नालंदा के एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष, इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं. अनेक प्राचीन अभिलेखों और सातवीं सदी में भारत भ्रमण के लिए आये चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है.

प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सातवीं शताब्दी में यहां अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष एक छात्र और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था. प्रसिद्ध बौद्ध सारीपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था. इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम (450-470) को प्राप्त है. गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासकों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा. इसे महान सम्राट हर्षवर्द्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला. स्थानीय शासकों तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही इसे अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिला. यह विश्व का प्रथम पूर्णत: आवासीय विश्वविद्यालय था. इसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10000 एवं अध्यापकों की संख्या 2000 थी. इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं, बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे. नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे. इस विश्वविद्यालय की नौवीं सदी से बारहवीं सदी तक अंतरराष्ट्रीय ख्याति रही थी. अत्यंत सुनियोजित और विस्तृत क्षेत्र में बना यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भूत नमूना था. इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था. उतर से दक्षिण की ओर मठों की लंबी कतार थी और उनके सामने भव्य स्तूप और मंदिर थे. मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुन्दर मूर्तियां स्थापित थीं, जिनमें व्याख्यान हुआ करते थे. अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं, जबकि अभी कई और मठ मिलने की संभावना है.■

feedback@chauthiduniya.com

कठिन डगर है भाजपा जिलाध्यक्षों की

वाल्मीकि कुमार

बिहार विधानसभा चुनाव में हार से सबक लेते हुए भाजपा अब प्रदेश जिलाध्यक्ष के चुनाव में भी सतर्कता बरत रही है. पार्टी हित को सर्वोपरि मानते हुए पार्टी के अंदर जातीय वर्चस्व की राजनीति को किनारा करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है. हर जिले में पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. पार्टी में उभरे जातीय गुटबाजी पर रोक लगाने के प्रयास तेज किए गए हैं. इसके बावजूद नव निर्वाचित भाजपा जिलाध्यक्षों के लिए अपने कार्यकाल का निर्वहन एक चुनौती से कम नहीं है.

अब एक नजर भाजपा जिलाध्यक्ष चुनाव पर डालते हैं. बीते 21 जुलाई को शहर के रेडक्रॉस भवन के सभागार में संपन्न नामांकन प्रक्रिया के दौरान सीतामढ़ी जिले में भाजपा जिलाध्यक्ष पद के लिए कुल 14 नामांकन दाखिल किए गए थे. तब जिला चुनाव प्रभारी सह अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद चंद्रवंशी भी मौजूद थे. चंद्रवंशी की मौजूदगी में रीगा के पूर्व भाजपा विधायक मोतीलाल प्रसाद, डुमरा प्रखंड के पूर्व प्रमुख दिनकर पंडित, तत्कालीन जिलाध्यक्ष मनोज कुमार, मनीष कुमार व उमेशचंद्र झा समेत 14 पार्टी कार्यकर्ताओं ने नामांकन दाखिल किया था. जबकि इससे पूर्व शिवहर जिले में 6 जुलाई को जिला चुनाव प्रभारी सह विधान पार्षद अर्जुन सहनी की मौजूदगी में जिला अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र किशोर मिश्र, जिला महामंत्री राम कृपाल शर्मा, युवा मोर्चा के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव कुमार पांडेय, राजीव कुमार सिंह व दिनेश प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया था. नामांकन प्रक्रिया के बाद जिला चुनाव प्रभारियों ने फैसला पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के हवाले कर दिया. तकरीबन एक माह बाद प्रदेश नेतृत्व ने नामांकन दाखिल करने वालों की कुंडली खंगालने के बाद जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी. इस बीच जिला पार्टी संगठन के कई नेता अपने चहेतों को उक्त पद पर बैठाने को लेकर कवायद करते रहे. परंतु प्रदेश नेतृत्व ने अबकी बार सभी के मंसूबों पर पानी फेरते हुए सीतामढ़ी व शिवहर जिले में पार्टी की कमान नये चेहरों के हवाले सौंप दी है. सीतामढ़ी जिले का कमान भूमिहार बिरादरी के सुबोध कुमार सिंह तो शिवहर में ब्राह्मण बिरादरी के संजीव कुमार पांडेय को दी गई है.

सीतामढ़ी जिले में सुबोध कुमार सिंह 10 वें भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में चुने गये हैं. अब तक के जातीय आंकड़ों पर गौर करें तो सीतामढ़ी जिला में भूमिहार बिरादरी को सर्वाधिक 4 बार जिलाध्यक्ष का पद संभालने का मौका मिला है, जबकि वैश्य को 2 एवं ब्राह्मण, दलित, यादव व राजपूत बिरादरी को एक-एक बार जिलाध्यक्ष का पद मिला है. इनमें भूमिहार बिरादरी के जयंत प्रसाद सिंह उर्फ बड़कू बाबू, ललितेश्वर प्रसाद सिंह व कृष्ण मोहन सिंह, राजपूत बिरादरी के प्रो. रामचंद्र प्रसाद सिंह, यादव बिरादरी के उपेंद्र शुक्ल, दलित से सोनूप राउत, ब्राह्मण से

संजीव कुमार पांडेय

सुबोध कुमार सिंह

सुफल झा के अलावा वैश्य बिरादरी से रामा शंकर प्रसाद व मनोज कुमार भाजपा जिलाध्यक्ष रहे हैं. वहीं शिवहर जिला में संजीव कुमार पांडेय ने 8 वें जिलाध्यक्ष के रूप में पद संभाला है. बताया जाता है कि शिवहर जिले में जातीय आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक 5 बार राजपूत बिरादरी को जिलाध्यक्ष का पद संभालने का मौका मिला है. जबकि शेष कार्यकाल ब्राह्मणों का रहा है. इनमें राजपूत बिरादरी के जयराम सिंह, शशिभूषण प्रसाद सिंह, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नीरज कुमार सिंह एवं ब्राह्मण बिरादरी के डॉ. धर्मेंद्र किशोर मिश्र रहे हैं. इनमें शशिभूषण सिंह व डॉ. धर्मेंद्र किशोर मिश्र को दो-दो बार मौका मिला है.

अब दोनों ही जिलों के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षों के संभावित चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं. सीतामढ़ी में भाजपा समर्थित रालोसपा के टिकट पर चुनाव जीते सांसद राम कुमार शर्मा हैं, तो शिवहर में भाजपा की सांसद रमा देवी हैं. शिवहर में स्थानीय विधायक जद (यू) के हैं, तो सीतामढ़ी में भाजपा के दो विधायक हैं. चर्चा है कि सीतामढ़ी में पूर्व जिलाध्यक्ष रामाशंकर प्रसाद के कार्यकाल के बाद पार्टी संगठन जातीय दलदल में धंसने लगा. पार्टी के करीबी सूत्रों पर यकीन करें तो आलम यह है कि एक खास बिरादरी ने पार्टी संगठन को पूर्णत: अपनी जागीर बना ली है. जिला संगठन में वैसे लोगों को तरजीह दी जाने लगी है, जिन्हें पार्टी संगठन से कोई खास लेना-देना नहीं रहा है. अब प्रदेश नेतृत्व ने अचानक पासा पलट दिया है. संभव है कि बहुतों को पार्टी नेतृत्व का फैसला सही नहीं लगे, ऐसे में नवनिर्वाचित अध्यक्ष को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. कमोबेश यही हाल शिवहर जिले का भी है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दोनों ही जिले में नवनिर्वाचित अध्यक्षों को धैर्य व संयम के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं से तालमेल कर संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में पहल करनी होगी. अगर उन्होंने जातीय दलदल से खुद को किनारा नहीं किया तो यह पार्टी संगठन के लिए घातक साबित हो सकता है. वहीं प्रदेश नेतृत्व को भी जिला संगठन पर पैनी नजर रखनी होगी. शहर में होर्डिंग व बैनर लगाने की जगह गांवों में जाकर कार्यकर्ताओं व आम जनता के बीच समय देना होगा. वैसे नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष पार्टी का झंडा किस ऊंचाई तक लहरा पाते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं.■

बच्चों को होने वाली परेशानियां
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

Dr. MANOJ KUMAR KAUSIK
M.B.B.S, MD, PED.
HASPURA AURANGABAD

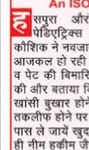

हसपुरा औरंगाबाद में बच्चों के पेडिएट्रिक्स डॉक्टर मनोज कुमार कौशिक ने नवजात बच्चों की देखभाल और आजकल हो रही उनको सर्दी खांसी बुखार व पेट की बिमारियों से सम्बन्धित बातचीत की और बताया कि नवजात बच्चों को सर्दी खांसी बुखार होने पर या इन दिनों पेट में तकलीफ होने पर तुरन्त बच्चों के डाक्टर के पास ले जायें खुद से कुछ भी न करें और न ही नीम हकीम जैसे डॉक्टरों के पास जायें। बच्चों को बरसात के पानी में भींगने से बचायें तथा भींगे बच्चों को तुरंत सूखे कपड़े से पोंछ दें। दूसरी ओर इन दिनों पानी की खराबी से पेट की बिमारियां हो रही हैं इसलिए इससे बचने के लिए शुद्ध पानी पियें

या फिर इन्फेक्टेड वाटर से बचने के लिए पानी को सुशुम कर फिर उसे ठण्डा कर ले। डॉक्टर मनोज ने दुग्ध पान के सम्बन्ध में बताया कि बच्चों को इस अमृत से वंचित न करें खासकर नवजात बच्चों के लिए यह अमृत समान है। नवजात बच्चे का बीमार होना, बड़े बच्चों व वयस्कों के बीमार होने से ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि नवजात बच्चों का इम्यून सिस्टम (बीमारियों से लड़ने की क्षमता) बड़ों की तुलना में कमजोर होती है। आइए जानते हैं बच्चे के लिए खतरे के क्या संकेत हैं? तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें • यदि दूध पीने के बाद बच्चे के पेट में गैस बने, या गैस मुंह से निकले तो इसे साधारण मानने की गलती न करें। • यदि 100.4 डिग्री फेरनहीट से ज्यादा बुखार हो। • यदि दस्त लगे • यदि बच्चा 2-3 बार से ज्यादा दूध न पिये। • पेशाब कम होना, दिनभर में बच्चे ने 4 से भी कम बार पेशाब की हो • बच्चे का चेहरा पीला पड़ जाए, गुस्सा करे व एनर्जी की कमी महसूस हो। • बच्चे के एंबुलिकल कॉर्ड (नाभि के आसपास) के आस पास लाल दाग या पस जमा हो जाए। • त्वचा पीली पड़ जाए। • तेज आवाज पर भी प्रतिक्रिया न दे ■ भारती

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.
A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil
Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg
Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

JOHNSON PAINTS
— Interior & Exterior Wall Paints —
Jp
बड़े अच्छे लगते हैं...

पूर्वांचल की बाढ़ में ख़ूब चल रही सियासत की नाव

यूफी यायावर

काशी में बाढ़ का जायजा लेने आए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने इस मसले पर भी केंद्र पर हमला बोला. शिवपाल ने कहा कि वाराणसी समेत पूर्वांचल में बाढ़ के प्रति मोदी सरकार गंभीर नहीं है. राज्य सरकार ने बाढ़ की विभीषिका से निबटने के लिए केंद्र सरकार से मदद का आग्रह किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के प्रतिनिधि हैं और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह चंदौली के रहने वाले हैं, इसके बावजूद बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार ने कोई सुध नहीं ली है. शिवपाल ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाढ़ सर्वेक्षण के तौर-तरीकों पर भी कटाक्ष किया और कहा कि जो व्यक्ति दो आदमी के कंधों पर चढ़कर बाढ़ का जायजा ले, वह जनता की सेवा क्या कर पाएगा. शिवपाल ने कहा कि वाराणसी जिला प्रशासन ने बाढ़ राहत के लिए जितनी राशि मांगी थी, उसे जारी करने का सरकार ने आदेश दे दिया है. वाराणसी में बाढ़ राहत के लिए जिला प्रशासन ने छह करोड़ रुपये की मांग की थी, इसमें से दो करोड़ रुपये पहले जारी किए गए थे. मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट वरुणा कॉरिडोर के बाढ़ में डूबने के सवाल पर शिवपाल ने कहा कि इस समय सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों के जान-माल की रक्षा करना है. वरुणा कॉरिडोर का काम बाढ़ के बाद फिर से शुरू होगा. प्रदेश सरकार ने स्थानीय प्रशासन से बाढ़ में हुए नुकसान के आकलन के साथ ही मुआवजा संबंधी रिपोर्ट भी मांगी है. आधिकारिक तौर पर बताया गया कि वाराणसी में 66 हजार हेक्टेयर और चंदौली में 27 हजार हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित है. मंत्री ने कहा कि बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का निर्माण भी जल्द कराया जाएगा.

पूर्वी उत्तर प्रदेश भीषण बाढ़ की चपेट में है. लोग परेशानी में हैं, नेता बाढ़ में चकल्लस काट रहे हैं. इलाहाबाद, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी समेत कई जिलों के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं. हजारों लोग विस्थापित हुए हैं. बाढ़ की वजह से इलाहाबाद के करैलाबाग, गौस नगर, नेवादा, सलोरी, बघाड़ा इलाकों में तेजी से पलायन हुआ है. इलाहाबाद के सलोरी, बघाड़ा, दारागंज, बख्शी बांध, मोरी गेट तथा संगम क्षेत्र के हालात ठीक नहीं हैं. बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा और भूख चिंता का कारण बन रही है. नावों की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग इलाहाबाद में लोग अपने-अपने घरों में फंसे रहे. ऐसे परिवारों की संख्या 20 हजार से ज्यादा ही है, कम नहीं. बाढ़ का पानी बोट क्लब से लेकर यमुना पुल के अंडरपास तक भर गया. इससे चारपहिया वाहनों का पुराने यमुना ब्रिज पर जाना बंद हो गया. गंगा का पानी झूंसी में क्रियायोग आश्रम के सामने तक पहुंच गया और पुरानी झूंसी रोड जलमग्न हो गया. यह तो इलाहाबाद का दृश्य रहा. उधर, काशी और उसके आसपास के जिलों में बाढ़ का कहर पुरजोर है. वाराणसी में भी बाढ़ का पानी कई कालोनियों तक पहुंच गया. इन कालोनियों में नाव ही एक मात्र सहारा बना रहा. लेकिन वाराणसी के लोग बाढ़ के बावजूद अपने-अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं हुए. वाराणसी में गंगा नदी कई दिनों तक लगातार खतरे के निशान से ऊपर बहती रही. वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से करीब डेढ़ मीटर ऊपर बह रही थी. इसी का परिणाम यह हुआ कि नतीजा वाराणसी में गंगा का उफनता हुआ जल घाटों से ऊपर आकर शहर में बहने लगा. पानी वाराणसी के दशाश्वमेध बाजार तक पहुंच गया. दुकानें जलमग्न हो गईं. महाकर्णिका घाट तक डूब गया और ऊपर की मंजिल पर दाह संस्कार हुए. वाराणसी के अलावा चंदौली, गाजीपुर और बलिया में भी बाढ़ से

हजारों लोग प्रभावित हैं.बलिया जिले में तो बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है. बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और मुगलसराय में बाढ़ का पानी घटने के बजाय बढ़ ही रहा है. बिहार से सटे बलिया में बाढ़ ने 2003 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहां गंगा का पानी खतरे के निशान से तीन मीटर ऊपर बह रहा था. बलिया में बिहार-यूपी नेशनल हाईवे पर बाढ़ का पानी चढ़ गया और कई जगह दबाव इतना ज्यादा बना कि वह ध्वस्त हो गया. बलिया जिले का दुबेछपरा, मझौआं जैसे इलाकों में एनएच पर पानी चढ़ आया. सागरराली में बाढ़ का पानी एनएच 31 के ऊपर बह रहा था. पूर्वांचल के जिला गाजीपुर में गंगा का बढ़ाव बदस्तूर जारी है. गाजीपुर का जमानियां तहसील इस बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित है. प्रशासन खुद स्वीकार करता है कि पांच सौ गांव के करीब दो-ढाई लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं. मुगलसराय, चन्दौली और मिर्जापुर का भी यही हाल है. कई जगहों पर पानी का बहाव तेज है. कई जगहों पर स्थिर है लेकिन अबतक खतरा टला नहीं है. खतरे की आशंका से ग्रसित लोग सड़कों और बांधों पर रह रहे हैं.

बाढ़ का समय है और चुनाव आने वाला है, तो राजनीतिक दल भी इसे एक मौका ही मान कर चल रहे हैं. राहत सामग्री के वितरण से अधिक फोटो खिंचवाने और उसे प्रसारित-प्रकाशित कराने की होड़ मची हुई है. इससे नेताओं का जनता के बीच माखौल ही उड़ रहा है. राजनीतिक दल राहत पैकेटों पर स्टीकर चिपका कर उसे बांट रहे हैं. तमाम राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव के पहले ऐसे प्रचार सह राहत सामग्री बांटकर जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं. राहत सामग्री के साथ अपने-अपने राजनीतिक संदेश परोसे जा रहे हैं. इस मामले में भाजपा सबसे आगे निकल गई. इलाहाबाद शहर के कई कछारी इलाकों में भाजपा के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के स्टीकर लगाकर भोजन पैकेट वितरित कर रहे हैं, जिसका जमकर मजाक उड़ रहा है. कांग्रेस भी अपना '27 साल यूपी बेहाल' वाला नारा लेकर राहत शिविरों और प्रभावित इलाकों में अपनी दस्तक देने में कोताही नहीं कर रही है. कई जगह जलस्तर खतरे के निशान से काफी नीचे चले जाने के बाद राहत सामग्रियों का वितरण हुआ. अभी तक बाढ़ की विभीषिका में फंसे रहे लोगों का कहना है कि मुसीबत के समय गिनती के लोगों ने हमारी सुध ली और जब बाढ़ समाप्त होने पर आई तो मददगारों की लाइन लगी हुई है. ■

राजनीतिक दल राहत पैकेटों पर स्टीकर चिपका कर उसे बांट रहे हैं. तमाम राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव के पहले ऐसे प्रचार सह राहत सामग्री बांटकर जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं. राहत सामग्री के साथ अपने-अपने राजनीतिक संदेश परोसे जा रहे हैं. इस मामले में भाजपा सबसे आगे निकल गई. इलाहाबाद शहर के कई कछारी इलाकों में भाजपा के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के स्टीकर लगाकर भोजन पैकेट वितरित कर रहे हैं, जिसका जमकर मजाक उड़ रहा है. कांग्रेस भी अपना '27 साल यूपी बेहाल' वाला नारा लेकर राहत शिविरों और प्रभावित इलाकों में अपनी दस्तक देने में कोताही नहीं कर रही है.

क्रुद्ध गंगा घरों में घुस कर चखा रही गंदगी का स्वाद

मोहब सिंह

वाराणसी में गंगा में आई बाढ़ देख कर मलय उपाध्याय की ये पंक्तियां जेहन में उभरती हैं, गंगा ने कहा, 'अपनी मंत्री उमा भारती से/बारिश में कोई नहीं रोक सकता गंगा का रास्ता/जिद की तरह बाढ़ बनकर आई गंगा इस बार/घर-घर घूमा हर कोना हर अंतरा देखा और कहा/ गुर्राहट के साथ/ घाट बाद में सजा लेना/ पहले मल-जल को ठिकाना तो दे दो.'

गंगा में आई बाढ़ इस बार ऐसे ही कुछ जरूरी सवाल करती नजर आ रही है. बेहद सधे अंदाज में. सांकेतिक रूप में और प्राकृतिक भाषा में. तंत्र के मालिकों और देश के कर्णधारों से. गंगा में 'अदहन' देने का मतलब समझते हैं? अपनी औकात से बाहर जाकर प्रयास करना. प्रकृति जो गंगा नहीं है. उसके बनाए विधान में दखलंदाजी करना. उसके जल को मनमाने तरीके से निचोड़ना. बांध बनाकर रोकना. मन मुताबिक मोड़ देना और बहाव क्षेत्र को लहूलुहान कर उस पर काबिज होना है. गंगा, साल के नौ महीने अपनी बदहाल स्थिति में चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर जाती है. पर बरसात के दिनों में अपने साथ भरपूर जलराशि लेकर जब अपने क्षेत्र का निरीक्षण करने निकलती है तो यह देखकर गुस्सा आना स्वाभाविक होता है कि उसकी अपनी जगह पर अब कोई दूसरा ही काबिज है. गंगा पहले कुछ मामूली सवाल करती है. मनुहार करती है. क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि अपने 2500 किलोमीटर के बहाव क्षेत्र में तुम्हारे शहरों के मल-मूत्र, कूड़ा-कचरा, अपनी पीठ पर ढोकर सागर तक पहुंचाती हूं, अब मुझे रोक रहे हो? हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हो? मैं तो तुमसे कोई 'दायभाग' भी नहीं मांगती. मां हूं तुम्हारी! पुण्य कमाते हो मुझसे! पाप धोती हूं तुम्हारी! ये काम पृथ्वी पर अपने अवतरण के समय से करती आ रही हूं. फिर गंगा क्रुद्ध होकर प्रलयंकारी रूप धारण करती है. पल भर में 'उत्तर काशी' होने लगता है. पहाड़ भसकने लगते हैं. बादल फटने लगते हैं. टिहरी पर बना बैराज सवालों के घेरे में आ जाता है. 'अपर गंगा कैनाल' और 'लोवर गंगा कैनाल' पर सवाल खड़े होने लगते हैं. और सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर किसी दिन गंगा के गुस्से का शिकार टिहरी डैम हुआ तो गंगा के किनारे आबाद शहरों का और बाशिंदो का क्या होगा? भू-वैज्ञानिकों और नदी इंजीनियरों के लिए यह एक गंभीर सवाल है. नागरिक सभ्यता के लिए एक चुनौती भी है कि गंगा के रोक-टोक का हर प्रयास कितना भयावह एवं विध्वंसकारी हो सकता है.

पूर्वांचल में आज गंगा रौद्र रूप धारण कर हर उस जगह पहुंच रही है जो कभी उसका ठिकाना था. बाढ़ के खतरे के निशान का मानक अब ठेकेदारों के मानक से तय होने लगा है. पर बाढ़ की स्थिति अब तक सन् 1978 में आई बाढ़ से भयावह नहीं है. गनिमत है तब शहरों का विस्तार भी उतना नहीं हुआ था. शहर भी उतने कूड़े-कचरे, जल-मल नहीं उगल रहे थे. गंगा की ठेकेदारी भी पंडे पुरोहितों तक ही सीमित थी. आम जन के लिए तीर्थ-व्रत, गंगा पुजायी धरम-करम का पवित्र स्थान था. अचानक शहरों के अनियोजित विस्तार और कल कारखानों के अवजल और शहरों के कूड़े कचरे जल मल गंगा की पेट में समाने लगे. गंगा की सेहत बिगड़ती गई. गंगा जल न पीने लायक बचा और न स्नान और आचमन लायक. फिर देश के बड़े कर्णधार निकले गंगा की चिंता करने 'गंगा एक्शन प्लान' लेकर आये. 'दो फेज' पूरा हुआ गंगा की सेहत फिर भी नहीं सुधरी. गंगा जीर्ण-शीर्ण ठठरी का ढांचा नजर आने लगी. तब अचानक 2014 में देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बनारस की जमीन पर नमूदार हुए. इस दावे के साथ कि उन्हें 'मां गंगा ने बुलाया' है. गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा तो प्राप्त हुआ, राष्ट्रीय नदी का सम्मान अभी हासिल नहीं है. बड़े बजट के साथ 'नमामि गंगे' परियोजना की शुरूआत हो चुकी है. गंगा के घाटों को सजाने संवारने की कोशिश भी हो रही है. पर गनीमत है कि अभी काम गति नहीं पकड़ पाया कि बाढ़ आ गई. गंगा में आई इस बाढ़ ने इन परियोजनाओं के बारे में नए सिरे से पुनर्विचार का अवसर प्रदान किया. वरना बिना सोचे समझे महज देखा-देखी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 'वरुणा कॉरिडोर' का जो हश्र आज बनारस में दिख रहा है, वह गंगा के किनारे बनने वाले घाटों का भी हो जाता. फिर भी गंगा मंत्री उमा भारती दावा कर रही हैं कि सन् 2018 तक गंगा प्रदूषण मुक्त होगी. गंगा के अविरल प्रवाह का मुद्दा अब उतना प्रभावी नहीं हो रहा है, जबकि पं. मदन मोहन मालवीय के जमाने से अंग्रेजों के साथ हुए समझौते के मुताबिक यह एक जरूरी मुद्दा है. आज हर व्यक्ति जो गंगा को अपनी संस्कृति, सभ्यता, धर्म और आस्था से जुड़ा मामला मानता है, उसके मन में एक ही सवाल है कि साफ सेहतमंद, अविरल आचमन योग्य गंगा जल कब तक होगा? गंगा में आई बाढ़ इस बार शहर के मल-मूत्र, कूड़े-कचरे को नाले और 'सीवर' के जरिए शहर के मुंह में ठूंस रही है, जिसे शेष समय में अपनी पीठ पर ढोकर यह सागर तक पहुंचाती रही है. बीएचयू हिन्दी विभाग के 'ऐसोसिएट प्रोफेसर' रामाज्ञा शशिधर की यह टिप्पणी कि नगर-सभ्यता के लिए 'नाला' नदी समान. गंगा 'सीवर' को मिले 'रिवर' का सम्मान, गौरतलब है. बाढ़ के जरिए गंगा इस बार बनारस में अपने भौगोलिक विस्तार का अहसास करा रही है और यह चेतावनी भी दे रही है कि 'अस्सी' और 'वरुणा' को 'नाला' समझने की भूल कभी मत करना. ■

feedback@chauthiduniya.com

कहीं केशव ही तो नहीं होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा?

जोड़तोड़ और भगदड़ के बीच उठ रहे सवाल

श्याम कुमार

भारतीय जनता पार्टी दो सवालों से घिरी हुई है. पहला यह कि विभिन्न पार्टियों से भाजपा की ओर जो भगदड़ दिखाई दे रही है, उससे भाजपा को लाभ होगा या नुकसान? दूसरा सवाल, जो काफी दिनों से पूछा जा रहा है कि भाजपा उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में भावी मुख्यमंत्री के रूप में किसे पेश करेगी? वैसे तो चुनाव से पहले जिस पार्टी की ओर भगदड़ मचती है, वह उस पार्टी की लोकप्रियता एवं चुनाव में उसकी मजबूती का पैमाना मानी जाती है. लेकिन भाजपा में दूसरी पार्टियों से जो भीड़ आ रही है, वह निःस्वार्थ भाव से आ रही है, यह नहीं माना जा सकता. वास्तविकता यह है कि अधिकांशतः जिन लोगों को दूसरी पार्टियों में टिकट की आशा नहीं रह गई, वे भाजपा को मजबूत पार्टी मानकर उसमें आ रहे हैं. इससे भाजपा का जो मूल कैडर है, उसका हक मारा जाता है. जिन्होंने पार्टी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया, क्या उनके हिस्से में सिर्फ दरी बिछाना व कुरसियां लगाना भर है? पार्टी की तरक्की का लाभ बाहर से स्वार्थवश आए लोग ही क्यों उठाएं? एक भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी के हित में त्याग करना पड़ता है, क्योंकि पार्टी का हित सर्वोपरि होता है. भाजपा का कितना भी कांग्रेसीकरण हो गया हो, लेकिन उसका आधार-स्तम्भ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है. भाजपा की असली ताकत वही है तथा भाजपा उससे कभी विमुख नहीं हो सकती है. भाजपा में दूसरी पार्टियों से जो लोग आ रहे हैं, उनमें संघ के संस्कार हों, यह जरूरी नहीं.

भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में किसे मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करेगी, यह यक्ष-प्रश्न बना हुआ है. कभी किसी का नाम उछला तो कभी किसी का. लेकिन कुछ समय तक छाए रहकर वे नाम गायब हो गए. उमा भारती, वरुण गांधी, महंत आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, महेश शर्मा, मनोज सिन्हा, डॉ. दिनेश शर्मा आदि. पारी-पारी से इन सभी के नाम चर्चित हो चुके हैं. जिस नाम की चर्चा होती है, उसके पक्ष में विभिन्न तर्क सुनने को मिलते हैं. लेकिन कुछ समय बाद उस नाम की चर्चा बंद हो जाती है. यहां तक कि बीच-बीच में भारी-भरकम नाम के रूप में राजनाथ सिंह का नाम भी उछला और सुना गया कि उत्तर प्रदेश के तगड़े मुकाबले में राजनाथ सिंह आसानी से भाजपा की नैया पार करा लेंगे. लेकिन केंद्र में राजनाथ सिंह की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, इसलिए उनका यहां आना संभव नहीं माना जा रहा है. यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे को आगे किए बिना चुनाव-मैदान में उतरेगी. इसके पक्ष में अनेक तर्क दिए जा रहे हैं तथा हरियाणा, महाराष्ट्र व झारखंड का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है. इस विचार के समर्थकों का कहना है कि असली चेहरा तो मोदी होंगे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता ही चुनाव में भाजपा को विजयश्री दिलाएगी. चुनाव के बाद पार्टी को बहुमत मिलने पर जिसे उपयुक्त समझा जाएगा, उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा. इससे उत्तर प्रदेश में भाजपा की वह चर्चित गुटबंदी दबी रहेगी, जिसने प्रदेश में भाजपा का विनाश कर डाला तथा उसे चौथे नम्बर की पार्टी बना डाला था. यदि किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किया गया तो सभी गुटबाज उसकी टांग खींचने में लग जाएंगे और यदि कोई चेहरा नहीं पेश किया गया तो भाजपा के उच्च नेतृत्व को प्रभावित करने के लिए सभी गुटबाज पार्टी को जिताने के लिए जीजान लगा देंगे.

> भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में किसे मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करेगी, यह यक्ष-प्रश्न बना हुआ है. कभी किसी का नाम उछला तो कभी किसी का. लेकिन कुछ समय तक छाए रहकर वे नाम गायब हो गए. उमा भारती, वरुण गांधी, महंत आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, महेश शर्मा, मनोज सिन्हा, डॉ. दिनेश शर्मा आदि. पारी-पारी से इन सभी के नाम चर्चित हो चुके हैं.

भाजपा में एक नया विचार उभरा है, जिसे वजनदार भी समझा जा रहा है. चर्चा है कि भाजपा के प्रदेश-अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया जाए. इस विचार के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह है कि आगामी चुनाव में पिछड़ा कार्ड सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा. माना जाता है कि ब्राह्मणों का जुड़ाव भाजपा से ही रहेगा, क्योंकि मायावती से जोड़कर उन्होंने देख लिया है कि मायावती ने उनका सिर्फ वोट-बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और उनकी जड़ भी काटी. केवल सतीशचंद्र मिश्र, रामवीर उपाध्याय आदि चंद लोग खूब फूलते-फलते रहे तथा जमकर फायदा उठाते रहे. कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है. पूरा दलित वर्ग मायावती से अलग होगा, इसकी संभावना कम है. इसलिए पिछड़े वर्ग का कार्ड खेलने में भाजपा को अधिक हित दिखाई देता है. केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करने पर भाजपा का पिछड़ा दांव अधिक कारगर हो सकेगा. पिछले दिनों विधानसभा के घेराव में केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी नेतृत्व-क्षमता का परिचय दिया है. सवाल उठता है कि फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या होगा? क्या वह केशव प्रसाद मौर्य के पीछे खड़े होंगे? इस समस्या को भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य को केंद्र में मंत्री बनाकर हल कर सकती है. केशव प्रसाद मौर्य एवं स्वामी प्रसाद मौर्य मिलकर उत्तर प्रदेश में मौर्य समाज को पूरी तरह भाजपा के पक्ष में कर लेंगे. ब्राह्मणों को खुश करने के लिए डॉ. दिनेश शर्मा या अन्य किसी ब्राह्मण नेता को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बना दिया जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

दूसरे दलों में बग़ावत से कामयाब होगा भाजपा का मिशन!

मृत्युंजय दीक्षित

जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे-वैसे प्रदेश की राजनीति में नित नए-नए समीकरण, दलबदल व दिलबदल के खेल और अनाप-शनाप राजनीतिक बयानबाजियों का दौर तेज होता जा रहा है. इस समय प्रदेश की राजनीति में दलबदल के खेल में पहले चरण में तो भाजपा ही आगे निकलती दिखाई पड़ रही है. 2014 के लोकसभा चुनावों के पूर्व भाजपा ने दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का अभियान चलाया था उसी प्रकार की राजनीति भाजपा एक बार फिर दोहरा रही है. अभी फिलहाल भाजपा के रणनीतिकारों की नजर में बसपा एक सॉफ्ट टारगेट बनी हुई है. विगत सप्ताह भाजपा में शामिल होने वाले लोगों के कारण सपा, बसपा व कांग्रेस में बेचैनी व भगदड़ का वातावरण उत्पन्न हो गया है. इस भगदड़ में कई अफसर भी भाजपा का दामन थाम रहे हैं. कई दलों के नेता विधायक, सांसद व कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए. इस पर भाजपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि जिस प्रकार से दूसरे दलों के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं उससे साफ संकेत मिल रहा है कि 2017 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी. कहा जा रहा है कि भाजपा की प्रदेश में लोकप्रियता का ग्राफ तो बढ़ रहा है लेकिन क्या यह मतदान में परिवर्तित हो सकेगा? बाराबंकी के पूर्व सांसद केदारनाथ रावत सहित रेल भूमि विकास प्राधिकरण के पूर्व महाप्रबंधक देवमणि दुबे ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली. कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी, शिव गणेश लोधी सहित कई नेता लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में अभी भाजपा में कई चौंकाने वाले चेहरे दिखाई पड़ेंगे.

पिछले दिनों बसपा ने आगरा में एक बड़ी रैली का आयोजन किया था, जिसमें बसपा नेता मायावती ने पीएम मोदी व केंद्र की भाजपा सरकार को जमकर लताड़ा था. लेकिन रैली के चौबीस घंटे भी नहीं बीते थे कि बसपा के बड़े ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक भाजपा में शरीक हो गए. यह बसपा के लिए तगड़ा झटका था. बसपा में ब्रजेश पाठक काफी दमदार नेता माने जाते थे. स्वामी प्रसाद मौर्य व आरके चौधरी के बाद यह बसपा की एक और बड़ी बगावत मानी जा रही है. पाठक की बगावत पर राजनीतिक चर्चा का

बाजार गर्म होना स्वाभाविक ही है. पाठक की बगावत के बाद यह प्रश्न चर्चा में आया कि क्या अब भाजपा दूसरे दलों के नेताओं के सहारे ही मिशन-2017 पूरा करेगा? क्या भाजपा दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके अपने लिए कोई भारी मुसीबत तो नहीं खड़ी करने जा रही है? क्या सपा-बसपा के नेताओं को भाजपा में शामिल करके प्रदेश को सपा-बसपा मुक्त बनाया जा सकता है? ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले की राजनीति करते हैं तथा विगत लोकसभा चुनावों में भाजपा के उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ब्रजेश पाठक को पूरे क्षेत्र में गुंडा कहकर उनके अपराधों की लम्बी फेहरिस्त लेकर घूमा करते थे. आज वही पाठक कमल के फूल के सिपाही हो गए हैं. क्या भाजपा हाईकमान अपने सांसदों व स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श करने के बाद ही इन नेताओं को पार्टी में शामिल कर रहा है? कहीं इस तरह से नेताओं को शामिल करने से दिल्ली वाली गलती तो भाजपा नहीं दोहराने जा रही है?

उधर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक दावा कर रहे हैं कि अभी दूसरे दलों के कई और बड़े नेता व कई अन्य चेहरे भाजपा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं. बस समय का इंतजार है. यह सभी नेता पीएम मोदी व उनकी कार्यप्रणाली से प्रभावित हो रहे हैं. माना जा रहा है कि ब्रजेश पाठक की बगावत के बाद से बसपा की सोशल इंजीनियरिंग को गहरा आघात लगा है. छात्र राजनीति के दौर से निकलकर आए ब्रजेश पाठक की पहचान पूर्वी व मध्य क्षेत्र में ब्राह्मण नेता के रूप में रही है. ब्रजेश को दो बार राज्यसभा में भी भेजा जा चुका है और उनकी पत्नी नम्रता पाठक भी पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं. पाठक का बसपा छोड़ना उसकी सोशल इंजीनियरिंग और दलित-ब्राह्मण-मुस्लिम गठजोड़ को झटका है. ■

बसपा को हो गया है भरोसे का संकट

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

चुनाव प्रचार की अनौपचारिक रणभेरी बजने के बाद ही बसपा प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश की ओर रुख करती हैं. सत्ता में होती हैं, तो बात अलग. वह यहीं पर रहती हैं लेकिन सत्ता से हटने के साथ ही जैसे उनका उत्तर प्रदेश से मोहभंग हो जाता है. तब उनका अधिकांश समय नई दिल्ली में व्यतीत होता है. यदा-कदा वह लखनऊ आती हैं. लेकिन विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उनकी सक्रियता एकदम से बढ़ जाती है. साढ़े चार वर्षों में वह जितनी बार लखनऊ न आई होंगी, उससे अधिक बार पिछले कुछ महीनों में आ चुकीं. यहां वह पार्टी नेताओं की बैठक व प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं. शायद यह उनके चुनाव प्रचार का प्रथम चरण होता है. दूसरे चरण में वह जनसभाएं करती हैं. आगामी चुनाव के मद्देनजर उनकी पहली रैली आगरा में संपन्न हुई.

सपा के पहले पांच वर्षों तक बसपा को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चलाने का अवसर मिला था. दूसरी ओर सपा की बहुमत सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है. ऐसे में बसपा प्रमुख से यह अपेक्षा थी कि वह दोनों सरकारों के बीच तुलना करतीं, अपनी उपलब्धियां गिनातीं, सपा सरकार की नाकामी बतातीं और अन्त में यह बतातीं कि पुनः बसपा की सरकार क्यों बननी चाहिए. केंद्र सरकार पर निशाना लगाना उनका अधिकार है. इस समय ऐसा करना उनकी आवश्यकता भी है. पिछले लोकसभा चुनाव ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल कर रख दिया था. इसमें बसपा का खाता नहीं खुला था. उनके वोट बैंक में भी सेंधमारी हुई थी. ऐसे में उनका भाजपा पर हमला स्वाभाविक है.

यह अजीब लगता है कि मायावती अपने पांच वर्षीय शासन के आधार पर वोट नहीं मांगतीं. वह उस दौर की खास चर्चा नहीं करतीं. सपा की कमियों को दूर करने का विश्वास नहीं दिलातीं. इसके विपरीत उनका पूरा फोकस केंद्र की दो वर्ष पुरानी सरकार पर रहता है. जब कोई नेता अपने पांच वर्ष के शासन की चर्चा से बचना चाहे, दूसरे के दो वर्षीय शासन पर जमीन आसमान एक कर दे तो इससे उसकी अपनी ही कमजोरी उजागर होती है. वस्तुतः यह उसके विश्वास के संकट की अभिव्यक्ति होती है. उसमें अपनी उपलब्धियों के आधार पर वोट मांगने का साहस नहीं होता. इसलिए चुनाव प्रचार को नकारात्मक दिशा में चलाने का प्रयास होता है.

2007 के विधान सभा चुनाव में मायावती के प्रचार को याद कीजिए. वह तब सपा शासन पर गुंडागर्दी का आरोप लगाती थीं. कानून व्यवस्था को बदहाल बताती थीं. लोग इस अनुभव से अपने को जोड़ते थे. फिर जब मायावती कहती थीं कि वह कानून व्यवस्था ठीक कर देंगी, लोग विश्वास करते थे. मायावती भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाती थीं. आरोपित को जेल भेजने की बात करती थीं, लोग विश्वास करते थे. इसी विश्वास ने बसपा को पूर्ण बहुमत में पहुंचाया था लेकिन पांच वर्षों में ही यह अविश्वास में बदल गया. भ्रष्टाचार के आरोप में जांच या जेल भेजने की बात दूर, बसपा सरकार खुद इन्हीं आरोपों से दागदार हो चुकी थी. माफिया, बाहुबली प्रवृत्ति के लोगों के लिए बसपा के दरवाजे खोल दिए गए. ऐसे लोग किसी भी सरकार के कानून व्यवस्था संबंधी इकबाल को कमजोर बना देते हैं. यही बसपा सरकार के साथ हुआ.

मतलब जिन दावों के बल पर बसपा सत्ता में पहुंची थी, उन्हीं के प्रति अविश्वसनीय होकर उसे सत्ता से हटना पड़ा था. आज मायावती इसी कठिनाई से गुजर रही हैं. वह अपनी उपलब्धियों को बताकर लोगों का विश्वास जीतने की स्थिति में नहीं हैं. कई दिग्गज व विश्व-सपात्र उनका साथ छोड़ चुके हैं, चुनाव तक कई अन्य नाम भी इसमें जुड़ सकते हैं. वे चुनाव पर कितना असर डालेंगे, यह तो भविष्य में पता चलेगा किन्तु इतना तय है कि पुराने विश्वासपात्र मायावती की छवि को नुकसान अवश्य पहुंचा रहे हैं. सभी एक स्वर में उनपर टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं. चुनाव प्रचार आगे बढ़ने के साथ आरोपों के स्वर भी तेज होंगे. इनसे यह प्रतिध्वनि अवश्य निकलती है कि बसपा में कुछ भी नहीं बदला है. टिकट बेचने के आरोप पहले भी लगते थे, तब इन्हें विरोधियों का प्रचार बताया जाता था. अब बसपा की स्थापना के समय से साथ रहे लोग यही बात कह रहे हैं. ऐसे में आरोप पहले से ज्यादा गहरे हुए हैं. इससे यह सन्देश जा रहा है कि बसपा भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ सकती. महंगे टिकट लेने वाले लोग कभी ईमानदारी से अपना काम नहीं कर सकते. मायावती को लोगों को यह विश्वास दिलाना कठिन हो रहा है कि वह धन लेकर टिकट नहीं देती हैं. इस आरोप के प्रमाण भले न हों, लेकिन मायावती के विरोधी इसे दोहराते रहेंगे. यह मुद्दा भावी शासन से जुड़ा है, ऐसे में इसका दूरगामी प्रभाव होगा.

यदि मायावती ने अपने पांच वर्षीय शासन में बेहतर कार्य किया होता तो आज वह विश्वास से भरी होतीं. तब वह यह कहने की स्थिति में होतीं कि पिछले विधानसभा चुनाव में सपा को सत्ता देने का जो फैसला हुआ, मतदाता उसे सुधार सकते हैं लेकिन मायावती अब नकारात्मक चुनाव प्रचार को विवश हैं. वह अपने शासन की जगह केंद्र, भाजपा व संघ पर निशाना लगा रही हैं. मायावती आरोप लगाती हैं कि केंद्र सरकार आरक्षण छीनना चाहती है. ऐसा कह कर वह बिहार चुनाव जैसी पटरी पर लौटना चाहती हैं जबकि यह आरोप काठ की हांडी जैसा है, दोबारा नहीं चढ़ने वाला. कोई आरक्षण नहीं छीन रहा है. चुनाव के समय ऐसी बातें करने वाले समाज को बांटना चाहते हैं. ऐसे लोगों को सत्ता में आने के बाद अपने सगे-संबंधी व चुनिंदा लोग दिखाई देते हैं. चुनाव के समय जातिवाद, आरक्षण सर्वजन आदि याद आता है, जबकि सकारात्मक मुद्दों पर चुनाव से ही उत्तर प्रदेश का भला होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

रंगमंच की बिसात पर सियासत

अनंत विजय

हिंदी में काफी पहले एक कहावत कही जाती थी- बिना कोक जो रति करे/बिना गीता भख ज्ञान/बिन पिंगल कविता रचै/तीनों पशु समान. यह उक्ति कविता के संदर्भ में कही जाती थी, लेकिन कालांतर में छंद ही कविता से गायब हो गई, तो अब पिंगल को कोई क्यों पूछे. दरअसल इस कहावत को उद्धृत करने का हमारा मकसद ये था कि जब कोई नई चीज बनती है, तो पुरानी छूटती चलती है. अब अगर हम इस कहावत को बिहार के रंगमंच के संदर्भ में देखें, तो वहां एक नाटक के मंचन की वजह से सूबे के नाटकों के आयोजन की पुरानी परंपरा नेपथ्य में चली गई. बिहार सरकार के संस्कृति विभाग ने नाटकों के मंचन को लेकर अब बिल्कुल नई परंपरा की नींव रखी है. ये नींव बहुत मजबूत है. बस जरूरत है इसको मजबूत करने की और उसपर बिहार में रंगमंच की नई इमारत खड़ी करने की. संस्कृति विभाग ने जो नई नींव रखी है, वो है पटना में नाटक के मंचन की. स्थानीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा जो अपनी युवावस्था में बेहतरीन अदाकार थे से नाटक का मंचन करवाकर और उसपर करीब चालीस पचास लाख रुपये खर्च करके. अभी हाल ही में पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत नाटक पति, पत्नी और मैं का मंचन हुआ. अब जरा इस बात पर गौर फर्माइए कि ये नई परंपरा कैसे मानी जाए. शत्रुघ्न सिन्हा संभवत पहले ऐसे रंगकर्मी-सांसद होंगे, जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में नाटक करने के एवज में तीस लाख रुपए मिले. इसके पहले दिल्ली से भी ये खबर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी को अपने क्षेत्र में होली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली सरकार की संस्था हिंदी अकादमी ने आठ लाख रुपयों का भुगतान किया था. संभव है कि बिहार सरकार ने जो भुगतान शत्रुघ्न सिन्हा का नाटक आयोजन करने वाली कंपनी को किया होगा, उसमें से कुछ पैसे उनके साथी कलाकारों को भी मिला होगा. लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि सभी पैसा साथी कलाकारों को ही मिला होगा. इस नई परंपरा में कई स्थापित मान्यताओं को टूटते हुए बिहार की जनता ने देखा. जैसे श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में नाटक का मंचन, जहां ना तो उस हिसाब से स्टेज है, ना लाइटिंग और ना ही मंचन के उपयुक्त तमाम तरह की सुविधाएं. ये हॉल तो सेमिनार आदि के लिए इस्तेमाल होता है, जहां मंच है और सामने बैठने के लिए जगह. इस नाटक के मंचन का आयोजन बिहार संगीत नाटक अकादमी ने किया था, जिसके अध्यक्ष ख्यातिनाम कवि आलोक धन्वा हैं. नई परंपरा इस वजह से भी कि संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष समेत कर्मचारियों को वक्त पर वेतन नहीं मिलता है, कई-कई महीने बाद वेतन का भुगतान होता है. लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के नाटक के मंचन के लिए तीस लाख का भुगतान करने के लिए उनके खाते में पैसे थे. नई परंपरा इस वजह से भी संगीत नाटक अकादमी ने प्रेमचंद रंगशाला में इसका मंचन नहीं करवाकर श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में इसका मंचन करवाया. दरअसल इस नई परंपरा को शुरू करवाने के पीछे प्रेमचंद रंगशाला की बदहाली भी जिम्मेदार हो सकती है. बताया जाता है कि रंगशाला का मंच इस कदर से टूटा हुआ है कि उसमें जगह-जगह छेद हो चुके हैं और स्थानीय नाटककार तो किसी तरह से मंच पर पैबंद लगाकर मंचन कर लेते हैं लेकिन सुपरस्टार कलाकार को छिद्रयुक्त मंच पर बैठाना उचित नहीं होता. इस रंगशाला के मंच में ही छेद नहीं है बल्कि यहां की लाइटिंग आदि भी खराब हो चुकी है और बिहार संगीत नाटक अकादमी के पास इतना पैसा नहीं है कि मंच की लाइट बदलवाई जा सके. हालत इतने बदतर हैं कि करीब नब्बे फीसदी बल्ब खराब हैं, जो अपने बदले जाने की राह ताक रहे हैं. संभव है इन्ही वजहों से ये नाटक एसके मेमोरियल हॉल पहुंचा हो. प्रेमचंद रंगशाला में शत्रुघ्न सिन्हा के नाटक का मंचन नहीं करवाकर बिहार सरकार कई तरह की बदनामियों से बच गई है. इस रंगशाला में रंगकर्मियों के रिहर्सल के लिए शेड बनाने की कवायद दो साल पहले शुरू हो गई थी, लेकिन आजतक खंभा आदि ही लग पाया है. इस मामले में बिहार के संस्कृति विभाग की तारीफ की जानी चाहिए कि उसने प्रेमचंद रंगशाला की वास्तविक स्थिति से स्थानीय सांसद के नाटक के मंचन को दूर रखकर खुद को किरकिरी से बचा लिया. संभव है कि स्थानीय सांसद महोदय को अपने चुनाव क्षेत्र के इस गौरवशाली रंगशाला की बदहाली के बारे में पता नहीं हो, नहीं तो ये भी हो सकता था कि वो अपने नाटक के मंचन से मिले पैसों को रंगशाला की बेहतरी के लिए दे देते. या फिर सांसद निधि से ही मदद कर देते. कोई बताए तो सही. शत्रुघ्न सिन्हा के इस नाटक के मंचन ने बिहार के रंगकर्मियों को ये सीख भी दे गया कि अगर आपके नाटक में काम करने वाले कलाकार फिल्मों से जुड़े हैं, तो संगीत नाटक अकादमी स्टैंड अप कॉमेडी को भी नाटक बनाकर ना सिर्फ गाजे बाजे के साथ उसका मंचन करवाएगी, बल्कि अच्छे पैसों का भुगतान भी होगा. शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने इस कथित नाटक में चंद लोगों के सहारे और रिकॉर्डेड बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सूबे के हुक्मरानों का मन मोह लिया. रंगकर्मियों के दिल पर क्या बीत रही होगी, ये तो वही जानें.

अब अगर परंपरा से हट कर बात की जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा के इस नाटक के मंचन का एक और पहलू भी है वो है बिहार में विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर चिढ़ाना. लंबे समय से शत्रुघ्न सिन्हा की अपनी पार्टी से नाराजगी जगजाहिर है. गाहे बगाहे अपने बयानों से और भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों से मुलाकातें कर वो अपनी नाराजगी का इजहार करते रहते हैं.

दरअसल अगर हम बिहार के संस्कृति विभाग के कामकाज पर नजर डालें, तो वहां भी परंपराएं ही टूटती नजर आती हैं. वहां शुक्र गुलजार कार्यक्रम में रंगकर्मियों को जो पैसे दिए जाते हैं, जरा उसपर नजर डाल लेते हैं. स्थानीय नाट्य संस्थाओं को मंचन के लिए दस हजार और बाहर से आनेवालों को बीस हजार रुपयों का भुगतान किया जाता है. इस बीस हजार में उनका रहना, खाना, यात्रा किराया मंचन का खर्चा आदि सब शामिल है. अब शत्रुघ्न सिन्हा के मंचन के लिए जिम्मेदार संस्था को तीस लाख के भुगतान से इस बात की उम्मीद जगी है कि स्थानीय नाट्यकर्मियों को भी ज्यादा भुगतान हो पाए. उम्मीद तो उन कलाकारों को भी बंधी होगी, जो महिला नाट्य उत्सव भी शामिल होने पटना आई थीं. हफ्ते भर के उस महिला नाट्य महोत्सव का पूरा बजट दस लाख रुपए का था. सात दिन के नाट्योत्सव का बजट दस लाख और एक नाटक के मंचन पर चालीस पचास लाख खर्च करने के संस्कृति विभाग के साहस की प्रशंसा की जानी चाहिए. दरअसल बिहार सरकार के संस्कृति विभाग ने लगता है अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी है. विभाग की कोई यूनिट, कोई दफ्तर पटना से बाहर है नहीं. बिहार के जिस भी कलाकार को कुछ करना होता है, तो उसको पटना आना होता है. अब तक बीस हजार रुपए में कार्यक्रम करना होता था, लेकिन अब अगर लाखों में भुगतान होने की परंपरा शुरू होती है और आगे भी कायम रहती है, तो ये बिहार में नाटक के मंचन के लिए अच्छे दिन की शुरुआत होगी. लेकिन बड़ा सवाल कि क्या ऐसा होगा.

अब अगर परंपरा से हट कर बात की जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा के इस नाटक के मंचन का एक और पहलू भी है, वो है बिहार में विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर चिढ़ाना. लंबे समय से शत्रुघ्न सिन्हा की अपनी पार्टी से नाराजगी जगजाहिर है. गाहे बगाहे अपने बयानों से और भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों से मुलाकातें कर वो अपनी नाराजगी का इजहार करते रहते हैं. उनकी नाराजगी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संभावनाएं भी नजर आती हैं और वो भी मौका मिलते ही बिहारी बाबू की जमकर तारीफ करते नहीं थकते हैं. शत्रुघ्न सिन्हा भी नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करते रहते हैं. अब ऐसा प्रतीत होता है रंगमंच की बिसात पर नीतीश कुमार सियासत की चालें चल रहे हैं. नाटक के पीछे की सियासी मंशा भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश देना है कि देखो बिहार का तुम्हारा सबसे लोकप्रिय नेता हमारे साथ मंच साझा कर रहा है. इस बात को मजबूती नाटक के मंचन के वक्त महागठबंधन के सभी बड़े नेताओं की वहां उपस्थिति और उससे पहले नाटक के प्रचार से भी मिलती है. दरअसल जब से नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा है, तब से दोनों तरफ से एक दूसरे को राजनीतिक तौर पर चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ा जा रहा है. राजनीतिज्ञ सियासत तो करेंगे ही, लेकिन कला और संस्कृति या फिर साहित्य का इस्तेमाल कर नीतीश कुमार ने अपनी जो छवि बनाई है वो अबतक किसी ने नहीं किया. हाल ही में खबर आई थी कि अशोक वाजपेयी और उनका पूरा खेमा नीतीश कुमार के लिए देशभर में बुद्धिजीवियों की बैठक का आयोजन करेगी. तो नीतीश की सियासत का ये दिलचस्प पहलू है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

डॉ. सीताराम दीन और डॉ. उषा रानी सिंह की पुण्यस्मृति पर बोले महाकवि नीरज

डॉ. दीन और डॉ. उषा की रचनाएं हमारी धरोहर हैं

पुण्य-स्मृति में साहित्य-ब्लॉग और साहित्य-पोर्टल की महाकवि के हाथों हुई शुरुआत

चौथी दुनिया ब्यूरो

महाकवि पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज ने बृहस्पतिवार 01 सितंबर 2016 को प्रख्यात साहित्यकार, कवि, रेखा-चित्रकार डॉ. उषारानी सिंह की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर कहा कि डॉ. उषा रानी सिंह की कविताएं नये बिम्बों और नये उपमानों की सजावट से शब्द विधान के कलात्म-रूप को नये धरातल पर प्रतिष्ठित करती हैं. उनकी कविताएं बहुत भीतर तक स्पर्श करती हैं. उनके द्वारा रचित रेखा-चित्र हमें गांव की पगडंडियों पर ले जाते हैं, मौलिक संयुक्त परिवारों की सोंधी खुशबू देते हैं, समाज की समरसता का संदेश देते हैं. महाकवि नीरज ने प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, समालोचक और कबीर साहित्य के मर्मज्ञ डॉ. सीताराम दीन की रचनाओं को धरोहर बताया और कहा कि डॉ. दीन में संत कबीर की आत्मा विराजमान थी. इसीलिए उनके व्यक्तित्व में एक समालोचक का भी वास था और एक संवेदनशील कवि भी विराजमान था. डॉ. दीन की पुण्यतिथि एक अक्टूबर है. इसे दृष्टिगत रखते हुए डॉ. सीताराम दीन और डॉ. उषा रानी सिंह की साझा पुण्यस्मृति में लखनऊ में आयोजित एक सादे कार्यक्रम में महाकवि नीरज ने दोनों दिवंगत साहित्य विभूतियों के नाम पर शुरू हो रहे साहित्य-ब्लॉग और साहित्य-पोर्टल को अपने पावन स्पर्श से 'ऑन-लाइन' किया. पद्मश्री नीरज ने बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की त्रैमासिक पत्रिका 'सम्मेलन साहित्य' के 'स्मृति विशेषांक' का भी अवलोकन किया, जो विशेष तौर पर डॉ. सीताराम दीन और डॉ. उषा रानी सिंह की स्मृति में समर्पित किया गया है. इस स्मृति विशेषांक में महाकवि नीरज की वह चिट्ठी भी शामिल की गई है, जो उन्होंने डॉ. उषा रानी सिंह को उनके दिवंगत होने के कुछ ही दिन पहले लिखी थी. डॉ. सीताराम दीन और डॉ. उषा रानी सिंह की संघर्ष गाथा के बारे पढ़ कर और जानकर महाकवि नीरज ने कहा, 'लेखनी अश्रु की स्याही में डुबो कर लिखो, दर्द को प्यार से सिरहाने बिठा कर लिखो, जिंदगी कमरों और किताबों में नहीं मिलती, धूप में जाओ और पसीने बहा कर लिखो'... नीरज कहते हैं तभी किसी का लिखा सार्थक होता है और हृदय को ग्राह्य होता है. तभी आज हम डॉ. सीताराम दीन और डॉ. उषा रानी सिंह को याद कर रहे हैं और उनकी रचनाओं पर चर्चा कर रहे हैं.

डॉ. सीताराम दीन और डॉ. उषा रानी सिंह की पुण्यस्मृति में शुरू किए जा रहे साहित्य-ब्लॉग और साहित्य-पोर्टल में बिहारी हिंदी साहित्य सम्मेलन के 'स्मृति विशेषांक' को समग्र रूप से 'अपलोड' किया गया है. इसमें मूर्धन्य साहित्यकारों के लेख समाहित हैं. साहित्य के लिए समर्पित इन दोनों ऑनलाइन मंचों पर देशभर के साहित्यकारों की रचनाओं को शामिल किया जाएगा और उसे प्रसारित-प्रचारित किया जाएगा, ताकि उन साहित्यिक रचनाओं की पठनीयता भौतिक-भौगोलिक सीमाओं के अंदर घुट कर दम न तोड़ सके, बल्कि उसे बृहत्तर फैलाव मिले. इस पर महाकवि नीरज ने उनके रचना-जीवन पर तैयार किया गया एक ऑडियो एलबम भी भेंट किया, जिसमें प्रख्यात रेडियो एंकर अमीन सायानी की कमेंटरी है और नीरज के लिखे प्रसिद्ध गीतों को उसमें पिरोया गया है, जिसे मशहूर गायक मुहम्मद रफी, मुकेश व अन्य कलाकारों ने गाया है. नीरज की रचनाओं पर आधारित उस ऑडियो एलबम को भी साहित्य-ब्लॉग और साहित्य-पोर्टल में शामिल किया जा रहा है. दीन-उषा पुण्यस्मृति कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार आलोक पांडेय, मनोज दुबे, अखिल पांडेय, रवि गुप्ता, आलोक मिश्र, रोहित पांडेय, अंकित गोयल, अखिलेश मिश्र, राम सिंह, महेंद्र अग्रवाल, एके गोयल, शैलेश सिंह, नंदलाल जायसवाल, कुमार विक्रम, शैलेश कुमार सिंह, डॉ. आराधना सिंह, वैष्णवी वंदना समेत कई पत्रकार और गण्यमान्य नागरिक मौजूद थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

साईं वंदना

साईं प्रचार

बिना भावत्मकता के संपूर्ण उपलब्धि का कोई अर्थ नहीं

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

मंदिर-निर्माण का उद्देश्य

आज देश-विदेश में बन रहे अनेक मंदिरों का उद्देश्य क्या है?

मंदिर का निर्माण एक इमारत का निर्माण नहीं है क्योंकि यह वस्तुतः भाव-प्रधान है, वस्तु-प्रधान नहीं है. भक्ति में यह अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने मंदिर बना लिया. कोई पूंजीपति चाहे तो थोड़े ही समय में असंख्य मंदिरों का निर्माण कर सकता है. ऐसे अनेक व्यक्ति हैं, जिनमें मंदिर के निर्माण की सामर्थ्य भी है और उनके पास साधन भी हैं. निर्माण का कार्य तो कोई एक ठेकेदार भी कर देगा. बात बच्चे को जन्म देने की नहीं अपितु भाव द्वारा उसको ठीक से पालने की है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो मंदिर के लिए वस्तुगत योगदान करके कर्ताभाव से उसे ही देखते हैं. वे उस ईश्वर को नहीं देखते जो मंदिर में साकार रूप में विद्यमान है. बिना भावत्मकता के संपूर्ण उपलब्धि का कोई अर्थ नहीं है. ईश्वर के किसी भी कार्य में कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि हमने कुछ किया है. वो तो ईश्वरीय शक्तियां थीं जिन्होंने यह कार्य किया. यह तो ईश्वर की कृपा ही थी कि उन्होंने कुछ करने का अवसर प्रदान किया है.

आप देश-विदेश में भ्रमण करते हुए अनेक मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं. इस संदर्भ में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का मूल उद्देश्य क्या है?

भक्ति-परंपरा में यदि संतों के इतिहास को देखा जाए तो पता चलता है कि संत कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते थे. वे स्थान-स्थान पर भ्रमण करते थे और उनके साथ उनके शिष्यों का समुदाय भी रहता था. किन्तु आज परिस्थितियां बदल गई हैं. व्यावसायिक, पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए ही इस मार्ग पर चलना है. बदले हुए संदर्भ में पहले की तरह भ्रमण करना अब संभव नहीं है. मंदिरों के उद्घाटन के अवसर पर जो कार्यक्रम होते हैं, उनके द्वारा वहां के विधि-विधान की जानकारी होती है. साथ ही स्थान-विशेष के लोगों एवं उनकी संस्कृति को समझने का अवसर मिलता है, जिससे व्यापक स्तर पर पारस्परिक सौहार्द्र की भावना विकसित होती है.

जमीन के दिव्य लक्षण

यह बताया गया है कि जिस स्थान पर भव्य मंदिर बनते हैं, उस स्थान की मिट्टी में कुछ पवित्र शक्ति पहले से ही निवास करती है. इसका सही अर्थ क्या है?

जिन संतों ने लोकहित के लिए धर्म के प्रचार के लिए ऐसे मंदिर और भवन-निर्माण किए हैं, उन्हें कुछ ऐसा आभास होता है, जैसे कि जिस मिट्टी पर ऐसी इमारतें बनीं, वहां कुछ उदृश्य शक्ति पहले से ही होगी. मेरे अनुभव के अनुसार मंदिर बनाने से पहले स्थान (जमीन) को निर्धारित किया जाता है. ऐसी जमीन का कुछ लक्षण दिखता है. उदाहरण के तौर पर बरेली के मंदिर (कुदसिया कॉलोनी) में मंदिर बनने से पहले कुछ ऐसा ही आभास मिला कि जमीन के नीचे कुछ वस्तु ऐसी है, जिसे कोई साधु व्यवहार करते थे. इसका अर्थ यह हुआ कि उस मिट्टी पर कोई न कोई आध्यात्मिक व्यक्तित्व होता था और उसके पुण्य-प्रताप से उस मिट्टी में पवित्रता आ गई. वहां पर जब एक पेड़ के एक मीटर नीचे निर्धारित स्थान खोदा गया, तो उसके नीचे से कमण्डल और साधु के व्यवहार-योग्य कुछ सामान भी मिला था. 'श्री साईं सच्चरित्र' पुस्तक में यह लिखा गया है कि साईं बाबा के आदेश पर जब मानेकर मत्स्येन्द्रगढ़ गए, तो वहां एक स्थान खुदवाने पर मंदिर-भवन का निर्माण किया गया. ऐसे सैकड़ों दृष्टांतों के बारे में लिखा जा सकता है, किन्तु स्थानाभाव के कारण इस विषय में और लिखना संभव नहीं है.

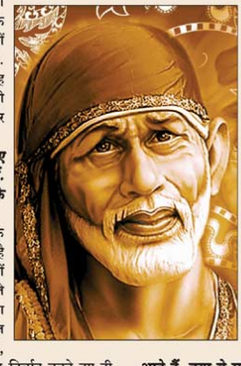

मंदिर-संचालन

साईं-मंदिर के संरक्षकों की मंदिर में आने वालों के प्रति किस प्रकार की भूमिका होनी चाहिए?

संरक्षकों को दूसरों को आगे आने देना चाहिए. बाबा की उन्हें विशेष अनुकंपा प्राप्त हुई थी, जब उनको मंदिर के निर्माण का अवसर प्राप्त हुआ था. अब उनके लिए यह आवश्यक है कि जो भक्त आगे आएं उनके लिए वे रुकावट न बनें. उन पर तो बाबा की कृपा हो चुकी है, अब दूसरों को भी बाबा की कृपा से लाभान्वित होने दें. मंदिर सबका है.

मंदिर आने का उद्देश्य

मंदिरों में बाबा के पास जितने लोग आते हैं, क्या वे सभी पूर्ण भक्तिभाव से आते हैं?

नहीं. शुद्ध भक्ति के भाव से बाबा के पास आने वाले भक्त अत्यंत ही कम हैं. ऐसे लोग मंदिर में आकर अपने भाव को नष्ट नहीं करते और चुपचाप परिवेश से अलग रहते हैं. वे बाबा से मानसिक प्रार्थना करते हैं और उनमें से ज्यादातर लोगों के हृदय में बाबा को अनुभव करने का बहुत उत्साह रहता है. वे न तो अपने स्वार्थ के लिए बाबा के पास आते हैं और न ही अपने धर्म की रूढ़िवादिता को मंदिरों में प्रदर्शित करते हैं. वे अपने और बाबा के बीच किसी को नहीं आने देते, चाहे वह परिवार हो, रिश्ते-नाते हों, कुछ भी हों. ज्यादातर लोग कुछ भक्ति और कुछ स्वार्थ दोनों के लिए आते हैं. पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए ही आते हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बनें आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

गोपी, ईश्वर और बिश्वेश्वर जैसे कोचों से मिलता है खेलों को गौरव

गुरुओं की बदौलत बेटियों का जलवा

सैयद मोहम्मद अब्बास

ओलम्पिक खत्म हो गया है. भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कुछ ख़ास नहीं रहा. भारत को ओलम्पिक में केवल दो पदक से संतोष करना पड़ा. उम्मीदें दम तोड़ती गईं और लगातार मिल रही हार के बाद साक्षी मलिक और पीवी सिंधु ने भारत को कुछ गौरव के पल दिए. उनके प्रदर्शन की बदौलत भारत ने किसी तरह से अपनी लाज बचाई. भारत के कई स्टार खिलाड़ियों के लिए यह ओलम्पिक बुरे सपने की तरह रहा. अभिनव से लेकर सुधा सिंह जैसे बड़े खिलाड़ी इस बार रियो में कुछ ख़ास नहीं कर सके. दूसरी ओर पीवी सिंधु ने अपने पहले ओलम्पिक में करिश्मायी प्रदर्शन कर दुनिया जीतने का हौसला दिखाया तो वहीं साक्षी भी नया इतिहास लिखने में कामयाब रहीं. इसके आलावा दीपा ने अपने प्रदर्शन से भविष्य की उम्मीद की नई किरण जलाई है. भारत की तीनों बेटियां रातों-रात नेशनल हीरो बन गई हैं. कहते हैं कि हुनर को अगर सही तरीके से तराशा जाए तो वह अपनी चमक दिखाता है. सिंधु, साक्षी और दीपा इस बात का गवाह हैं. उनका बेजोड़ प्रदर्शन बता रहा है कि उनकी प्रतिभा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर सराहा जा रहा है तो उसके पीछे उनके कोचों की कड़ी मेहनत शामिल है. गोपी से लेकर ईश्वर तक कोचों ने भारत की इन बेटियों को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए दिन-रात एक कर दिया. खेलों में अक्सर खिलाड़ी तमाम उपलब्धि हासिल करता है और वाह-वाही लेता है लेकिन उसकी सफलता का असली श्रेय कोचों को भी जाता है. जो पर्दे के पीछे रहकर अपने शार्गिद को आगे बढ़ाने के लिए गजब की लगन दिखा रहे हैं. भारतीय बैडमिंटन में अभी सिंधु के खेल की प्रशंसा चारों ओर हो रही है. इससे पहले सायना नेहवाल के प्रदर्शन की धूम थी. इन दोनों खिलाड़ियों को तैयार करने में किसी एक शख्स का नाम लिया जाए तो वह है गोपीचंद. गोपी ने इन प्रतिभाओं को सही तरीके से आगे बढ़ाया, जबकि साक्षी मलिक अगर यहां तक पहुंची हैं तो उनमें उनके कोच ईश्वर दहिया का बहुत बड़ा हाथ है. दीपा भी अगर इतनी चमक बिखेर रही हैं तो उनके जिम्नास्टिक कोच बिश्वेश्वर नंदी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है.

बड़े से बड़ा खिलाड़ी अपनी सफलता चमकाने के लिए कोच जरूर रखता है. क्रिकेट में गुरु गैरी ने टीम इंडिया की तस्वीर बदल दी थी तो अब अन्य खेलों में भारत की उभरती हुई प्रतिभाओं को निखारने का काम उनके कोच कर रहे हैं. हर खेलों में कोचों की अपनी अलग भूमिका होती है. भारतीय एथलीट यह तो विदेशी खिलाड़ी से ट्रेनिंग लेते हैं या फिर देसी कोच भी अच्छा काम करते हैं. कोच के सहारे खिलाड़ी कुछ शानदार कामयाबी हासिल करता है और देश का मान भी बढ़ाता है. हालांकि यह बात भी सत्य है कि खिलाड़ी को अंत में मैदान में पसीना खुद ही बहाना पड़ता है. उनका प्रदर्शन हार और जीत तय कराता है, लेकिन कोच की बनाई रणनीति अगर कामयाब हो गई तो खिलाड़ी की किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगती है. भारतीय खिलाड़ियों की बात की जाए तो इसमें आजकल कोचिंग की दुनिया में पुलेला गोपीचंद का नाम सबसे ऊपर आता है. दरअसल सिंधु के शानदार प्रदर्शन की बदौलत गोपी का नाम भी खूब हो रहा है. यह गोपीचंद का हौसला है कि उनके सीखाये हुए खिलाड़ी अंतरराष्ट्री स्तर पर चीनी और जापानी खिलाड़ियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं. गोपीचंद अकादमी के श्रीकांत भी अपने गुरु के अथक प्रयासों को सफल बनाने के लिए कड़ा अभ्यास करते हैं. श्रीकांत और सिंधु को द्रोणाचार्य के रूप में गोपीचंद मिले, जबकि सायना भी किसी जमाने गोपीचंद अकादमी की सबसे होनहार खिलाड़ी हुआ करती थी. यह कहना भी गलत नहीं होगा गोपी अगर द्रोणाचार्य हैं, तो उनके सीखाए हुए खिलाड़ी किसी अर्जुन से कम नहीं हैं. गोपीचंद कोच बाद में बने, लेकिन वह इससे पूर्व देश के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ियों में शुमार थे. वह बतौर खिलाड़ी भी भारतीय तिरंगे को बुलंद कर चुके हैं. 2001 में ऑल इंग्लैंड का खिताब जीतकर बैडमिंटन की दुनिया में उन्होंने भारत का कद बढ़ाया. उन्होंने ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप में चीनी चेन हॉंग को चारों खाने चित किया था. इसके आलावा 1999 में स्कॉटीश ओपन व 2004 में इंडियन एशियन में भी गोपीचंद भारत का परचम लहरा चुके हैं. इसके आलावा उन्होंने कई और खिताब जीते. गोपी जब करियर के उफान पर थे, तो अचानक चोट के चलते उनके करियर पर ब्रेक लग गया था. संन्यास के बाद गोपी ने कोचिंग के करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया था. शानदार खिलाड़ी होने के साथ-साथ वह कुशल कोच भी साबित हुए. इतना ही नहीं, वह भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच भी हैं. अकादमी खोलने में उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी. खबरों की मानें तो गोपीचंद की जिस अकादमी पर आज दुनिया नाज़ कर रही है, उसे बनाने में गोपी को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा था. गोपी की अकादमी से कई और बैडमिंटन खिलाड़ी विश्व खेल पटल पर दस्तक दे रहे हैं. उनमें श्रीकांत का नाम सबसे ऊपर आएगा. उनका प्रदर्शन हाल के दिनों में बेहद शानदार रहा है. श्रीकांत किदांबी गोपी की देखरेख में करिश्मायी प्रदर्शन कर रहे हैं. ओलम्पिक में उन्होंने बड़े खिलाड़ियों को चौंकाया है. इसके आलावा पी कश्यप भी भारतीय बैडमिंटन के जाने-माने चेहरे हैं. हालांकि चोट से बेहाल कश्यप को अभी फिटनेस पर कड़ी मेहनत करनी होगी. गुरु साई दत्त जैसे युवा खिलाड़ी भी गोपी की निगरानी में अपने करियर को संवारने में लगे हुए हैं. सपने देखने का हक सबको है, पर कई सपने कभी हकीकत नहीं बनते हैं, लेकिन गोपीचंद का सपना उनके द्वारा प्रशिक्षण ले रहा हर खिलाड़ी पूरा करने का हौसला रखता है. गोपीचंद से ट्रेनिंग लेना भी इतना आसान नहीं है. सूरज की पहली किरण जब धरती पर पड़ती है, तो गोपीचंद के होनहार खिलाड़ी पसीना बहाना शुरू कर देते हैं. सुबह से ही खिलाड़ी उनकी अकादमी में अभ्यास शुरू कर देते हैं. गोपीचंद भी ट्रेनिंग देने के लिए कोई भी समझौता नहीं करते हैं. कोचिंग के दौरान उनका कड़ा अनुशासन भी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होता है. अगर सिंधु को आज लोग पलकों पर बिठा रहे हैं, तो इसके पीछे भी गोपीचंद की लगन और बेजोड़ ट्रेनिंग ही है. गोपी ने पीवी सिंधु को ओलम्पिक पूर्व अपने कड़े अनुशासन के तहत फोन का प्रयोग तक करने पर बैन लगा दिया था. इतना ही नहीं सिंधु पर आईस्क्रीम खाने तक की मनाही थी. उन्होंने सिंधु को तैयार करने के लिए करीब दस साल तक कड़ी मेहनत की है. जानकारों का कहना है कि विश्व के नंबर एक कोच गोपीचंद सिंधु को रोजाना दो घंटे तक की ट्रेनिंग देते हैं. इसका मतलब यह है कि वह कुल छह घंटे की कोचिंग में पूरे दो घंटे केवल सिंधु पर खर्च करते हैं. उनकी ट्रेनिंग में शॉट एंड प्ले यानी बैडमिंटन कोर्ट पर आक्रामक दिखाने के लिए चिल्लाने पर मजबूर करना भी काफी असरदार होता है. इससे फायदा देखने को यह मिला की कोर्ट पर सिंधु विरोधी खिलाड़ी पर हावी होने के लिए आक्रामकता दिखाती है. कुल मिलाकर देखा जाए, तो गोपीचंद जो सपना खिलाड़ियों को दिखाते हैं, उसे पूरा करने के लिए जी-जान लगा देते हैं.

कोच पुलेला गोपीचंद के साथ पीवी सिंधु

साक्षी मलिक अपने कोच ईश्वर दहिया के साथ

कोच बिश्वेश्वर नंदी के साथ दीपा करमाकर

दूसरे कोचों की बात की जाए तो रियो ओलम्पिक में कुश्ती में भारत की नई सुल्तान बनी साक्षी मलिक के कोच ईश्वर दहिया भी इस समय सुर्खियों में हैं. ईश्वर दहिया ने साक्षी को यहां तक पहुंचाने के लिए बहुत कुछ खोया है. यह बहुत कम लोग जानते हैं कि ईश्वर को अखाड़ा बनाने के लिए अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी थी. शुरुआती दौर में उनके अखाड़े में लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन बाद में यहां महिला पहलवानों की रुचि बढ़ने लगी. इसके बाद ईश्वर ने यहां तमाम कठिनाइयों के बीच महिला पहलवानों को कुश्ती के दांव-पेंच सिखाना शुरू कर दिया. दहिया ने महिला पहलवानों में सुमन कुंडू (कॉमनवेल्थ में पदक जीतने वाली) को भी प्रशिक्षण दिया है. इसके बाद 2004 में साक्षी उनके अखाड़े में ट्रेनिंग लेने आई थीं. अभी मौजूदा समय में उनके अखाड़े में 120 महिला पहलवान कुश्ती के लिए पसीना बहा रही हैं.

दीपा के कोच का भी खूब नाम हुआ है. उनके कोच बिश्वेश्वर नंदी खुद भी जिम्नास्टिक के खिलाड़ी थे. उन्होंने भी ओलम्पिक में पदक जीतने का सपना देखा था, लेकिन वह पूरा नहीं हो सका. बिश्वेश्वर नंदी की पत्नी भी जिम्नास्टिक खिलाड़ी रह चुकी हैं. दीपा शुरू में बिश्वेश्वर नंदी की पत्नी सोमा की देख-रेख में ही प्रशिक्षण हासिल कर रही थीं, लेकिन बाद में सोमा ने दीपा को बिश्वेश्वर नंदी से कोचिंग लेने की सलाह दी. मैदान पर भले ही बिश्वेश्वर नंदी और दीपा गुरु और शिष्या जैसे लगें, लेकिन असल में बिश्वेश्वर नंदी दीपा को अपनी बेटी की तरह समझते हैं. कोच की कड़ी मेहनत के बाद दीपा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना शुरू कर दिया था. यह उनका हौसला था कि दीपा ने शुरुआती स्तर पर पदकों की झड़ी लगानी शुरू कर दी थी. यह बात भी सत्य है कि जिम्नास्टिक जैसे महंगे खेल के लिए सुविधाओं का भी अभाव देखा जा सकता है लेकिन नंदी के कोचिंग देने का तरीका बेहद अलग था. उन्होंने अपने तरीके से दीपा को कोचिंग देने के लिए कई चीजें तैयार की. बेकार चीजों से उन्होंने स्प्रिंग बोर्ड और मैट तैयार कर दीपा को कोचिंग देने के लिए खूब पसीना बहाया. कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ी खासकर महिला खिलाड़ी इन कोचों के सहारे अपने करियर को नई ऊंचाई प्रदान कर रही हैं. ■

सूरज की पहली किरण जब धरती पर पड़ती है, तो गोपीचंद के होनहार खिलाड़ी पसीना बहाना शुरू कर देते हैं. सुबह से ही खिलाड़ी उनकी अकादमी में अभ्यास शुरू कर देते हैं. गोपीचंद भी ट्रेनिंग देने के लिए कोई भी समझौता नहीं करते हैं. कोचिंग के दौरान उनका कड़ा अनुशासन भी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होता है. अगर सिंधु को आज लोग पलकों पर बिठा रहे हैं, तो इसके पीछे भी गोपीचंद की लगन और बेजोड़ ट्रेनिंग ही है. गोपी ने पीवी सिंधु को ओलम्पिक पूर्व अपने कड़े अनुशासन के तहत फोन का प्रयोग तक करने पर बैन लगा दिया था.

feedback@chauthiduniya.com

अमीषा की बातों से टूट सकता है पूजा हेगड़े का दिल!

अमीषा का डेब्यू जहां बेहद कामयाब रहा था, वहीं पूजा की किस्मत उतनी अच्छी नहीं रही. मोहेंजो-दारो इस साल की सबसे बड़ी असफलताओं में शामिल हो गई और इस फेल्योर ने अमीषा को पूजा पर कमेंट करने का मौका दे दिया. एक इंटरव्यू के दौरान अमीषा ने कहो ना प्यार है के बारे में बात करते हुए कहा- मोहेंजो-दारो के प्रमोशन के लिए पूजा हेगड़े ने मेरी और ऋतिक की फिल्म का गाना डबमैश किया, जो एक तरह से कहो ना प्यार है का भी प्रमोशन है.

प्रवीण कुमार

फिल्म *कहो ना प्यार है* की रिलीज़ को 16 साल बीत चुके हैं, मगर लगता है, अमीषा पटेल के सिर से इस फिल्म का नशा अभी तक उतरा नहीं है. इसी नशे के सुरूर में अमीषा न्यू कमर पूजा हेगड़े के बारे में कुछ ऐसा बोल गईं, जिससे पूजा का दिल दुख सकता है.

अमीषा ने कहो ना प्यार है से साल 2000 में ऋतिक के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जबकि पूजा ने इसी साल 12 अगस्त को ऋतिक के साथ *मोहेंजो-दारो* से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की है.

अमीषा का डेब्यू जहां बेहद कामयाब रहा था, वहीं पूजा की किस्मत उतनी अच्छी नहीं रही. *मोहेंजो-दारो* इस साल की सबसे बड़ी असफलताओं में शामिल हो गई, और इस फेल्योर ने अमीषा को पूजा पर कमेंट करने का मौका दे दिया.

एक इंटरव्यू के दौरान अमीषा ने *कहो ना प्यार है* के बारे में बात करते हुए कहा- *मोहेंजो-दारो* के प्रमोशन के लिए पूजा हेगड़े ने मेरी और ऋतिक की फिल्म का गाना डबमैश किया, जो एक तरह से *कहो ना प्यार है* का भी प्रमोशन है.

यहां तक तो ठीक था, मगर अमीषा ने आगे जो कहा, वो निश्चित रूप से पूजा को पसंद नहीं आने वाला. अमीषा ने आगे कहा कि मुझे अफसोस है कि *मोहेंजो-दारो* नहीं चली, और न्यू कमर के साथ आने का प्लान भी नहीं चला, लेकिन हर फिल्म *कहो ना प्यार है* जैसी सफलता नहीं पा सकती. अमीषा ने तो यहां तक कह दिया कि दर्शक ऋतिक और उन्हें आज भी इतना प्यार करते हैं कि अगर *कहो ना प्यार है-2* बनी, तो बंपर ओपनिंग मिलेगी, बिल्कुल ऐसे जैसे *गदर-2* मेरे बिना नहीं बन सकती. वैसे ये बात सब जानते हैं कि अमीषा के करियर में इन दोनों फिल्मों के अलावा बताने के लिए कुछ भी नहीं है. *कहो ना प्यार है* और *गदर* के अलावा उनकी लगभग सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ा है. इसके अलावा वह सिल्वर स्क्रीन से काफी समय लापता रहीं है.

फिलहाल वह काफी अरसे के बाद फिल्म *भईयाजी सुपरहिट* में सनी देओल के साथ दिखेंगी. इससे पहले सनी देओल और अमीषा सुपरहिट फिल्म *गदर: एक प्रेम कथा* में साथ काम कर चुके हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

दीपिका पादुकोण होंगी आमिर की हीरोइन!

बॉलीवुड ख़बरें

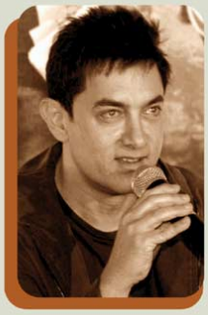

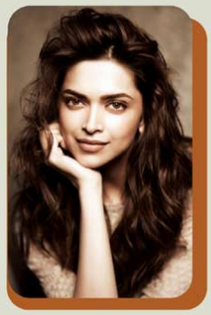

कई उतार-चढ़ाव आने के बाद अब फिल्म ठग बनने जा रही है, जिसमें रितिक रोशन की जगह आमिर ने ले ली है और अमिताभ बच्चन को वापस फिल्म से जोड़ लिया गया है. इस फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण का नाम तय हो गया है.

दीपिका पादुकोण ने अब तक एक ही खान के साथ काम किया है और वो है शाहरुख खान. शाहरुख के साथ दीपिका की डेब्यू फिल्म *ओम शांति ओम* के बाद चैन्नई एक्सप्रेस व हैप्पी न्यू ईयर थी. सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी बनते-बनते रह गई. आमिर तो इतने चूज़ी हैं कि ज्यादातर हीरोइनें उनके साथ फिल्म ही नहीं कर पाती हैं, लेकिन दीपिका को यह अवसर मिलने जा रहा है. ख़बर है कि वे आमिर के साथ एक फिल्म करने वाली हैं.

कई उतार-चढ़ाव आने के बाद अब फिल्म *ठग* बनने जा रही है, जिसमें रितिक रोशन की जगह आमिर ने ले ली है और अमिताभ बच्चन को वापस फिल्म से जोड़ लिया गया है. इस फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण का नाम तय हो गया है. फिल्म के निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य, आमिर के अपोजिट ऐसी हीरोइन चाहते हैं जिसने अब तक उनके साथ काम न किया हो. वे आमिर-दीपिका की जोड़ी को पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर लाने का श्रेय लेना चाहते हैं.■

लड़कियों से ज्यादा शरमा लेते हैं सलमान खान

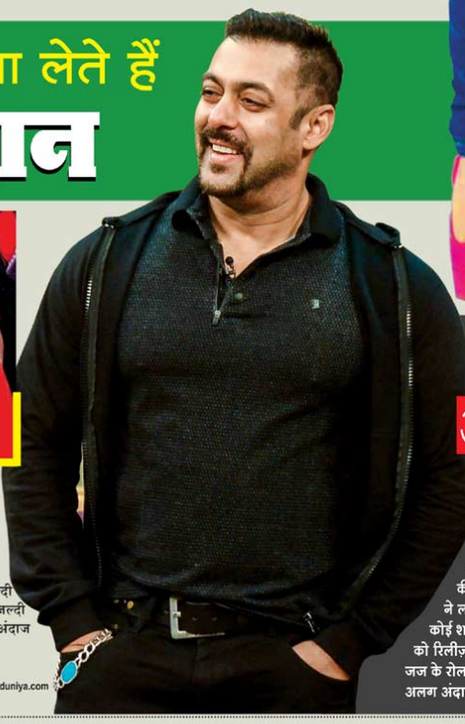

सलमान खान ऐसे एक्टर हैं, जो कुछ भी कर दें पब्लिक पसंद करती ही है. वो किसी भी रूप में आए बस छा जाते हैं. सलमान तो सलमान हैं. ऐसा नहीं है कि सलमान खान आज ऐसे हैं. वो हमेशा से ऐसे ही थे. वो दोस्ती करने में भी मास्टर हैं, दुश्मनी भी उन्हें निभाना आता है. सलमान खान दबंग हैं और जो एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं, तो किसी की भी नहीं सुनते या उनका गुस्सा भी किसी से छिपा नहीं है, लेकिन एक बात और है कि सलमान खान जब शरमाते हैं, तो उनसे ज्यादा स्मार्ट तो कोई लग ही नहीं सकता. उनका शरमाने का अंदाज और फिर स्माइल देखकर किसी का भी दिन अच्छा जाएगा. सलमान की इस अदा पर करोड़ों लड़कियां उनपर फिदा हैं.

सलमान खान को अगर गुस्सा जल्दी आता है, तो वो शरमाते भी उतना ही जल्दी हैं. बिग बॉस में तो ख़ासकर उनका ये अंदाज कई बार दिख चुका है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

अक्षय-हुमा का नया धमाका

आख़िरकार सभी अफवाहों को ख़त्म करते हुए अक्षय कुमार स्टारर फिल्म जॉली एलएलबी -2 के सीक्वल की शूटिंग शुरू हो चुकी है. सुभाष कपूर के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल यानि की वकील का किरदार निभाएंगे. जबकि हीरोइन के रूप में हुमा कुरैशी को लॉक किया गया है. फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग ख़त्म हो चुकी है. जबकि अक्षय कुमार ने ट्विटर के जरीए दूसरे शेड्यूल की शूटिंग की जानकारी दी है. फिल्म की शूटिंग लखनऊ में हो रही है. और अक्षय कुमार ने लखनऊ स्टेशन से अपनी और हुमा कुरैशी की तस्वीर शेयर की है.

कोई शक नहीं कि फैंस इस फिल्म को लेकर उत्साहित हैं. जॉली एलएलबी-2. 10 फरवरी 2017 को रिलीज़ होने वाली है. इस फिल्म में बोमन ईरानी वाला किरदार अनु कपूर निभा रहे हैं. जबकि जज के रोल में दिखेंगे हैं सौरभ शुक्ला. फिल्म के तस्वीरों से साफ़ है कि इस बार अक्षय कुमार काफी अलग अंदाज़ में सामने आने वाले हैं. ■

फ्लैशबैक

फिल्मों में शराबी बनने वाले जॉनी वॉकर ने कभी नहीं पी थी शराब!

जॉनी वॉकर वो कलाकार जिसका नाम सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. बॉलीवुड के वो कॉमेडियन जो 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड की फिल्मों की जान हुआ करते थे. जॉनी वॉकर का एक दौर में बॉलीवुड में ऐसा जलवा था कि मोहम्मद रफ़ी उनके लिए गाने गाया करते थे, ओपी नैय्यर उनके लिए गाने कंपोज किया करते थे और गुरुदत्त अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट तक उनके लिए बदल दिया करते थे.

जॉनी वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन काजी था, उनका जन्म मध्यप्रदेश के इंदौर में हुआ था. लंबे चौड़े परिवार में पैदा हुए जॉनी वॉकर को बचपन में गरीबी का सामना करना पड़ा. वैसे तो उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन टैक्सी ड्राईवर, बाज़ी, मिस्टर एंड मिसेज 55, सीआईडी प्यासा जैसी फिल्में लोग आज भी याद करते हैं. कहा जाता है कि जॉनी ने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया था.

उस दौर में केवल हीरो-हिरोइन के गाने लिए गाने लिखे जाते थे, लेकिन जॉनी की दमदार अदाकारी को देखते हुए ख़ासतौर पर उनके लिए गाने लिखे जाते थे. गुरुदत्त की लगभग हर फिल्म में जॉनी हुआ करते थे. गुरुदत्त की असमय मौत के बाद जॉनी को

काफी सदमा लगा था. जॉनी वाकर ने लगभग दस बारह फिल्मों में हीरो के रोल भी निभाए. उनके हीरो के तौर पर पहली फिल्म थी पैसा ए पैसा जिसमें उन्होंने तीन चरित्र निभाए. इसके बाद उनके नाम पर निर्माता वेद मोहन ने वर्ष 1967 में फिल्म जॉनी वॉकर का निर्माण किया.

वर्ष 1958 में प्रदर्शित फिल्म मधुमति का एक दृश्य जिसमें वह पेड़ पर उल्टा लटक कर लोगों को बताते हैं कि दुनिया ही उलट गयी है, आज भी सिने दर्शक नहीं भूल पाए हैं. इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया.■